

DIRECTORATE OF EDUCATION
Govt. of NCT, Delhi

**SUPPORTING MATERIAL
2016-17**

**POLITICAL SCIENCE
CLASS : XI**

NOT FOR SALE

SPONSORED BY : DELHI BUREAU OF TEXT BOOKS

SUPPORT MATERIAL
Political Science
Class XII (2016-17)

1.	Dr. O.S. Dhaka	Principal	SV, FU Block, Pitampura
2.	Ms. Renu Kashyap	Lecturer	RPVV, Kishan Ganj
3.	Ms. Nishi Prabha	Lecturer	RPVV, Nand Nagri
4.	Mr. Om Prakash	Lecturer	RPVV, Civil Lines
5.	Mr. Prem Kumar	Lecturer	RPVV, Dwarka
6.	Ms. Muddassir Jahan	Lecturer	SKV, Noor Nagar
7.	Ms. Manju Sardana	Lecturer	SV, FU Block, Pitampura
8.	Ms. Vijay Gaur	Lecturer	SKV, Malka Ganj
9.	Ms. Sarla	Lecturer	GSKV, Shastri Nagar
10.	Ms. Pradeep Tyagi	Lecturer	SBV, Burari

INDEX

1. Question Paper Design

2. भारतीय संविधान: सिद्धांत और व्यवहार

1. संविधान क्यों और कैसे, संविधान का राजनीतिक दर्शन

2. भारतीय संविधान में अधिकार

3. चुनाव और प्रतिनिधित्व

4. कार्यपालिका

5. विधायिका

6. न्यायपालिका

7. संघवाद

8. स्थानीय शासन

9. भारतीय संविधान: एक जीवंत दस्तावेज

राजनीतिक सिद्धांत

10. राजनीतिक सिद्धांत: एक परिचय

11. स्वतंत्रता

12. समानता

13. सामाजिक न्याय

14. अधिकार

15. नागरिकता

16. राष्ट्रवाद

17. धर्म निरपेक्षता

18. शांति

19. विकास

3. प्रैक्टिस शीट

4. सैम्पल पेपर-I

सैम्पल पेपर-II

सैम्पल पेपर-III

S. No.	Typology of Questions	Learning outcomes & testing skills						% Weightage
		Very short answer (1 marks)	Short answer (2 marks)	Long answer I (4 marks)	Map question picture based on passages (5 marks)	Long answer II (6 marks)	Marks	
1	Remembering knowledge based simple recall questions, to know specific facts, terms, concepts, principles, or theories, identify, define, or recite information)		1	2		2	22	22%
2	Understanding (Comprehension to be familiar with meaning and to understand conceptually, interpret, compare, contrast, explain, paraphrase)	2	2	1		1	21	21%
3	Application (Use abstract information in concrete situation, to apply knowledge to new situations; use given content to interpret a situation, provide an example, or solve a problem)	1	1	1		1	25	25%
4	High Order thinking skills (Analysis & Synthesis, classify, compare, contrast, or differentiate between different pieces of information; organize and/or integrate unique pieces of information from a variety of sources) (includes Map interpretation)	1	2	1		1	20	20%
5	Evaluation- (Appraise judge, and/or justify the value or worth of a decision or outcome, or to predict outcomes based on values)	1	1	1		1	12	12%
Total		1x5=5	2x5=10	4x6=24	5x3=15		6x6=36	100 100%

Political Science (028)

Class-XI

(2016-17)

One Paper

Marks: 100

Time: 3 hrs.

Units

Part -A: Indian Constitution at work	Marks
1. Constitution why and How and Philosophy of the Constitution	12
2. Right in the Indian Constitution	10
3. Election and Representation	
4. The Executive	10
5. The Legislature	10
6. The Judiciary	
7. Federalism	10
8. Local Governments	8
9. Constitution as a living documents	
Total	50
Part-B: Political Theory	
10. Political Theory: An Introduction	
11. Freedom	10
12. Equality	
13. Social Justice	10
14. Rights	
15. Citizenship	10
16. Nationalism	10
17. Secularism	
18. Peace	10
19. Development	
Total	50

अध्याय 1

संविधान क्यों और कैसे?

संविधान क्या हैं?

1. किसी देश का संविधान उसकी राजनीति प्रक्रिया (व्यवस्था) का वह मूलभूत ताना—बाना (ढाँचा) निर्धारित करता है, जिसके द्वारा उसकी जनता शासित होती है।
2. संविधान किसी राज्य की सरकार के तीनों प्रमुख अंगों (विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका) की स्थापना करता है।
3. संविधान सरकार के तीनों अंगों की शक्तियों की व्याख्या करता है तथा साथ ही उनके कर्तव्यों की सीमा तय करता है।
4. संविधान सरकार के तीनों अंगों के बीच आपसी सम्बन्धों तथा उनका जनता के साथ संबंधों का विनियमन करता है।
5. संविधान जनता की विशिष्ट सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति, आस्था और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करता है, तथा कुशासन/अराजकता को रोकता है।

संविधान की आवश्यकता:—

1. मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज विभिन्न प्रकार के वर्गों/समुदायों के योग से बनता है। इन वर्गों/समुदायों में तालमेल बैठाने के लिए संविधान जरूरी/आवश्यक है।
2. संविधान जनता में आपसी विश्वास पैदा करने के लिए मूलभूत नियमों का समूह उपलब्ध करवाता है।
3. समाज बहुत बड़ा होता है। इसमें अन्तिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी? संविधान यह तय करता है।
4. संविधान सरकार निर्माण के नियमों एवं उपनियमों तथा उसकी शक्तियों एवं सीमाओं को तय करता है।
5. एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए भी संविधान जरूरी/आवश्यक है।

भारतीय संविधान सभा का निर्माण:-

1. जुलाई 1945 में इंग्लैण्ड में नई लेबर (पार्टी) सरकार सत्ता में आई, तब भारतीय संविधान सभा बनने का मार्ग खुला। वाइस राय लार्ड वेवल ने इसकी पुष्टि की।
2. कैविनेट मिशन योजना के अनुसार—संविधान निर्माण—निकाय की सदस्य संख्या—389 निर्धारित की गई। जिनमें से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गर्वनरों के अधीन ग्यारह प्रांतों से, 04 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरों के चार प्रांतों (दिल्ली, अजमेर—मारवाड़, कुर्ग तथा ब्रिटिश बलूचिस्तान) से और 93 प्रतिनिधि—भारतीय रियासतों से लिए जाने थे।
3. ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में स्थान दिए गए। (10 लाख लोगों पर एक स्थान)
4. प्रत्येक प्रांत की सीटों को तीन प्रमुख समुदायों— मुसलमान, सिख एवं सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया।
5. 3 जून, 1947, मांउटबेटन योजना के अनुसार भारत—पाकिस्तान विभाजन तय हुआ, परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के सदस्य—संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे और भारतीय संविधान सभा के वास्तविक सदस्य संख्या 299 रह गई।

संविधान सभा का आकार / स्वरूप:-

1. संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन—दिन—सोमवार, 09 दिसम्बर 1946 को प्रातः ग्यारह बजे हुआ।
2. 9 दिसम्बर 1946 को डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया तथा 11 दिसम्बर 1946 को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉ. भीमराव अम्बेडकर को चुना गया।
3. 13 दिसम्बर 1946 को पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का 'उद्देश्य प्रस्ताव' प्रस्तुत किया। इसमें भारत के भावी प्रभुता—सम्पन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया।
4. 26 नवम्बर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थी। इस समय अनुसूचियों 8 से बढ़कर 12 हो गई हैं।
5. संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन का समय लगा तथा कुल 166 बैठकें हुईं।

6. 26 नवम्बर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से लागू कर दिया गया।

भारतीय संविधान के स्रोतः—

1. संविधान का लगभग 75 प्रतिशत अंश भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था।
2. 1928 में नियुक्त मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट से 10 मूल मानव अधिकारों को शामिल किया गया।
3. अन्य देशों की संवैधानिक प्रणालीः—

(क) ब्रिटिश संविधानः

- (i) सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला।
- (ii) सरकार का संसदीय स्वरूप।
- (iii) कानून के शासन का विचार।
- (iv) विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी —
कानून निर्माण की विधि।

(ख) अमेरिका का संविधानः

- (i) मौलिक अधिकारों की सूची।
- (ii) न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता।

(ग) आयरलैंड का संविधानः

- (i) राज्य के नीति निर्देशक तत्व।

(घ) फ्रांस का संविधानः

- (i) स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का सिद्धान्त।

(ङ.) कनाडा का संविधानः

- (i) एक अर्द्ध—संघात्मक सरकार का स्वरूप (सशक्त केन्द्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था।)
- (ii) अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धान्त।

प्रश्नावली:

एक अंकीय प्रश्नः—

1. संविधान क्या है?
2. डॉ. भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा मे किस समिति के अध्यक्ष थे?
3. भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे?
4. समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय ओर विकास बनाना किसका पहला कार्य है?
5. नस्ली भेदभाव के पुराने इतिहास का उदाहरण कौन—सा देश है?
6. संविधान सरकार को कौन—सा सामर्थ्य प्रदान करता है?
7. संविधान की प्रस्तावना से क्या अभिप्राय है?
8. 'कठोर संविधान' से आप क्या समझते हैं?
9. 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा सदस्य कितने थे?
10. पुराने सोवियत संघ के संविधान में निर्णय का अधिकार किसे दिया गया था?
11. अंतिम रूप से पारित भारतीय संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए।
12. भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं?
13. संविधान सभा के प्रांतीय विधान सभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किस पद्धति द्वारा किया गया?
14. क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया?
15. क्रिप्स मिशन ने भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या कहा था?

दो अंकीय प्रश्नः—

1. 'संविधान' क्यों महत्वपूर्ण है?
2. यदि संविधान में मूलभूत कानूनों/नियमों का अभाव होता तो क्या होता?
3. भारत मे संविधान सफल है, परन्तु पड़ोसी देश नेपाल में नहीं क्यों?
4. संविधान के दो महत्वपूर्ण कार्य लिखिए।

5. “संविधान समाज की सामूहिक भलाई करने वाला स्रोत है।” उपर्युक्त कथन को दक्षिण-अफ्रीका एवं इंडोनेशिया के संदर्भ में समझाइए।
6. भारतीय संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा तथा कुल कितनी बैठकें हुईं?
7. संविधान सभा की प्रारूप समिति के गठन को संक्षेप में समझाइए।
8. नेहरू जी, द्वारा 1946 में प्रस्तुत ‘उद्देश्य प्रस्ताव’ के दो उद्देश्यों को लिखिए।


चार अंकीय प्रश्नः—

1. भारतीय संविधान सभा के गठन प्रक्रिया / रचना को समझाइए।
2. भारतीय संविधान सभा के गठन में समाहित कोई चार कमियों / दोषों का वर्णन करें।
3. “संविधान को जनता नहीं प्रायः एक छोटा सा समूह ही नष्ट कर देता है।” इस कथन के संदर्भ में भारतीय संविधान को मजबूती देने के लिए क्या—क्या प्रयास किए गए हैं। उल्लेख करें।
4. “नेपाल में संविधान निर्माण विवाद” विषय पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए?
5. एक सफल संविधान के मौलिक प्रावधान कौन—कौन से होते हैं?
6. भारतीय संविधान सभा ने संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्थाओं स्वीकार किया। कैसे? समझाइए।

पाँच अंकीय प्रश्नः—

1. निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़े तथा नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दें—
“दक्षिण अफ्रीका का संविधान सरकार को अनेक उत्तरदायित्व सौंपता है। वह सरकार को पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और अन्यायपूर्ण भेदभाव से व्यक्तियों और समूहों को बचाने को प्रयास करने के लिए कदम उठाने का अधिकार देता है और वह प्रावधान भी करता है कि सरकार धीरे—धीरे सभी के लिए पर्याप्त आवास और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराये।
- (क) दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब बना? (1)
- (ख) क्या संविधान सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों का ही नाम है? (2)
- (ग) दक्षिण अफ्रीका के संविधान में कौन—कौन सी वैशिक समस्याओं को समिलित किया गया है? (2)

2. प्रदर्शित कार्टून को ध्यानपूर्वक देखिए एवं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें:—



- (क) दो मुँह वाला व्यक्ति कौन है? (1)
- (ख) बायी ओर बैठे व्यक्ति किस विचारधारा के हैं? तथा दायीं ओर बैठे व्यक्ति किस विचारधारा के हैं? (2)
- (ग) दोनों विचारधाराओं को संतुलित करने के लिए क्या निर्णय लिया गया? (2)

छ: अंकीय प्रश्न:—

1. हमें संविधान की क्या आवश्यकता है? सविस्तार समझाइए।
2. भारतीय संविधान सभा की रचना, ब्रिटिश मंत्रीमंडल की किस समिति द्वारा प्रस्तावित की गई थी? इस योजना के प्रस्तावों को सविस्तार समझाइए।
3. भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं को समझाइए।
4. उदाहरण सहित सिद्ध कीजिए कि भारतीय संविधान कठोर एवं लचीलापन का समन्वय है?
5. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित निम्नलिखित शब्दों को सविस्तार समझाइए— (क) न्याय, (ख) स्वतंत्रता, (ग) समानता, (घ) बंधुत्व, (ड.) धर्मनिरपेक्षता, (च) समाजवादी।
6. सिद्ध कीजिए कि भारतीय संविधान एक 'पुष्प-गुच्छ' (BOUQUET) की भांती है। जिसमें सभी देशों के फूल समाहित हैं?

अथवा

"भारतीय संविधान उधार लिए गये सिद्धान्तों को टोकरा है।" समझाइए।

उत्तरमाला

एक अंकीय प्रश्नों के उत्तरः—

1. संविधान नियमों, कानूनों और सिद्धांतों का समूह है, जिसके द्वारा किसी राज्य की सरकार शासन करती है।
2. डॉ. भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे।
3. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद।
4. संविधान का।
5. दक्षिण—अफ्रिका।
6. सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम उठाने (कार्य करने) का सामर्थ्य प्रदान करते हैं।
7. संविधान का प्रारम्भिक परिचय ही संविधान की प्रस्तावना है।
8. ऐसा संविधान जिसमें सरलतापूर्वक संशोधन / परिवर्तन नहीं किए जा सकें।
9. 299 सदस्य।
10. कम्यूनिस्ट पार्टी को।
11. 284 सदस्यों में।
12. बारह (12) अनुसूचियाँ हैं।
13. समानुपतिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति द्वारा।
14. मार्च 1942 में।
15. क्रिप्स मिशन ने सुझाया कि—भारतीय संघ की स्थापना संविधान के द्वारा होगी, जिसका निर्माण संविधान सभा द्वारा किया जायेगा।

दो अंकीय प्रश्नों के उत्तरः—

1. वह समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
2. इसके अभाव में समाज का प्रत्येक सदस्य अपने आपको असुरक्षित महसूस करता। क्योंकि उसे इस ज्ञान का अभाव होता कि दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है।
3. भारत में संविधान का निर्माण एक सफल राष्ट्रीय आन्दोलन के बाद बनाया गया जबकि नेपाल में ऐसा नहीं हुआ।

4. (1) मूलभूत नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराना, जिससे समाज में एक दूसरे में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बने।
 (2) यह तय करना कि समाज में अन्तिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी।
5. (1) दक्षिण अफ्रीका का संविधान सरकार को अनेक उत्तरदायित्व सौंपता है, जैसे—पर्यावरण संरक्षण करना तथा अन्यायपूर्ण भेदभाव को समाप्त करना।
 (2) इंडोनेशिया में सरकारी जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए तथा गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल करें।
6. 2 वर्ष, 11 महीने, 18 दिन तथा 166 बैठकें।
7. 29 अगस्त 1947 को डॉ. भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति का गठन। इस समिति ने संविधान का प्रारूप 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा अध्यक्ष को पेश किया।
8. (1) भारत एक स्वतंत्र सम्प्रभु गणराज्य होगा।
 (2) भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, कानून के समक्ष समानता जैसे मौलिक अधिकारों की गारंटी दी जायेगी।

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तरः—

1. पहली बैठक 9 दिसम्बर 1946, अस्थायी अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानन्द। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव। 11 दिसम्बर 1946 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति।
 सदस्य संख्या 389, (292+4+93)। 14 अगस्त 1947, विभाजित भारत संविधान सभा बैठक, कुल बैठकें—166।
2. कमियाँ/दोष— प्रभुत्ता की कमी। प्रातों का वर्गीकरण अनुचित। मुस्लिम समुदाय को खुश करने की कोशिश। देश रियासतों को संविधान को माने के लिए बाध्य नहीं किया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन अलोकतांत्रिक तरीके से किया गया।

3. (i) शक्तियों का विकेन्द्रीकरण— संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची तथा विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में शक्तियों का बंटवारा ।
(ii) स्वतंत्र / संवैधानिक निकायों को शक्तिशाली बनाना, जैस—स्वतंत्र चुनाव आयोग ।
(iii) बाध्यकारी मूल्य नियम प्रक्रिया के साथ कार्यपालिका में लचीलापन तथा साथ ही संविधान की कठोरता ।
4. 1948 के बाद से नेपाल में पांच संविधान बन चुके हैं—1948, 1951, 1959, 1962, 1990 एवं 2006 के बाद बने संविधान पर विरोध जारी हे। वर्तमान में मधेसी आन्दोलन इस के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहा है। अधिकांश जनता संविधान में संशोधन चाहती है।
5. (i) प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कारण अवश्य होना चाहिए ।
(ii) बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना
(iii) समान सुविधाएं उपलब्ध कराना ।
(iv) छोटे सामाजिक समूहों की शक्ति को मजबूत करना ।
(v) समाज में सभी की स्वतंत्रता की रक्षा करना ।
6. (i) संविधान सभा द्वारा सरकार के तीनों अंगों के बीच समुचित संतुलन स्थापित करने के लिए बहुत विचार मंथन किया ।
(ii) विधायिका और कार्यपालिका के बीच तथा केन्द्रीय सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया ।

पांच अंकीय प्रश्नों के उत्तरः—

1. (क) दिसम्बर 1996 में ।
(ख) नहीं, वह सरकार को ऐसी शक्तियाँ भी देता है जिससे वह समाज की सामूहिक—भलाई के लिए काम कर सकें ।
(ग) पर्यावरण संरक्षण, वर्ग भेदभाव, आवास समस्या, स्वास्थ्य समस्या वैशिक गरीबी ।
2. कार्टून — (क) पं. जवाहर लाल नेहरू
(ख) पश्चिमी विचारधारा के लोग
(ग) पूर्वी अर्थात् भारतीय संस्कृति के समर्थक
(घ) दोनों को संतुष्ट करने के लिए जनगणमन को राष्ट्रीयगान और वंदे मातरम् को राष्ट्रीय गीत बनाया ।

छ: अंकीय प्रश्नों के उत्तरः—

1. संविधान की आवश्यकता— देश का सर्वोच्च कानून बनाने, सरकार का निर्माण करने, शासन—व्यवस्था के तरीके बताने, सरकारों के प्रकारों (संसदात्मक/अध्यक्षात्मक/एकात्मक/संघात्मक) की जानकारी देने, सरकार के अंगों के बीच शक्तियों का बंटवारा करने। मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए है तथा अन्य।
2. (i) ब्रिटिश मंत्रिमंडल समिति—‘कैबिनेट मिशन’।
(ii) सदस्यों का चयन — ब्रिटिश प्रान्तों से (292) + देशी रियासतों से (93) + चीफ कमिशनरों से (4) = 389 सदस्य।
(iii) प्रत्येक प्रांत की सीटों को तीन प्रमुख समुदायों—मुसलमान, सिख और सामान्य में बंटवारा।
(iv) प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना।
(v) देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श इसे तय किया गया आदि।
3. संविधान की विशेषताएँ—
 - (i) जन प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित, लिखित एक सम्पूर्ण संविधान।
 - (ii) यह सम्पूर्ण प्रभुत्वसंपन्न, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य का निर्माण करता है।
 - (iii) नागरिकों को मूल अधिकार के साथ मूल कर्तव्यों की याद दिलाता है।
 - (iv) स्वतंत्र न्यायपालिका है।
 - (v) संसदीय शासन व्यवस्था।
 - (vi) राज्य के नीति निर्देशक तत्व आदि।
4. भारतीय संविधान कठोर एवं लचीलापन का समन्वय—सैद्धांतिक तौर पर भारत का संविधान कठोर है— अनुच्छेद 368 के अनुसार कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के सदस्यों के दो तिहाई बहुमत के अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों का समर्थन आवश्यक है। (विशेष बहुमत) — लचीलापन बहुत से संशोधन प्रावधानों को संसद के साधारण बहुमत से पास कर के संशोधित कर दिया जाता है।

5. न्याय—सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना।
स्वतंत्रता—अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास, धर्म, कर्म और उपासना भवित की स्वतंत्रता।
समानता—सभी प्रकार के भेदभावों का अन्त या भेदभावों से मुक्ति।
बंधुत्व—देश के हर नागरिक के बीच आपसी प्यार/स्नेह के भाव पैदा करना।
धर्म निरपेक्षता—सभी धार्मिक विचारों वाले नागरिकों को धर्म को मानने की आजादी।
समाजवादी—सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक जन कल्याण, समाज कल्याण के कार्य हो, लोकहित कारी कार्य हो। समाज सर्वोपरी।
6. भारतीय संविधान एक 'पुष्प गुच्छ' इस रूप में है कि इस गुच्छ में विभिन्न देशों के संविधानिक सिद्धान्त रूपी फूल शामिल किए गये हैं। और सिद्धान्तों को टोकरे के रूप में देखे तो टोकरे में विभिन्न वस्तुएं होती हैं उसी भाँति इस भारतीय संविधान रूपी टोकरे में—इंग्लैण्ड अमेरिका, आयरलैण्ड, कनाडा, आस्ट्रेलिया जैसे देशों के संविधानिक सिद्धान्तों रूपी वस्तुएं इस टोकरे की शोभा बढ़ा रहे हैं।


संविधान का राजनीतिक दर्शन

संविधान के दर्शन से अभिप्राय संविधान की बुनियादी अवधारणाओं से है जैसे अधिकार, नागरिकता, लोकतंत्र आदि।

संविधान में निहित आदर्श जैसे समानता, स्वतंत्रता हमें संविधान के दर्शन करवाते हैं।

हमारा संविधान इस बात पर जोर देता है कि उसके दर्शन पर शांतिपूर्ण व लोकतांत्रिक तरीके से अमल किया जाए तथा उन मूल्यों को जिन पर नीतियां बनी हैं, इन नैतिक की बुनियादी अवधारणाओं पर चल कर उद्देश्य प्राप्त करें।

**संविधान का मुख्य सार— संविधान की प्रस्तावना
प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है**



जवाहर लाल नेहरू के अनुसार—“भारतीय संविधान का निर्माण परंपरागत सामाजिक ऊँच नीच के बंधनों को तोड़ने और स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय के नए युग में प्रवेश के लिए हुआ। यह कमजोर लोगों को उनका वाजिब हक सामुदायिक रूप में हासिल करने की ताकत देता है।”

संविधान की कुछ विशेषताओं का वर्णनः—

1. **स्वतंत्रता**—संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान इसके अंतर्गत भारत के सभी नागरिकों को विचार—विमर्श अभिव्यक्ति, सभा व सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है।
2. **सामाजिक न्याय**— भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो। उदाहरण— अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान।
3. **अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान**— अल्पसंख्यक समुदायों को धार्मिक और परोपकारी कार्यक्रमों के लिए संस्थाएं स्थापित करना और अपनी इच्छानुसार शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करने का भी अधिकार है।
4. **धर्म—निरपेक्षता**— धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है ‘सर्वधर्म समभाव’ धर्म से दूरी बनाए रखना है। हमारा संविधान धर्म के आधार पर भेद नहीं करता। राज्य धर्म में और धर्म राज्य में हस्तक्षेप नहीं करता परंतु धर्म के नाम पर किसी व्यक्ति के आत्म सम्मान को ठेस पहुँचाता है तो राज्य हस्तक्षेप करता है। राज्य किसी धार्मिक शिक्षा संस्था को आर्थिक सहायता भी दे सकता है।
5. **सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार** — देश के सभी वयस्क नागरिकों (18 वर्ष) को अपने प्रतिनिधियों की चयन प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है। यह अधिकर बिना जाति लिंग भेदभाव के सभी नागरिकों को प्राप्त है।
6. **संघवाद**— भारतीय संविधान में शक्तियों का विकेन्द्रीकरण है। इसमें दो सरकारों की बात की गई है
 - a) एक केन्द्रीय सरकार— संपूर्ण राष्ट्र के लिए
 - b) दूसरी राज्य सरकार— प्रत्येक राज्य के लिए अपनी सरकारदो सरकारों के बाद भी अधिक शक्तियाँ केन्द्र सरकार के पास हैं। राज्यों की जिम्मेदारियाँ अधिक हैं।


प्रक्रियागत उपलब्धि—

1. संविधान का विश्वास राजनीतिक विचार विमर्श से है। संविधान सभा असहमति को भी सकारात्मक रूप से देखती है।
2. संविधान सभा किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर फैसला बहुमत से नहीं, सबकी अनुमति से लेना चाहते थी। वे समझौतों को महत्व देते थे। (शिक्षक कक्षा में बहुमत व सर्व अनुमति को स्पष्ट करेंगे।)
संविधान सभा जिन बातों पर अडिग रही वही हमारे संविधान को विशेष बनाती है।

संविधान की आलोचना के बिंदु—

1. बहुत लंबा तथा विस्तृत—395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ।
2. पश्चिमी देशों के संविधानों से इसके प्रावधान लिए गए हैं।
3. संविधान के निर्माण में सभी समूहों के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे।

संविधान में दिखने वाली मुख्य सीमाएँ—



प्रश्नावली:

एक अंकीय प्रश्नः—

1. हमारा संविधान किसके प्रति प्रतिबद्ध है?
2. भारत में किस राज्य का अपना संविधान है?
3. संविधान के दर्शन की झलक संविधान के किस भाग में मिलती है?
4. भारत में राज्य को धर्म के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप की आवश्यकता क्यों है?
5. किस देश के संविधान को शांति संविधान कहा जाता है?
6. पारस्परिक निषेध का क्या अर्थ है?
7. अनुच्छेद 371A क्या है?
8. मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं?
9. किसने 19वीं सदी के शुरूआती समय में ही प्रेस की आज़ादी की कांट छांट का विरोध किया था?
10. मोती लाल नेहरू रिपोर्ट में मताधिकार के बारे में क्या सुझाव दिया था?

दो अंकीय प्रश्नः—

1. भारतीय संविधान की आलोचनाओं का उल्लेख करो।
2. अनुसूचित जाति और जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए संविधान में कौन से उपाय किए गए हैं?
3. भारतीय संविधान की क्या सीमाएं हैं?
4. संविधान राज्य पर कैसे अंकुश लगाता है?
5. भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य लिखो।
6. संविधान के राजनीति दर्शन से आप क्या समझते हैं?
7. सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार क्या है और उसे एक उपलब्धि क्यों माना जाता है?

चार अंकीय प्रश्नः—

1. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किन्हीं चार आदर्शों को समझाइए।
2. धर्मनिरपेक्षता के संबंध में भारतीय ओर पश्चिमी दृष्टिकोण के अंतर को स्पष्ट करो।
3. मौलिक अधिकारों का अर्थ तथा महत्व बताइए।
4. भारत में संविधान की सर्वोच्चता है? स्पष्ट करें।

पांच अंकीय प्रश्नः—

निम्न अंकित कार्टून का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें :—



1. यह कार्टून किस धारणा पर आधारित है?
2. 'अंपायर' लोकतंत्र है इस का क्या तात्पर्य है?
3. भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन किस पर आधारित है?

पांच अंकीय प्रश्न :—

निम्न अवतरण को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दो।

संविधान के बारे में गौर करने वाली बात है कि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है। यह प्रतिबद्धता एक सदी तक निरंतर चली बौद्धिक और राजनीतिक गतिविधियों का परिणाम है। 19 वीं सदी में ही राममोहन राय ने प्रेस की आजादी की काट छांट का विरोध किया था। अंग्रेजी सरकार प्रेस की आजादी पर प्रतिबंध लगा रही थी। राममोहन राय का तर्क था कि जो राज्य व्यक्ति की जरूरतों का ख्याल रखता है उसे चाहिए कि वह व्यक्ति को अपनी जरूरतों की अभिव्यक्ति का साधन प्रदान करें इसलिए राज्य के लिए जरूरी है कि वह प्रकाशन की असीमित आजादी प्रदान करें।

1. संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई।

(1)

2. जब अंग्रेजो ने प्रेस की आजादी पर प्रतिबंध लगाया तो किसने उसका विरोध किया और कैसे? (2)
3. प्रेस की स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है। (2)

छ: अंकीय प्रश्न—

1. भारतीय संविधान के राजनीतिक दर्शन की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या करें।
2. संविधान को लोकतांत्रिक बदलाव का साधन क्यो माना जाता है?

उत्तरमाला

एक अंकीय उत्तरः—

1. स्वतंत्रता लोकतंत्र, समानता, सामाजिक न्याय, एकता।
2. जम्मू कश्मीर।
3. प्रस्तावना।
4. धर्म से संबंधित रिवाज़ जैसे छुआछूत नीतियों को समाप्त किया जा सकें।
5. जापान।
6. राज्य व धर्म एक दूसरे के अंदरूनी मामलों से दूर रहेंगे।
7. अनुच्छेद 371A में नागालैंड (पूर्वोत्तर का प्रदेश) को विदेश दर्जा दिया गया है।
8. वह अधिकार जो व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी है। और जिन्हें संविधान में सूचीबद्ध करके सुरक्षा प्रदान की जाती है।
9. राजा राममोहन राय।
10. 24 वर्ष की आयु के हर व्यक्ति स्त्री या पुरुष को मताधिकार।

दो अंकीय उत्तरः—

1. a) संविधान ढीला और अस्त व्यस्त
b) भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं
c) उधार मांगा हुआ संविधान।
d) सबकी नुमाइंदगी नहीं। (कोई दो)
2. a) उचित प्रतिनिधित्व, संसद में सीटों का आरक्षण
b) सरकारी नौकरी तथा शिक्षा संस्थानों में भी आरक्षण
3. a) राष्ट्रीय एकता की धारणा केन्द्रीकृत
b) सामाजिक आर्थिक अधिकारों को राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाले खंड में डाला गया है।
c) लिंगगत न्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों जैसे परिवार से जुड़े मामलों पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है।
4. संविधान सिद्धान्तों का समूह है जिसके माध्यम से राज्य की सीमाएं निर्धारित होती जिससे किसी समूह के हितों का नुकसान न हो और लोगों के अधिकारों का दुरुपयोग न हो।

5. कुछ मौलिक कर्तव्य
 - a) संविधान का पालन
 - b) राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान
 - c) देश की एकता व अखण्डता की रक्षा
 - d) देश की रक्षा
 - e) पर्यावरण को स्वच्छ रखना
 - f) सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा
6. स्वतंत्रता समानता, लोकतंत्र, न्याय तथा राष्ट्रीय एकता का अध्ययन ही वास्तव में संविधान के राजनैतिक दर्शन को अभिव्यक्त करता है।
7. भारत के सभी लोगों को जो 18 वर्ष के हो चुके हैं उन्हें मत देने का अधिकार है।

सार्वभौम मताधिकार उस समय प्रदान किया गया जब पश्चिम में कामगार वर्ग और महिलाओं को मताधिकार प्रदान नहीं किया गया था।

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तर :—

1. a) प्रभुत्व संपन्न e) गणराज्य
 b) समाजवादी f) न्याय (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक)
 c) धर्मनिरपेक्ष g) स्वतंत्रता (विचार, अभिव्यक्ति, धर्म)
 d) लोकतंत्र h) समानता
2. **भारतीय धर्मनिरपेक्षता**— यह पूरी तरह से राज्य और धर्म का पारस्परिक निषेध नहीं मानती। धर्म का राज्य का प्रभुत्व नहीं है परंतु धर्म राज्य काज में और राज्य धर्म काज में हस्तक्षेप करेगा पर अगर कोई धर्म व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुँचाता है तो राज्य हस्तक्षेप कर सकता है।
पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता— धर्म व्यक्ति का निजी मामला। धर्म व राज्य दोनों एक दूसरे के अंदरूनी मामले से दूर रहेंगे।
3. ऐसे अधिकार जो जीवन के लिए मूल या आवश्यक हो ओर जिन्हें संविधान के द्वारा दिया गया हो।
 महत्व— 1) लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार
 2) सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध
 3) सामाजिक आर्थिक न्याय को बढ़ावा
 4) संविधान के आधार स्तंभ
 5) अल्पसंख्यकों में सुरक्षा और आत्मविश्वास बढ़ाता है।

4. संविधान की सर्वोच्चता

- a) लिखित संविधान— सरकार का कार्य व अधिकार निर्धारित
- b) सरकार के विभिन्न अंग व संघ की सीमाओं का स्पष्ट निर्धारण
- c) कोई संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता है।
- d) कोई शक्ति संविधान से ऊपर नहीं है।

छ: अंकीय उत्तरः—

- 1. a) व्यक्ति की स्वतंत्रता
b) सार्वभौमिक मताधिकार
c) संघवाद (असमतोल)
d) विविधता और अल्पसंख्यकों के अधिकार का सम्मान
e) राष्ट्रीय एकता
f) समानता
g) सामाजिक न्याय
- 2. a) संविधान सत्ता को निरंकुश होने से बचाता है।
b) संविधान सबके हितों का रक्षक (सभी वर्गों तथा जातियों का)
c) सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधन प्रदान करता है।
d) कमज़ोर वर्गों को सत्ता में आने का अवसर मिलता है क्योंकि सभी को सार्वभौमिक मताधिकार है।

अध्याय 2

भारतीय संविधान में अधिकार

विशेष बिन्दु—

अधिकार— अधिकार वे ‘हक’ हैं। जो एक आम आदमी को जीवन जीने के लिए चाहिए, जिसकी वो मांग करता है।

अधिकारों का घोषणा पत्र—

अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है ऐसी सूची को ‘अधिकारों का घोषणा पत्र’ कहते हैं। जिसकी मांग 1928 में नेहरू जी ने उठाई थी।

भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार—

भारत के स्वतंत्रता—आन्दोलन के दौरान क्रांतिकारियों/स्वतंत्रता नायकों द्वारा नागरिक अधिकारों की मांग समय—समय पर उठाई जाती रही। 1928 में भी मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। फिर स्वतंत्रता के बाद इन अधिकारों में से अधिकांश को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया गया। 44 वें संविधान संशोधन द्वारा सम्पति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाला गया।

सामान्य अधिकार—

वे अधिकार जो साधारण कानूनों की सहायता से लागू किए जाते हैं तथा इन अधिकारों में संसंद कानून बना कर के परिवर्तन कर सकती है।


मौलिक अधिकार—

वे अधिकार जो संविधान में सूचीबद्ध किए गए हैं तथा जिनको लागू करने के लिए विशेष प्रावधान किए गये हैं। इनकी गांरटी एवं सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। इन अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता।


भारतीय संविधान के भाग तीन में वर्णित छ: मौलिक अधिकार निम्न प्रकार हैं—

- i) समानता का अधिकार (14–18 अनुच्छेद)
- ii) स्वतंत्रता का अधिकार (19–22 अनुच्छेद)
- iii) शोषण के विरुद्ध अधिकार (23–24 अनुच्छेद)

- iv) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (25–28 अनुच्छेद)
- v) संस्कृति एवं शिक्षा संबंधि (29–30 अनुच्छेद)
- vi) संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)



2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19–22)—



स्वतंत्रता—‘भाषण एवं अभिव्यक्ति, संघ बनाने, सभा करन भारत भर में भ्रमण करने, भारत के किसी भाग में बसने और स्वतंत्रता पूर्वक कोई भी व्यवसाय करने की।

अपराध में अभियुक्त या दंडित व्यक्ति को सरक्षण प्रदान करना।



कानूनी प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को जीने की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता।
अनुच्छेद 21(क)– RTE, 2002, 86 वां संविधान संशोधन शिक्षा मौलिक अधिकार, वर्ष 6 से 14 आयु मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा।




किसी भी नागरिक की विशेष मामलों में गिरफ्तारी एवं हिरासत से सुरक्षा प्रदान करना।

नोट— 93वें संशोधन (2002) द्वारा शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 211 (ए) में जोड़ा गया।

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23–24)–

- i) अनुच्छेद 23, मानव व्यापार (तस्करी) और बल प्रयोग द्वारा बेगारी, बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध— जब भारत आजाद हुआ, तब भारत के कई भागों में दासता और बेगार प्रथा प्रचलित थी। जमींदार किसानों से काम करावाता था, परन्तु मजदूरी नहीं देता था। विशेषकर स्त्रियों को पशुओं की तरह खरीदा और बेचा जाता था।
- ii) अनुच्छेद 24 – खदानों, कारखानों और खतरनाक कामों में बच्चों की मनाही –


अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी जोखिम वाले काम पर नहीं लगाया जायेगा, जैसे— खदानों में, कारखानों में या 24 घण्टे चलने वाली ढाबा या रेस्ट्रॉमें।



4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार—




5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29-30)—



6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)–

संविधान के जनक, डॉ. अम्बेडकर ने इस अधिकार को “संविधान का हृदय और आत्मा” की संज्ञा दी है। इसके अंतर्गत न्यायलय कई विशेष आदेश जारी करते हैं जिन्हें रिट कहते हैं। जो निम्न प्रकार हैं—



दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसम्बर 1996 में लागू हुआ, जब रंगभेद वाली सरकार हटने के बाद देश गृहयुद्ध के खतरे से जूझ रहा था, दक्षिण अफ्रीका में अधिकारों को घोषणा पत्र प्रजातंत्र की आधारशिला है।

दक्षिण—अफ्रीका के संविधान में सूचीबद्ध प्रमुख अधिकार—

- i) गरिमा का अधिकार।
- ii) निजता का अधिकार।
- iii) श्रम—संबंधी समुचित व्यवहार का अधिकार।
- iv) स्वास्थ्य पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण का अधिकार।
- v) समुचित आवास का अधिकार।
- vi) स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन, पानी और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार।
- vii) बाल अधिकार।

- viii) बुनियादी और उच्च शिक्षा का अधिकार ।
- ix) सूचना प्राप्त करने का अधिकार ।
- x) सांस्कृतिक, धार्मिक ओर भाषाई समुदायों का अधिकार ।

राज्य के नीति—निर्देशक तत्व क्या है?—

(क) स्वतंत्र भारत में सभी नागरिकों में समानता लाने और सबका कल्याण करने के लिए मौलिक अधिकारों के अलावा बहुत से नियमों की जरूरत थी। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के तहत ऐसे ही नीतिगत निर्देश सरकारों को दिए गए हैं, जिनको न्यायलय में चुनौती नहीं दी जा सकती है परन्तु इन्हें लागू करने के लिए सरकार से आग्रह किया जा सकता है। सरकार का दायित्व है कि जिस सीमा तक इन्हें लागू कर सकती है, करें।

(ख) प्रमुख नीति निर्देशक तत्वों की सूची में तीन प्रमुख बातें हैं—

- i) वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए।
- ii) वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए।
- iii) वे नीतियाँ जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए।

नागरिकों के मौलिक कर्तव्य—

1976 में, 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची (अनुच्छेद-51(क)) का समावेश किया गया है। इसके अन्तर्गत नागरिकों के दस मौलिक कर्तव्य निम्न हैं:—

- i) संविधान का पालन करना, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना।
- ii) राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। ,
- iii) भारत की सम्प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना।
- iv) राष्ट्र रक्षा एवं सेवा के लिए तत्पर रहना।
- v) नागरिकों में भाईचारे का निर्माण करना।
- vi) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली पंरपरा के महत्व को समझे और उसको बनाए रखें।

- vii) प्राकृतिक पर्यावरण का सरंक्षण करें।
- viii) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।
- ix) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाएं और हिंसा से दूर रहें।
- x) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें।

नीति–निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों में संबंध—

- i) दोनों एक दूसरें के पूरक हैं। जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व उसे कुछ कार्यों को करने की प्रेरण देते हैं।
- ii) मौलिक अधिकार खास तौर पर व्यक्ति के अधिकारों को सरंक्षित करते हैं, वहीं पर नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं।

नीति–निर्देशक तत्वों एवं मौलिक अधिकारों में अन्तर—

मौलिक अधिकारों को कानूनी सहयोग प्राप्त है परन्तु नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी सहयोग प्राप्त नहीं है। अर्थात् मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर आप न्यायलय में जा सकते हैं परन्तु नीति निर्देशक तत्वों के उल्लंघन पर न्यायलय नहीं जा सकते।

प्रश्नावली:

एक अंकीय प्रश्नः—

1. अधिकारों का घोषणा—पत्र किसे कहते हैं?
2. किसी एक व्यक्ति के नागरिक अधिकारों को अन्य व्यक्ति या निजी संगठन से खतरा है। इस स्थिति में खतरे से सुरक्षा कौन प्रदान करेगा?
3. मोतीलाल नेहरू समिति क्या थी?
4. सामान्य अधिकार किसे कहते हैं?
5. मौलिक (मूल) अधिकारों से क्या अभिप्राय है?
6. दक्षिण—अफ्रीका का संविधान कब लागू हुआ?
7. दुनियां में संभवतः सबसे अधिक व्यापक अधिकार किन नागरिकों को मिले हैं?
8. क्या मौलिक अधिकार पूर्ण अधिकार है?
9. भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित हैं?
10. कौन—सा अनुच्छेद कहता है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता।
11. निवारक नजरबंदी किसे कहते हैं?
12. परमादेश का क्या अर्थ है?
13. अधिकार पृच्छा से आप क्या समझते हैं?
14. उत्प्रेषण रिट क्या होती है?
15. संविधान का हृदय और आत्मा किस अधिकार को कहा जाता है?

दो अंकीय प्रश्नः—

1. भारतीय संविधान में वर्णित / सूचीबद्ध छः अधिकारों को मूल (मौलिक) की संज्ञा क्यों दी गई है?
2. मौलिक अधिकारों को किस परिस्थिति में निलम्बित किया जा सकता है?
3. भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है?
4. बंधुआ मजदूरी से आप क्या समझते हैं?
5. बन्दी प्रत्यक्षीकरण क्या है?
6. शोषण के विरुद्ध अधिकार के अन्तर्गत कौन—से दो प्रावधान हैं?
7. मौलिक अधिकारों के दो महत्व लिखिए।
8. कानूनी अधिकार कौन—से होते हैं?
9. क्या नीति निर्देशक तत्व न्याय संगत है?

10. मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में अन्तर लिखिए।
11. मौलिक अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों के मध्य विवाद केन्द्र में कौन—सा अधिकार था?

चार अंकीय प्रश्नः—

1. हमें मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों है?
2. भारतीय संविधान में कब किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? किन्हीं तीन कर्तव्यों का वर्णन कीजिए।
3. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर टिप्पणी लिखिए।
4. हमारे संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की चार विशेषताएं लिखिए।
5. अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताओं में से किन्हीं चार को समझाइए।
6. नीति निर्देशक तत्व क्या है? इनकी तीन प्रमुख बातें लिखिए।

पांच अंकीय प्रश्नः—

1. निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए—

“संविधान में कुछ नीति निर्देशक तत्वों का समावेश तो किया गया है लेकिन उन्हें न्यायलय के माध्यम से लागू करवाने की व्यवस्था नहीं की गई। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि सरकार किसी निर्देश को लागू नहीं करती तो हम न्यायलय में जाकर यह मांग नहीं कर सकते कि उसे लागू कराने के लिए न्यायलय सरकार को आदेश दें। संविधान निर्माताओं का मानना था कि इन निर्देशक तत्वों के पीछे जो नैविक शक्ति है वह सरकार को बाध्य करेगी कि सरकार नीति निर्देशक तत्वों को गंभीरता से ले।”

(क) संविधान में वर्णित नीति निर्देशकों को किसका पूरक माना गया है? (1)

(ख) क्या नीति—निर्देशक तत्वों के उल्लंघन पर आप न्यायलय जा सकते हैं? (1)

(ग) राज्यों को नीति—निर्देशक तत्वों को लागू करवाने में कौन—सी शक्ति काम करती है? (1)

(घ) नीति निर्देशक तत्वों एवं मौलिक अधिकारों में अन्तर करो। (2)

छ: अंकीय प्रश्नः—

1. भारतीय संविधान में निहित / सूचीबद्ध मूल / मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए।
2. समानता के अधिकार को निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत समझाइए—
 - (क) कानून के समक्ष समानता।
 - (ख) भेदभाव को निषेध (मनाही)
 - (ग) रोजगार (नौकरियों) में अवसर की समानता।
3. धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को लोकतंत्र का प्रतीक या आधार माना जाता है। उपर्युक्त कथन को तर्क सहित सिद्ध कीजिए।
4. डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने किस अधिकार को 'संविधान का हृदय और आत्मा' की संज्ञा दी है। इसके अन्तर्गत न्यायालय द्वारा जारी विशेष आदेशों (रिटों) को सविस्तार समझाइए। ($1+5=6$)
5. नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्यों एवं नीतियों को सविस्तार समझाइए
6. मौलिक अधिकारों एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

उत्तरमाला

एक अंकीय प्रश्नों के उत्तरः—

1. संविधान द्वार प्रदत्त ओर संरक्षित अधिकारों की सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं।
2. सरकार।
3. 1928 में, स्वतंत्रता सेनानी मोती लाल नेहरू द्वारा अंग्रेजों से भारतीयों के लिए अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग की, उसे नेहरू समिति कहा गया।
4. वे अधिकार जो साधारण कानूनों की सहायता से लागू किये जाते हैं।
5. इनको मौलिक अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास में सहायक होते हैं।
6. दिसम्बर 1996 में
7. दक्षिण—अफ्रीका के नागरिकों को।
8. नहीं, यह पूर्ण नहीं है कुछ विशेष परिस्थितियों (आपातकाल) में निलंबित भी किया जा सकता है।
9. भाग तीन में।
10. अनुच्छेद—16 (4)।
11. किसी व्यक्ति को इस आशंका के आधार पर गिरफ्तार करना कि वह कोई गैर—कानूनी कार्य करने वाला है, इसे ही निवारक नजरबंदी कहते हैं।
12. अर्थ है—हम आदेश देते हैं। निचली अदालत अथवा किसी व्यक्ति को अपना कर्तव्य करने के लिए मजबूर करना।
13. यह आदेश (रिट) उस व्यक्ति के खिलाफ जारी होता है, जिसने गलत तौर पर पद हासिल कर लिया हो।
14. उत्प्रेषण रिट का अर्थ है— हमें सूचना दी जाएं। इसमें निचली अदालत को किसी विशेष मामले का ब्यौरा उच्च या उच्चतर अदालत को देने का आदेश होता है।
15. संवैधानिक उपचारों के अधिकार को।

दो अंकीय उत्तरः—

1. यह अधिकार वर्षों से चले आ रहे मूल्यों एवं सिद्धान्तों का प्रतीक है। इनके द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है।

2. मौलिक अधिकार, विशेषकर अनुच्छेद-19 आपातकाल की स्थिति में निलम्बित किए जा सकते हैं।
3. इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपने विचारों को शब्दों के रूप में लिखकर, प्रेस द्वारा छपवाकर, तस्वीरों के द्वारा या कियी अन्य माध्यम से लागों तक पहुंचाना।
4. जर्मीदारों, सूदखोरों और अन्य धनी लोगों द्वारा गरीबों से पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूरी करवाना। अब इसे अपराध घोषित कर दिया गया।
5. न्यायालय द्वारा किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय/जज के सामने उपस्थित होने/करने का आदेश दिया जाना बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है।
6. (i) अनुच्छेद-23 राज्य पर सकारात्मक जिम्मेदारी डालता है कि वह व्यक्तियों के व्यापार, तथा बेगारी एवं बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाए।
(ii) अनुच्छेद-14, राज्य 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को खदानों, कारखानों एवं खतरनाक काम करवाने पर रोक लगाए।
7. (i) नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
(ii) भारतीय लोकतंत्र का आधार है।
8. कानूनी अधिकार वे अधिकार होते हैं जिन्हें किसी देश के संविधान ने सूचीबद्ध कर रखा है। तथा जिसे उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ता को सजा मिलती है।
9. नहीं, नीति निर्देशक तत्व न्याय संगत नहीं है। इनके उल्लंघन पर आप न्यायालय में नहीं जा सकते।
10. अन्तर— (i) मौलिक अधिकार न्याय संगत है। नीति निर्देशक तत्व न्याय संगत नहीं है।
(ii) मौलिक अधिकारों का स्वरूप निषेधकारी है। जबकि नीति निर्देशक तत्वों का स्वरूप सकारात्मक है।
11. सम्पत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक-अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया।

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तर—

1. मौलिक अधिकार व्यक्ति के मूल विकास, सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं। समाज में समानता, स्वतंत्रता, बन्धुत्व, आर्थिक, सामाजिक विकास लाने में सहयोग प्रदान करते हैं।
2. 1976 में, 42 वें संविधान संशोधन द्वारा, देश की रक्षा करना, देश में भाईचारा बढ़ाना, पर्यावरण की रक्षा करना, संविधान का सम्मान।
3. 2000 में राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन। सदस्य—एक भूतपूर्व सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, एक भूतपूर्व उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा मानवधिकारों के संबंध में ज्ञान रखने या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले दो सदस्य होते हैं। कार्य—शिकायते सुनना, जांच करना तथा पीड़ित को राहत पहुंचाना।
4. मौलिक अधिकारों की विशेषताएँ— (i) विस्तृत एवं व्यापक—संविधान के भाग तीन की 24 धाराओं में वर्णित। (ii) मौलिक अधिकार बिना भेदभाव के सभी के लिए। (iii) मौलिक अधिकार असीमित नहीं है—आपातकाल में इन पर प्रतिबंध लग सकता है। (iv) न्याय संगत है—किसी के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर वह न्यायालय जा सकता है।
5. अनुच्छेद-19 (i) भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
(ii) संघ / समिति बनाने की स्वतंत्रता।
(iii) सभा करने की स्वतंत्रता।
(iv) भ्रमण करने की स्वतंत्रता।
(v) व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। (कोई चार)
6. मौलिक अधिकारों के अलावा जन कल्याण एवं राज्य के उत्थान के जरूरी नियमों को 'राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त' के रूप में जाना जाता है। ये इन तत्वों के पीछे नैतिक शक्ति काम करती है। तीन प्रमुख बातें—
(i) वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए।
(ii) वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए।
(iii) वे नीतियां जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए।

पांच अंकीय प्रश्नों के उत्तर— (संकेत)

1. (क) नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार का पूरक माना गया है।
(ख) नीति निर्देशक तत्वों के उल्लंघन पर न्यायालय नहीं जा सकते हैं
(ग) नैतिक शक्ति अथवा जनमत की शक्ति।
(घ) (i) मौलिक अधिकार न्याय संगत है। नीति निर्देशक तत्व न्याय संगत नहीं है।
(ii) मौलिक अधिकार कुछ कार्यों को करने पर प्रतिबंध लगाते हैं जबकि निर्देशक तत्व कार्य करने की प्रेरणा देते हैं।
(iii) मौलिक अधिकार व्यक्ति से तो निर्देशक तत्व समाज (राज्य) से संबंधित हैं। (कोई दो)।

छः अंकीय प्रश्नों के सांकेतिक उत्तर—

1. मौलिक अधिकार— (i) समता, (ii) स्वतंत्रता, (iii) शोषण के विरुद्ध अधिकार।
(iv) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (v) शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। (vi) संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
2. (i) कानून की नजर में गरीब एवं अमीर एक समान हैं। कानून की धाराएं सभी पर एक समान लागू होती हैं।
(ii) रंग, जाति, नस्ल, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव की मनाही।
(iii) रोजगार (नौकरियों) में अवसर—समान योग्यता, समान पेपर, समान परीक्षा में बैठने के मौके (अवसर)।
3. एक लोकतांत्रिक देश में प्रत्येक नागरिक महत्वपूर्ण होता है। उसको मत, धर्म, विचार मानने की आजादी होती है। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। इसलिए इस अधिकार को लोकतंत्र का प्रतीक कहते हैं। (i) किसी भी धर्म को मानने एवं प्रचार करने की आजादी। (ii) सर्वजन हिताय—धार्मिक समुदाय बनाने की आजादी। (iii) धर्म विशेष के लिए कर (TAX) न देने की आजादी। (iv) सरकारी स्कूल कॉलेजों में धार्मिक शिक्षा पर पाबंदी।
4. संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉ. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। रिट—(i) बंदी प्रत्यक्षीकरण (ii) परमादेश (iii) प्रतिषेध (iv) अधिकार पृच्छा (v) उत्प्रेषण।
5. उद्देश्य — लोगों का कल्याण, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय।

- जीवन स्तर ऊँचा उठाना, संसाधनों का समान वितरण।
 - अन्तर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा।
- नीतियां – समान नागरिक संहिता, मध्यपान निषेध, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा, उपयोगी पशुओं को मारने पर रोक। ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन।
- 6. (i) मौलिक अधिकार न्याय योग है। नीति निर्देशक तत्व नहीं।
(ii) मौलिक अधिकार निषेधात्मक जबकि नीति निर्देश तत्व सकारात्मक है।
(iii) मौलिक अधिकार व्यक्ति से जबकि नीति निर्देशक तत्व समाज से संबंधित है।
(iv) मौलिक अधिकार का क्षेत्र सीमित है। नीति निर्देशक तत्वों का क्षेत्र विस्तृत है।
(v) मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र है। निर्देशक तत्व आर्थिक लोकतंत्र है आदि।
(vi) मौलिक अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। निर्देशक तत्वों को लागू करवाना है।

अध्याय 3

चुनाव और प्रतिनिधि

विशेष बिन्दु—

चुनाव— अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिस विधि द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनती है उसे चुनाव (निर्वाचन) कहते हैं।

प्रतिनिधि—

अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिस व्यक्ति का चुनाव करके सरकार में (संसद / विधानसभा) में भजती है, उस व्यक्ति को प्रतिनिधि कहते हैं।

प्रत्यक्ष लोकतंत्र—

प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में जनता एक स्थान पर प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित होकर हाथ उठाकर रोजमर्रा (दैनिक) के फैसले तथा सरकार चलाने में भाग लेते थे। जिसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं।

अप्रत्यक्ष लोकतंत्र—

आधुनिक विशाल जनसंख्या वाले राष्ट्रों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवहारिक नहीं रहा। आम जनता प्रत्यक्ष रूप से एक स्थानपर एकत्रित होकर सीधे सरकार की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकती है। इसलिए अपने प्रतिनिधियों को भेजकर सरकार में अपनी उपस्थित दर्ज करवाई जाती है। इसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं।

चुनाव और लोकतंत्र—

चुनाव और लोकतंत्र एक सिक्के के दो पहलू हैं। लोकतंत्र चुनाव के बिना अधूरा है तो चुनाव लोकतंत्र के बिना महत्वहीन है।

भारत में चुनाव व्यवस्था—

भारतीय संविधान में चुनावों के लिए कुछ मूलभूत नियम कानून एवं स्वायत्त संस्था के गठन के नियमों को सूचीबद्ध कर रखा है। विस्तृत नियम कानून संशोधन। परिवर्तन का काम विधायिका को दे रखा है।

चुनाव व्यवस्था में चुनाव आयोग का गठन, उसकी कार्यप्रणाली, कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन मत दे सकता है, कौन चुनाव की देखरेख करेगा, मतगणना कैसे होगी आदि सभी स्पष्ट रूप से लिखा है।

चुनाव आयोग—

भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक तीन सदस्यी चुनाव आयोग है। जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। देश के प्रथम चुनाव आयुक्त श्री सुकुमार सेन थे।

सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली—

इस प्रणाली को भारत में अपनाया गया है। इसमें सबसे अधिक वोट पाने वाला विजय होगा चाहे जीत का अन्तर एक वोट ही हो।

समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली—

(i) इस प्रणाली में प्रत्येक पार्टी चुनावों से पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिकता सूची जारी कर देती है, और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची से चुन लेती है, जितनी सीटों का कोटा उसे दिया जाता है। चुनावों की इस व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं।

(ii) समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के दो रूप/प्रकार होते हैं। जैसे—इजराइल व नीदरलैंड में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनावों में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीट दे दी जाती है। दूसरा प्रकार अर्जेटीना व पुर्तगाल में जहाँ पूरे देश को बहु—सदस्यायी निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है।

भारत में ‘सर्वाधिक वोट से जीत की’ प्रणाली क्यों स्वीकार की गई?—

- (i) यह प्रणाली सरल है, उन मतदाओं के लिए जिन्हें राजनीति एवं चुनाव का ज्ञान नहीं है।
- (ii) चुनाव के समय मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प होता है।
- (iii) देश में मतदाताओं को दलों की जगह उम्मीदवारों के चुनाव का अवसर मिलता है जिनको वो व्यक्तिगत रूप से जानते हैं।

निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण—

भारतीय संविधान द्वारा सभी वर्गों को संसद में समान प्रतिनिधित्व देने के प्रयास में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था को अपनाया गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत, किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट तो डालेंगे लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए सीट आरक्षित है।

सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार—

किसी जाति, धर्म, लिंग एवं क्षेत्र के भेदभाव के बिना सभी 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के नागरिकों को मत देने का अधिकार।

चुनाव सुधार—

चुनाव की कोई प्रणाली कभी आदर्श नहीं हो सकती। उसमें अनेक कमियाँ और सीमाएं होती हैं। लोकतांत्रिक समाज को, अपने चुनावों को और अधिक स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के तरीकों को बराबर खोजते रहना पड़ता है, जिसे चुनाव सुधार कहते हैं। जैसे भारत में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध या फिर चुनाव लड़ने के लिए कुछ अनिवार्य शिक्षा योग्यता निर्धारित करना।

प्रश्नावली:

एक अंकीय प्रश्नः—

1. प्रत्यक्ष लोकतंत्र से क्या अभिप्राय है?
2. अप्रत्यक्ष लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है?
3. निर्वाचन किसे कहते हैं?
4. मतदाता से क्या अभिप्राय है?
5. मतदाता सूचियां कौन तैयार करवाता है।
6. चुनाव—स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हो। यह जिम्मेदारी किसकी है?
7. आम चुनाव किसे कहते हैं?
8. सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार किसे कहते हैं?
9. लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए।
10. अनुच्छेद-324(1) के माध्यम से किसी स्थापना की गई है?
11. बहुलवादी व्यवस्था किसे कहते हैं?
12. पृथक निर्वाचन मंडल से क्या तात्पर्य है?
13. चुनाव में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने का काम कौन करता है?
14. भारत में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है?
15. भारत में राज्य सभा चुनावों में कौन सी मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है।
16. देश के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे?

दो अंकीय प्रश्नः—


1. प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में दो अन्तर लिखिए।
2. 'फर्स्ट—पार्स्ट—द—पोस्ट' प्रणाली का क्या अर्थ है?
3. 'समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली' किसे कहते हैं?
4. गुप्त मतदान प्रणाली किसे कहा जाता है?
5. पृथक निर्वाचन मंडल से क्या अभिप्राय है?
6. आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से आप क्या समझते हैं?
7. किसी चुनाव प्रणाली की सफलता के कौन से दो तत्व हैं?
8. परिसीमन आयोग से आप क्या समझते हैं? इसका गठन कौन करता है?

चार अंकीय प्रश्नः—

1. 'सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत' और 'समानुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव व्यवस्था में चार अन्तर लिखिए।
2. सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के चार महत्व लिखिए।
3. भारत के निर्वाचन आयोग के चार मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए।
4. प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में प्रचलित प्रत्यक्ष लोकतंत्रीय व्यवस्था को समझाइए।
5. लोकसभा एवं विधानसभा सदस्य बनने के लिए संविधान में कौन—कौन सी योग्यताएं तय की गई हैं?
6. 'लोकतंत्र में चुनाव का महत्व' विषय पर टिप्पणी लिखिए।
7. पृथक निर्वाचन मण्डल और आरक्षित चुनाव क्षेत्र के बीच अन्तर स्पष्ट कीजिए।

पाँच अंकीय प्रश्नः—

1. निम्नलिखित कार्टून को ध्यानपूर्वक देखो तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए—



- (क) कार्टून में हाथी किस समर्स्या की ओर संकेत करता नजर आता है? (1)
- (ख) हाथी की पूछ खींचना किस ओर इशारा करता है? (1)
- (ग) हाथी की पूछ खींचने वाले नेता का नाम लिखिए? (1)
- (घ) व्यस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? (2)

छ: अंकीय प्रश्न—

1. भारतीय चुनाव प्रणाली में सुधार के कोई छः सुझाव सुझाइए। वर्णन करो।
2. भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के चयन प्रक्रिया को समझाते हुए, उसके प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए।
3. भारत की चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को सविस्तार समझाइए।
4. भारत की चुनाव प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।
5. “चुनाव और लोकतंत्र एक सिक्के के दो पहलू हैं।” इस कथन को समझाते हुए चुनावों का लोकतंत्र में महत्व क्या है? समझाइए।

उत्तरमाला

एक अंकीय उत्तरः—

1. प्रत्यक्ष लोकतंत्र में ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें नागरिक सरकार चलाने तथा आम फैसले लेने में सीधा भाग लेता है।
2. अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में ऐसी शासन व्यवस्था होती हैं जिसमें नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनकर संसद में भेजते हैं तथा प्रतिनिधि सरकार चलाने तथा आम फैसले लेते हैं।
3. लोकतंत्र में जन प्रतिनिधियों को चुनने की विधि को चुनाव या निर्वाचन कहते हैं।
4. भारतीय संविधान के अनुसार 18 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र के सभी भारतीय नागरिकों को मत देने का अधिकार है, उसे हम मतदाता कहते हैं।
5. चुनाव आयोग।
6. चुनाव आयोग।
7. लोकसभा या विधानसभा के निश्चित पांच वर्ष के कार्यकाल के पूरा होने के बाद जो चुनाव होता है उसे आम चुनाव कहते हैं।
8. 18 वर्ष की आयु प्राप्त सभी स्त्री-पुरुष एवं अन्य भारतीय नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मतदान करने के अधिकार को सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं।
9. 25 वर्ष।
10. संविधान के अनुच्छेद-324 (1) के अनुसार भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है।
11. भारत में निर्वाचन कि विधि—“जो सबसे आगे वही जीते” / प्रणाली को अपना रखा है। इसे ही बहुलवादी व्यवस्था भी कहते हैं।
12. पृथक निर्वाचन मंडल का अर्थ है कि किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग वोट डाल सकेंगे।
13. परिसीमन आयोग।
14. राष्ट्रपति।
15. एकल संक्रमणीय मत प्रणाली।
16. श्री सुकुमार सेन।

दो अंकीय उत्तरः—

1. (i) प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता शासन में सीधा भाग लेती है, जबकि अप्रत्यक्ष में जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधि भाग लेते हैं।
(ii) प्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को शासन मानता है जबकि अप्रत्यक्ष में जन प्रतिनिधि अपने आपको शासन समझते हैं।
2. इस प्रणाली का अर्थ यह है कि जो प्रत्याशी चुनावी दौड़ में अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले सबसे आगे निकल जाता है वहीं विजयी होता है।
3. इस प्रणाली में किसी पार्टी को उतनी ही प्रतिशत सीटें मिलती है जितने प्रतिशत उसे वोट मिलते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं जैसे कहीं पर पूरे देश में एक ही निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है जैसे—इंडिया व नीदरलैंड। तथा कहीं पर पूरे देश को बहु—सदस्यी निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है।
4. अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली में प्रतिनिधियों के चुनाव करवाने की प्रणाली गुप्त मतदान की है। इसमें मतदाता के अलावा किसी को पता नहीं चलता कि किसको वोट दिया गया है।
5. पृथक निर्वाचन मण्डल का अभिप्राय यह है कि किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग वोट डाल सकेंगे।
6. संविधान में व्यवस्था कि गई है कि अल्पसंख्यकों या निम्न वर्गों के जन प्रतिनिधि भी संसद में पहुंचे उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए परिसीमन विभाग समय—समय पर वर्ग विशेष, महिला विशेष के लिए आरक्षित सीट कर देता है उसे आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं।
7. (i) स्वतंत्र चुनाव
(ii) निष्पक्ष / पारदर्शी चुनाव
8. भारत में निर्वाचन आयोग के साथ काम करने वाली संस्था जो निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करती है तथा आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करती है उसे परिसीमन आयोग कहते हैं। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

चार अंकीय प्रश्नों के सांकेतिक उत्तर—

1. अन्तर—

सार्वधिक वोट पाने वाले की जीत	समानुपातिक प्रतिनिधित्व
(i) देश को छोटे—छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट देते हैं।	(i) पूरे देश का एक ही निर्वाचन क्षेत्र होता है

- (ii) हर निर्वाचन क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि चुना जाता है।
- (iii) मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है।
- (iv) प्रत्याशी को मतदाता व्यक्तिगत जानते हैं।
- (ii) एक से अधिक चुने जाते हैं।
- (iii) मतदाता पार्टी को मत देता है।
- (iv) इसमें मतदाता पार्टी को रूप से वोट देता है इसलिए प्रत्याशी को नहीं जानता।
2. (i) सार्वभौमिक मताधिकार से जन प्रभुसत्ता सिद्धान्त लागू होता है।
- (ii) यह लोकतांत्रिक सिद्धान्त के अनुरूप है।
- (iii) व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है।
- (iv) इससे राजनीतिक जागरूकता आती है।
3. (i) मतदाता सूची तैयार करना।
- (ii) चुनाव की तिथि तय करना।
- (iii) चुनाव कराना, निरीक्षण करना।
- (iv) चुनाव परिणाम जारी करना।
4. सम्पूर्ण नगर राज्य के लोग एक खुले स्थान पर एकत्रित होते तथा अपने प्रतिनिधि को हाथ उठाकर चुनते तथा रोजमर्रा के सरकारी फैसला हाथ उठवाकर प्रत्यक्ष रूप से जनता से स्वीकृति प्राप्त करते थे। इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली कहते हैं।
5. (i) भारत का नागरिक हो।
- (ii) आयु 25 वर्ष हो।
- (iii) लाभ के पद पर ना हो।
- (iv) पागल या दिवालिया ना हो।
- (v) अपराधिक प्रवृत्ति का या सजा यापता ना हो।
6. लोकतंत्र में चुनावों को बहुत महत्व है— चुनाव व लोकतंत्र एक सिक्के के दो पहलू हैं। आज विश्व में सौ से अधिक देशों में लोकतंत्र है। जहां लोकतंत्र है वहां जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है।
7. पृथक निर्वाचन मण्डल में—एक समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय विशेष के लोग वोट डाल सकते हैं।
आरक्षित चुनाव क्षेत्र—में सभी मतदाता वोट तो डालेंगे लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय का होगा जिसके लिए वह सीट आरक्षित है।

पांच अंकीय प्रश्नों के सांकेतिक उत्तर—

1. (क) प्रथम आम चुनाव में अनुभवहीन विशाल मतदाताओं को नियंत्रित करके सफल मतदान करवाना।
(ख) अनियंत्रित मतदाताओं को चुनाव में मतदान के लिए तैयार करने का प्रयास।
(ग) पं. जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में प्रथम आम चुनाव हुए।
(घ) 18 वर्ष की आयु प्राप्त सभी नागरिकों को बिना भेदभाव के मतदान का अधिकार देना।

छः अंकीय प्रश्नों के सांकेतिक उत्तर—

1. चुनाव सुधार—
 - (i) सर्वाधिक जीत प्रणाली के स्थान पर, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाएं।
 - (ii) ससंदीय एवं विधान सभाओं में एक तिहाई सीटों पर महिलाओं का चुनाव।
 - (iii) चुनावों में धन के प्रभाव पर नियंत्रण।
 - (iv) फौजदारी मुकदमें वाले की उम्मीदवारी रद्द।
 - (v) चुनाव प्रचार में जाति एवं धर्म का प्रयोग प्रतिबंधित हो।
 - (vi) राजनीति दलों में पारदर्शिता एवं लोकतंत्र हो।
2. मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति—राष्ट्रपति द्वारा। कार्यकाल—छः वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। वेतन—उच्चतम न्यायालय के न्यायधीश के समान होता है। कार्य—(1) मतदाता सूची तैयार करना, (2) चुनाव (3) कार्यक्रम तय करना, (4) स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना (5) राष्ट्रीय एक राज्यपार्टी के रूप में दलों/पार्टीयों का मान्यता देना। (6) चुनावों का निरीक्षण करना। (7) राष्ट्रपति—उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना।
3. चुनाव प्रक्रिया—(i) चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी होना (ii) चुनावों की तिथि, आवेदन करने, नाम वापस लेने की तिथि। चुनाव प्रचार तथा चुनाव प्रचार की निगरानी करना, तय तिथि पर चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कराना, मतगणना कराना तथा चुनाव परिणाम घोषित करना। (चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति, मतदान केन्द्रों की स्थापना)

4. चुनाव प्रणाली की विशेषताएं—

भारत में 'सर्वाधिक मत से जीत की प्रणाली' को अपना रखा है इसकी विशेषताएं हैं— (i) यह सरल है। (ii) इसमें प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाब देह होते हैं। (iii) मतदाता एवं प्रतिनिधि का प्रत्यक्ष सम्पर्क रहता है। (iv) यह प्रणाली क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व लोकतंत्रीय सिद्धान्त पर आधारित है। (v) इसमें खर्च कम आता है। (vi) इस प्रणाली से राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है।

5. लोकतंत्र में चुनाव का महत्व— (i) प्रतिनिधि चुनाव जीत कर सरकार में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। (ii) चुना हुआ प्रतिनिधि जनमत के अनुसार काम करेगा। (iii) इस व्यवस्था में जनता में आत्मविश्वास की भावना बढ़ती है। (vi) लोकतंत्र में उचित प्रतिनिधित्व जरूरी है जो चुनाव द्वारा ही संभव है। (v) नागरिकों के अधिकारों एवं स्वतंत्रता की सुरक्षा उचित प्रतिनिधित्व से ही है। (vi) उचित प्रतिनिधित्व से राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है।

अध्याय 4

कार्यपालिका

कार्यपालिक का अर्थ—सरकार के उस अंग से है जो कायदे—कानूनों को संगठन में रोजाना लागू करते हैं।

सरकार का वह अंग जो नियमों कानूनों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है कार्यपालिका कहलाता है। कार्यपालिका विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।

कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री य मंत्री ही नहीं होते बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा (सिविल सेवा के सदस्य) भी आते हैं।

राजनीतिक कार्यपालिका में सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को सम्मिलित किया जाता है। ये सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं।

स्थायी कार्यपालिका में जो लोग रोज—रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं, को सम्मिलित किया जाता है।

कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है?

- अमेरिका में अध्याक्षात्मक व्यवस्था है और कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं।
- कनाडा में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है जिसमें महारानी राज्य की प्रधान और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है।
- फ्रांस में राष्ट्रपति ओर प्रधानमंत्री अर्द्धअध्यक्षात्मक व्यवस्था के हिस्से हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है पर उन्हें पद से हटा नहीं सकता क्योंकि वे संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
- जापान में संसदीय व्यवस्था है जिसमें राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है।
- इटली में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है।
- रूस में एक अर्द्धअध्यक्षात्मक व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है।

- जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमे राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान और चांसलर सरकार का प्रधान है।
- अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति देश और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में ही राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली होता है। अमेरिका, ब्राजील और लेटिन अमेरिका के कई देशों में यह व्यवस्था पाई जाती है।
- संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है इस व्यवस्था में एक राष्ट्रपति या राजा होता है जो देश का नाममात्र का प्रधान होता है। प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्ति होती है। भारत, जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैण्ड और पुर्तगाल आदि देशों में यह व्यवस्था है।
- अर्द्धअध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं लेकिन उसमें राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं फ्रांस, रूस और श्रीलंका में ऐसी ही व्यवस्था है।

भारत में संसदीय कार्यपालिका—

- हमारे संविधान निर्माता यह चाहते थे सरकार ऐसी हो जो जनता की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी हो ऐसा केवल संसदीय कार्यपालिका में ही संभव था।

अध्यक्षात्मक कार्यपालिका क्यूंकि राष्ट्रपति की शक्तियों पर बहुत बल देती है, इससे व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है। संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें एक शक्तिशाली कार्यपालिका तो हो, लेकिन साथ-साथ उसमें व्यक्ति पूजा पर भी पर्याप्त अंकुश लगें हो।

- संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका या जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और नियंत्रित भी। इसलिए संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया।
- इस व्यवस्था में राष्ट्रपति, भारत में राफ का औपचारिक प्रधान होते हैं तथा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं। राज्यों के स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं।
- औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं परंतु वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के माध्यम से राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है वह भी अप्रत्यक्ष

तरीके से, निर्वाचित सांसद और विधायक करते हैं। यह निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली और एक संक्रमणीय मत के सिद्धांत के अनुसार होता है।

- संसद, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसके पद से हटा सकती है। महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर लगाया जा सकता है।

राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति—

- एक औपचारिक प्रधान है: राष्ट्रपति को वैसे तो बहुत सी कार्यकारी, विधायी (कानून बनाना) कानूनी और आपात शक्तियाँ प्राप्त हैं परंतु इन सभी शक्तियों का प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है।

राष्ट्रपति के विशेषाधिकार—

संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है।

1. मंत्रिपरिषद की सलाह को लौटा सकता है।
2. वीटो शक्ति का प्रयोग करके संसद द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति देने में विलम्ब।
3. चुनाव के बाद कई नेताओं के दावें के समय यह निर्णय करें कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा।

आखिर राष्ट्रपति पद की क्या आवश्यकता है?

- संसदीय व्यवस्था में, समर्थन न रहने पर, मंत्रिपरिषद को कभी भी हटाया जा सकता है, ऐसे समय में एक ऐसे राष्ट्र प्रमुख की आवश्यकता पड़ती है जिसका कार्यकाल स्थायी हो, जो सांकेतिक रूप से पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर सकें।
- भारत का उपराष्ट्रपति: पांच वर्ष के लिए चुना जाता है, जिस तरह राष्ट्रपति को चुना जाता है। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाया जाने या अन्य किसी कारक के पद रिक्त होने पर वह कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है।

प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद—

- प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। जैसे ही वह बहुमत खो देता है, वह अपना पद भी खो देता है।

- प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद का प्रधानः वह ही तय करता है कि उसकी मंत्रिपरिषद में कौन लोग मंत्री होंगे। प्रधानमंत्री ही विभिन्न मंत्रियों के पद स्तर और मंत्रालयों का आबंटन करता है। इसी कारण वह मंत्रिपरिषद का प्रधान भी होता है।
- संसद का सदस्य होना अनिवार्यः प्रधानमंत्री तथा सभी मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। संसद का सदस्य हुए बिना यदि कोई व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसे छः महीने के भीतर ही संसद (किसी भी संदन) के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है।
- मंत्रिपरिषद का आकार कितना होना चाहिएः संविधान के 91 वे संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा या राज्यों की विधानसभा की कुल सदस्या संख्या का 15: से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायीः इसका अर्थ है जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। यह सिद्धांत मंत्रिमंडल की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। इसकी भावना यह है कि यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है।
- प्रधानमंत्री का स्थान, सरकार में सर्वोपरि हैः मंत्रिपरिषद तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ ग्रहण कर लेता है। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र से पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है।
- प्रधानमंत्री सरकार की धुरीः प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्रिपरिषद तथा दूसरी तरफ राष्ट्रपति और संसद के बीच सेतु का काम करता है वह संघीय मामलों के प्रशासन और प्रस्तावित कानूनों के बारें में राष्ट्रपति को सूचित करता है।

प्रधानमंत्री की शक्ति के स्रोत

मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण	लोकसभा का नेतृत्व	मीडिया तक पहुंच	चुनाव के दौरान उसका व्यक्तिगत उभार
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में राष्ट्रीय नेता की छवि	अधिकारी वर्ग पर आधिपत्य	विदेश भाषाओं के दौरान नेता की छवि	

- गठबंधन की सरकारों की वजह से प्रधानमंत्री की शक्तियों में काफी परिवर्तन आ गए हैं। 1989 से भारत में हमने गठबंधन सरकारों का युग देखा है। इनमें से कुछ

सरकारें तो लोकसभा की पूरी अवधि तक भी सत्ता में न रह सकीं। ऐसे में प्रधानमंत्री का पद उतना शक्तिशाली नहीं रहा जितना एक दल के बहुमत वाली सरकार में होता है:—

प्रधानमंत्री पद की शक्तियों में आए बदलाव—

1. प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति की भूमिका बढ़ी है।
2. राजनीतिक सहयोगियों से परामर्श की प्रवृत्ति बढ़ी है।
3. प्रधानमंत्री के विशेषाधिकारों पर अंकुश लगा है।
4. सहयोगी दलों के साथ बातचीत तथा समझौते के बाद ही नीतियां बनती हैं।

राज्यों में कार्यपालिका का स्वरूप—

- राज्यों में एक राज्यपाल होता है जो (केन्द्रीय सरकार की सलाह पर) राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है।
- मुख्यमंत्री विधान सभा में बहुमत दल का नेता होता है।
- बाकी सभी सिद्धांत वही है जो केन्द्र सरकार में संसदीय व्यवस्था होने के कारण लागू है।


स्थायी कार्यपालिका (नौकरशाही)

कार्यपालिका में मुख्यतः राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिगण और नौकरशाही या प्रशासनिक मशीनरी का एक विशाल संगठन, सम्मिलित होता है। इसे नागरिक सेवा भी कहते हैं।

- नौकरशाही में सरकार के स्थाई कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने में तथा उन्हें लागू करने में मंत्रियों का सहयोग करते हैं।
- भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है लेकिन यह मशीनरी राजनीतिक रूप से उत्तरदायी है इसका अर्थ है कि नौकरशाही राजनीतिक रूप से तटस्थ है। प्रजातंत्र में सरकारे आती जाती रहती है ऐसी स्थिति में, प्रशासनिक मशीनरी की यह जिम्मेदारी है कि वह नई सरकारों को अपनी नीतियां बनाने में और उन्हें लागू करने में मदद करें।
- नौकरशाही के सदस्यों का चुनाव: नौकरशाही में अखिल भारतीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं, स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोक उपक्रमों के तकनीकी

एवं प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित है। भारत में सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती की प्रक्रिया का कार्य संघ लोक सेवा आयोग (यू.पी.एस.सी.) को सौंपा गया है।

- ऐसा ही लोकसेवा आयोग राज्यों में भी बनाए गए हैं जिन्हें राज्य लोक सेवा आयोग कहा जाता है।
- लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित होता हैं उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा की गई जांच के आधार पर ही निलंबित या अपदस्थ किया जा सकता है।
- लोक सेवकों की नियुक्ति दक्षता व योग्यता को आधार बनाकर की जाती हैं संविधान ने पिछड़े वर्गों के साथ-साथ समाज के सभी वर्गों को सरकारी नौकरशाही बनने का मौका दिया है इसके लिए संविधान दलित और आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है।



भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस) तथा भारतीय पुलिस सेवा (आई.पी.एस.) के उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है। किसी जिले का जिलाधिकारी (कलेक्टर) उस जिले में सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है और ये समान्यतः आई ए एस का स्तर अधिकारी होता है।

प्रश्नावली:

एक अंकीय प्रश्नः—

1. कार्यपालिका से क्या अभिप्राय है?
2. कार्यपालिका में मुख्यतः किन—किन लोगों को सम्मिलित किया जाता है?
3. भारत और इंग्लैंड की कार्यपालिका में प्रमुख अंतर क्या है?
4. अध्यक्षात्मक कार्यपालिका किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए
5. अर्धअध्यक्षात्मक कार्यपालिका भारत के किस पड़ौसी देश में पाई जाती है?
6. अनुच्छेद 74(1) में राष्ट्रपति से संबंधित किस प्रावधान का उल्लेख किया गया है?
7. भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त एक स्वविवेक की शक्ति का उल्लेख?
8. राष्ट्रपति किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है।
9. राष्ट्रपति को प्राप्त 'वीटो' की शक्ति' से क्या अभिप्राय है?
10. भारत में गठबंधन की सरकारों का युग कब से शुरू हुआ।
11. संविधान के 91 वें संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद से संबंधित किस प्रावधान को सम्मिलित किया गया है?
12. किस व्यक्ति ने सरकार की "केन्द्रीय धुरी, प्रधानमंत्री है," की संज्ञा दी।
13. राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?
14. राष्ट्रपति को उसके पद से कब हटाया जा सकता है?
15. स्थायी कार्यपालिका से क्या तात्पर्य है?
16. भारत में सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती का कार्यभार किसे सौंपा गया है?
17. जिला कलेक्टर सामान्यतः किस स्तर का अधिकारी होता है?

दो अंकीय प्रश्नः—

1. कार्यपालिका के किन्हीं दो रूपों का वर्णन करें।
2. सामूहिक उत्तरदायित्व से आप क्या समझते हैं?
3. राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से क्या अभिप्राय है?
4. 'राष्ट्रपति एक अलंकारिक प्रधान है' स्पष्ट करो?

5. “मंत्रीगण एक साथ तैरते हैं तथा एक साथ डूबते हैं” इस कथन का क्या आशय है?
6. “प्रधानमंत्री” किन शक्तियों पर निर्भर करता है। कैसे?
7. “राज्यपाल केन्द्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है” | कैसे?
8. “भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है” स्पष्ट करें।
9. समाज के सभी वर्ग नौकरशाही का हिस्सा बन सकें इस उद्देश्य के लिए संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं?
10. “नौकरशाही वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोक हितकारी नीतियां जनता तक पहुंचती है” क्या आप इस कथन से सहमत हैं?

चार अंकीय प्रश्न

1. राजनीतिक कार्यपालिका तथा स्थाई कार्यपालिका में चार अंतर बताएं।
2. संसदीय कार्यपालिका की चार विशेषताएं बताएं।
3. “अध्यक्षात्मक सरकार में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है” कैसे?
4. राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियों का वर्णन करो।
5. राष्ट्रपति के दो विशेषाधिकारों की व्याख्या करो।
6. “प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति अपनी मर्जी नहीं चला सकता।” क्यों?
7. “प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तथा संसद के बीच एक सेतु का काम करता है”, स्पष्ट करों।
8. गठबंधन के युग के कारण प्रधानमंत्री की शक्तियों पर क्या प्रभाव पड़े हैं?

पांच अंकीय प्रश्न

1. (क) संविधान ने राष्ट्रपति को कोई वास्तविक शक्ति नहीं दी लेकिन उसके पद की प्रभुतापूर्ण और गरिमामय बनाया है। संविधान उसे न तो वास्तविक कार्यकारी बनाना चाहता था और न ही एकदम नाममात्र का प्रधान।

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो—

- (1) “संविधान में राष्ट्रपति को वास्तविक शक्ति नहीं दी” क्यों?
- (2) संविधान राष्ट्रपति को किस प्रकार का प्रधान बनाना चाहता है?

(3) वास्तविक शक्तियां किसको प्रदान की गई हैं?

(ख)



प्रश्नों के उत्तर दो—

(1) चित्र में सबसे आगे कौन नजर आ रहा है? उसके सबसे आगे होने का क्या अभिप्राय है? (2)

(2) किन्हीं दो नेताओं को पहचाने उनके नाम लिखे। (1)

(3) प्रधानमंत्री के शक्तिशाली होने के दो कारण लिखे। (2)

(ग)



निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो—

(1) विश्वास मत से क्या अभिप्राय है? (1)

(2) सामूहिक उत्तरदायित्व से क्या अभिप्राय है? (2)

(3) “विश्वास मत जीतने के बाद भी मुख्यमंत्री की परेशानियां समाप्त नहीं होती, इस कथन का क्या अभिप्राय है। (2)

छ: अंकीय प्रश्न

1. राष्ट्रपति के स्थिति तथा कार्यों का वर्णन करें।
2. क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है'' तीन उचित तर्क दीजिए।
3. जब संसद में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता तब प्रधानमंत्री किस व्यक्ति को बनाया जाता है? ऐसे में प्रधानमंत्री की शक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है?
4. आमतौर पर देखा गया है कि संसदीय कार्यपालिका वाले देशों में प्रधानमंत्री बहुत प्रभावशाली तथा शक्तिशाली बन जाता है। ऐसा किन कारणों से होता है?
5. नौकरशाही राजनीतिक कार्यपालिका की किस प्रकार से सहायता करती है?

उत्तरमाला

एक अंकीय उत्तरः—

1. सरकार का जो अंग कानूनों को लागू करता है।
2. राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और नौकरशाही।
3. भारत का राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्षा रूप से चुना हुआ अध्यक्ष है जबकि इंग्लैंड की रानी राजतंत्रीय पद्धति के द्वारा बनी राष्ट्राध्यक्ष है।
4. जहां राष्ट्रपति कार्यपालिका तथा विधानपालिका दोनों का ही अध्यक्ष होता है।
5. श्रीलंका
6. 74(1) राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान, प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कार्यों के लिए उनकी सलाह के अनुसार काम करेगा।
7. जब किसी भी दल को लोकसभा में बहुमत नहीं मिलता तब राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हुए उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाता है जिसे सदन का बहुमत प्राप्त हो।
8. आमतौर पर राष्ट्रपति केवल उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियक्त करता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो।
9. इसमें राष्ट्रपति संसद से पारित विधेयकों पर अपनी स्वीकृति देने में विलम्ब कर सकता है।
10. 1989
11. मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होती।
12. प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू।
13. राष्ट्रपति।
14. असंघैधानिक कार्य के लिए।
15. जो लोग अपनी योग्यता और दक्षता के बल पर चुने जाते हैं और एक निश्चित कार्यकाल तक वे अपने पद पर बने रहते हैं।
16. संघ लोक सेवा आयोग।
17. भारतीय प्रशासनिक सेवा।

2 अंकीय प्रश्नों के उत्तर

1. संसदीय कार्यपालिका
2. अध्यक्षात्मक कार्यपालिका जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है उसे त्याग पत्र देता पड़ता है।
3. जब संसद का अधिवेशन न चल रहा हो तो राष्ट्रपति
 - (1) अध्यादेश जारी कर सकता है।
 - (2) यदि देश पर आक्रमण हो जाए।
 - (3) यदि देश में वित्तीय संकट आ जाए।
4. क्योंकि वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद करती है।
5. यदि एक मंत्री किसी प्रश्न का उत्तर न दे पाएं तो प्रधानमंत्री उससे त्यागपत्र देने को कहता है यदि वह त्यागपत्र न दें तो प्रधानमंत्री स्वयं अपना त्याग पत्र दे देता है और सरकार गिर सकती है।
6. जब सदन में पूर्ण बहुमत होता है तो प्रधानमंत्री बहुत प्रभावशाली हो जाता है परंतु जब बहुमत नहीं होता तो उसे सभी काम सहयोगी दलों के नेताओं से सलाह करके करने पड़ते हैं।
7. क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है इसीलिए संबंधित राज्य में राज्यपाल केन्द्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है।
8. भारत में लोकसेवक प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी होते हैं वे अपने—अपने विषय में पारंगत होते हैं इसलिए नीतियों को बनाने और लागू करने में वे राजनीतिज्ञों की सहायता करते हैं।
9. संविधान में दलित तथा आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है बाद में महिलाओं और अन्य पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण दिया गया।
10. क्योंकि नौकरशाही के सदस्य दक्ष और निपुण होते हैं और वे राजनीतिज्ञों को नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने में सहायता करते हैं।

4 अंकीय प्रश्नों के उत्तर

1. राजनीतिक कार्यपालिका— 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है, समय से पहले भी हटाई जा सकती है। अपने कार्यों में निपुण नहीं होते।
स्थाई कार्यपालिका—रिटायरमेंट की आयु तक काम करते हैं अपने कार्यों में दक्ष और निपुण होने के कारण राजनीतिक कार्यपालिका को मदद करते हैं।

2. सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री
 - राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति या राजा या रानी
 - विधायिका में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री
 - विधायिका के प्रति उत्तरदायी
3. अध्यक्षात्मक— देश का प्रमुख, सरकार का प्रमुख, जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से निर्वाचन, विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होना।
4. विधायी कार्यपालिका, न्याय संबंधी, तीनों सेनाओं का सेनापति।
5. (1) वीटो (2) गठबंधन की सरकार के समय प्रधानमंत्री का चुनाव
6. क्योंकि केवल लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। गठबंधन के समय भी जिस व्यक्ति को सदन का विश्वास प्राप्त होता है उसे ही प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है।
7. प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है, सदन की कार्यवाहियों से अवगत करता है और सदन को राष्ट्रपति का संदेश देता है।
8. राजनीतिक सहयोगियों से विचार विमर्श बढ़ा है
 - मंत्रियों का चयन अपनी इच्छा से नहीं कर सकता
 - नीतियों और कार्यक्रम अकेले तय नहीं कर सकता
 - मध्यस्थ की भूमिका बन गई है।

5 अंकीय प्रश्नों के उत्तर—

1. (क) 1. क्योंकि संसदीय शासन में प्रधानमंत्री को वास्तविक शक्तियां दी जाती है।
 2. प्रभुता पूर्ण ओर गारिमामय
 3. प्रधानमंत्री
- (ख) 1. पं. जवाहर लाल नेहरू क्योंकि वो प्रधानमंत्री है
 2. अध्यापक की सहायता से पहचानें व उत्तर दें।
 3. — क्योंकि वह बहुमत दल का नेता है
 - वह वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है।
- (ग) 1. सदन में बहुमत
 2. संसद के प्रति उत्तरदायी
 3. क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति यदि दल छोड़ दें तो फिर से वहीं संकट आ जाएगा।

छ: अकीय प्रश्नों के उत्तर—

1. स्थिति: राष्ट्र का अध्यक्ष, तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति, नाममात्र की शक्तियां
2. हाँ, क्योंकि
 - (1) संविधान में ऐसा प्रावधान है अनुच्छेद 74 (1)
 - (2) क्योंकि राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित प्रधान नहीं है।
 - (3) प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यकारी है।
3. तब राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है जो सदन में बहुमत प्राप्त कर लेता है प्रधानमंत्री की एकाधिकारवादी शक्तियां कम हो जाती हैं और विचार-विर्मश अधिक हो जाता है।
4. — मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण
— अधिकारी वर्ग पर अधिपत्य
— लोकसभा का नेतृत्व
— मीडिया तक पहुंच
— चुनाव के दौरान उसके व्यक्तित्व का उभार,
— अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि
— विदेशी यात्राओं के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि
5. नौकरशाही मंत्रियों को नीतियों को बनाने तथा उन्हें लागू करने में सहायक, प्रशासन मंत्रियों के नियंत्रण में रूप से तटस्थ, नीतियों पर विचार करते समय किसी राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं।

अध्याय 5

विधायिका

विधायिका

संघ की विधायिका की संसद कहा जाता है, यह राष्ट्रपति और दो सदन, जो राज्य परिषद (राज्य सभा) और जनता का सदन (लोक सभा) कहलाते हैं, से बनती है। राज्यों की विधायिका को विधानमंडल कहते हैं।

1. लोकतंत्रीय शासन में विधायिका का महत्व बहुत अधिक होता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनायी गयी है जो कि ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित है।
2. सरकार के तीन अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। विधायिका का चुनव जनता द्वारा होता है। इसलिए यह जनता का प्रतिनिधी बनकर कानून का निर्माण करता है। इसकी बहस विरोध, प्रदर्शन, बहिर्गमन, सर्वसम्मति, सरोकार और सहयोग आदि अत्यंत जीवन बनाए रखती है।
3. संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारतीय संसद में दो सदनों के साथ—साथ राष्ट्रपति को भी समिलित किया जाता है।
4. दि—सदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका का पहला लाभ समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों को समुचित प्रतिनिधित्व दे सकें। दूसरा लाभ संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार हो।
5. भारतीय संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा हैं इसके अधिकतम 250 सदस्य होते हैं जिनमें 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत और 238 राज्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित होते हैं। इनका निर्वाचन 6 वर्ष के लिए किया जाता है। राज्य सभा एक स्थायी सदन है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसमें एक तिहाई सदस्यों का चुनाव होता है। मनोनीत सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला, समाजसेवा, खेल आदि क्षेत्रों से लिये जाते हैं।
6. अमेरिका के द्वितीय सदन (सीनेट) में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है भारत में अधिक जनसंख्या वाले राज्य को अधिक व कम जनसंख्या वाले राज्य को कम प्रतिनिधित्व दिया गया है।
7. राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं—
 - (1) वह भारत का नागरिक हो।

(2) 30 वर्ष की आयु का हो।

इनका निर्वाचन एक संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है।

8. 1951 के जन-प्रतिनिधि कानून के अनुसार राज्यसभा या लोक सभा के उम्मीदवार का नाम किसी न किसी संसदीय निवाचक क्षेत्र में पंजीकृत आवश्यक है।

(1) राज्य सभा की शक्तियां व कार्य।

(2) वित्तीय शक्तियां।

(3) वित्त विधेयक पर राज्यसभा 14 दिन तक विचार कर सकता है।

(4) संविधान-संशोधन संबंधी शक्तियां।

(5) प्रशासनिक शक्तियां— मंत्रियों से उनके विभागों के संबंध में प्रश्न राज्यसभा में जो पूछे जा सकते हैं।

(6) अन्य शक्तियाँ: चुनाव, सहभियोग, आपात स्थिति की घोषणा न्यायधीश को उसके पद से हटाया जाना इत्यादि पर दोनों सदनों पर अनुमति जरूरी है।

9. लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है। इसमें अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य हैं और दो सदस्य (एंगलो इंडियन) को राष्ट्रपति मनोनित कर सकता है। लोकसभा के सदस्यों को चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता हैं इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है परंतु उसे समय से पहले ही भंग किया जा सकता है।

10. भारत में संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण लोकसभा अधिक शक्तिशाली है क्योंकि इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसे कार्यपालिका को हटाने को शक्ति भी प्राप्त है।

संसद के प्रमुख कार्य:

(1) कानून बनाना।

(2) कार्यपालिका पर नियंत्रण।


(3) वित्तीय कार्य: बजट पारित करना

(4) संविधान संशोधन।

(5) निर्वाचन संबंधी कार्य।

(6) न्यायिक कार्य।

- (7) प्रतिनिधित्व ।
(8) बहस का मंच ।
11. लोकसभा की विशेष शक्ति: धन विधेयक प्रस्तुत करना उसे संशोधित व अस्वीकार कर सकती है।
12. मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है।



प्रक्रिया:

- (1) प्रथम वाचन ।
- (2) द्वितीय वाचन (समिति स्तर)
- (3) समिति की रिपोर्ट पर चर्चा
- (4) तृतीय वाचन ।
- (5) दूसरे सदन में प्रक्रिया ।
- (6) राष्ट्रपति की स्वीकृति ।

संसदीय नियंत्रण के साधन—

- (1) बहस और चर्चा— प्रश्न काल, शून्य काल, रथगन प्रस्ताव ।
- (2) कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति ।
- (3) वित्तीय नियंत्रण ।
- (4) अविश्वास प्रस्ताव, निन्दा प्रस्ताव ।

संसदीय समितियां:

विभिन्न विधायी व दैनिक कार्यों के लिए समितियों का गठन संसदीय कामकाज का एक जरूरी पहलू है। ये विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श करती हैं और प्रशासनिक कार्यों पर निगरानी रखती हैं।

वित्तीय समितियां:

- (1) लोक लेखा समिति: भारत सरकार के विभिन्न विभागों का खर्च नियमानुसार हुआ है या नहीं।
- (2) प्राकलन समिति— खर्च में किफायत किस तरह की जा सकती है।
- (3) लोक उपक्रम— सरकारी उद्योगों की रिपोर्ट की जांच करती है कि उद्योग का व्यवसाय कुशलता पूर्वक चलाया जा रहे हैं या नहीं।

विभागीय स्थायी समितियां:

- (1) नियमन समिति।
- (2) विशेषाधिकार समिति।
- (3) कार्य—मंत्रणा समिति।
- (4) आश्वासन समिति।

तदर्थ समितियां:

विशिष्ट विषयों की जांच—पड़ताल करने तथा रिपोर्ट देने के लिए समय—समय पर गठन किया जाता है। बौफोर्स समझौतों से संबंधित संयुक्त समिति। समितियों द्वारा दिये गए सुझावों को संसद शायद ही नामंजूर करती है।

संसद स्वयं को किस प्रकार नियंत्रित करती है—

- (1) संसद का सार्थक व अनुशासित होना।
- (2) सदन का अध्यक्ष विधायिका की कार्यवाही के मामले सर्वोच्च अधिकारी होता है।
- (3) दल बदल निरोधक कानून द्वारा 1985 में 52 वां संशोधन किया गया। 91 वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधित किया गया। यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद—सदन में उपस्थित न हो या दल के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करें अथवा स्वेच्छा से दल की सदस्यता से त्यागपत्र दें उसे 'दलबदल' कहा जाता है। अध्यक्ष उसे सदन की सदस्यता के अयोग्य ठहरा सकता है।
- (4) भारतीय संघात्मक सरकार में 28 राज्य 7 केंद्र शासित इकाईयों को

मिलाकर भारत में संघीय शासन की स्थापना करती है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है।

- (5) भारत के प्रत्येक राज्य में विधानमंडल की व्यवस्था एक समान नहीं है। कुछ राज्यों में एक सदनीय तथा कुछ राज्यों में द्वि-सदनीय व्यवस्था है।
- (6) राज्यों में कानून निर्माण का कार्य विधानमंडलों को दिया गया है।
(1) निम्न सदन को विधानसभा। (2) उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है।

द्विसदनीय राज्य: जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र व कर्नाटक है। बाकी सभी राज्य एक सदनीय हैं।

- (1) विधानसभा की शक्तियां—
- (i) विधायी कार्यशक्ति।
 - (ii) वित्तीय शक्तियां।
 - (iii) कार्यपालिका शक्तियां।
 - (iv) चुनाव संबंधी कार्य।
 - (v) संविधान संशोधन संबंधी शक्तियां।
- (2) विधान परिषद की शक्तियां—
- (i) विधायी शक्तियां।
 - (ii) वित्तीय शक्तियां।
 - (iii) कार्यपालिका शक्तियां।

दोनों सदन राज्य विधानपालिका के आवश्यक अंग होते हुए भी संविधान ने विधानसभा को बहुत शक्तिशाली व प्रभावशाली स्थित प्रदान की है।

प्रश्नावली:

एक अंकीय प्रश्नः—

1. राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है?
2. राज्यसभा की सदस्यता के लिए कितनी आयु निर्धारित को गई है?
3. राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है?
4. कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसक निर्णय करने का अधिकार किसके पास है?
5. भारतीय संसद का कौन—सा सदन अधिक शक्तिशाली है?
6. संसद की किन्हीं दो समितियों के नाम लिखिए।
7. भारत में मंत्रिपरिषद् किस सदन के प्रति उत्तरदायी है?
8. संविधान संशोधन विधेयक किस विषय से संबंधित है?
9. संविधान का 52 वां संशोधन किस विषय से संबंधित है?
10. दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?
11. राज्यसभा में 12 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है?
12. लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित रखे गये हैं?
13. लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने स्थानी आरक्षित रखे गये हैं?
14. जी.वी. मावलंकर लोकसभा के स्पीकर थे?
15. वर्तमान में किस नये राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका है?

दो अंकीय प्रश्नः—

1. दि—सदनात्मक विधायिका के पक्ष में दो तर्क दीजिए?
2. भारत के किन्हीं चार राज्यों के नाम लिखिए जिनमें द्वि—सदनात्मक विधायिका है?
3. राज्यसभा को संरचना स्पष्ट कीजिए?
4. लोकसभा की दो विशेष शक्तियों का उल्लेख कीजिए?
5. वित्त विधेयक और गैर विधेयक में अंतर है?
6. मिलान करो—

(क) राज्य सभा में मनोनीत सदस्य	(1) राज्यसभा
(ख) निम्न सदन	(2) लोकसभा


- | | | |
|-----|-------------------------|--------|
| (ग) | ऊपरी सदन | (3) 2 |
| (घ) | लोकसभा में मनोनीत सदस्य | (4) 12 |
7. दलबदल में क्या अभिप्राय है?
8. राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए दो योग्यताएं कौन-सी हैं?
9. राज्यसभा की दो विशेष शक्तियों का वर्णन कीजिए?
10. किन परिस्थितियों में संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है?

चार अंकीय प्रश्न—

1. संसद की आवश्यकता महत्व स्पष्ट कीजिए?
2. लोकसभा की शक्तियों व कार्यों का वर्णन कीजिए?
3. लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए?
4. राज्यसभा की विशेष शक्तियों का उल्लेख कीजिए?
5. भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया के कोई चार चरण बताइए?

पांच अंकीय प्रश्न—

1. भारत के मानचित्र का अध्ययन करें तथा द्वि सदनात्मक विधायिका वाले पांच राज्यों का नाम लिखें। (पांच अंकों के लिए पांच स्थान दिखाये जा सकते हैं।)





उपरोक्त कार्टून के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए—

- (i) सदन से वॉक आऊट करना क्या एक उचित तरीका है? स्पष्ट करें। (2)
- (ii) अध्यक्ष सदस्यों को सदन से किस आधार पर आऊट कर सकते हैं? (कोई दो कारण) (2)
- (iii) सदस्यगण वॉक आऊट जैसा व्यवहार क्यों करता हैं? अपना विचार प्रस्तुत करें। (1)

छ: अंकीय प्रश्न—

1. लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में क्यों कारगर ढंग से नियंत्रण में रख सकती है।
2. लोकसभा कार्यपालिका पर कारगर ढंग से नियंत्रण रखने की नहीं बल्कि जन भावनाओं और जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का मंच है। क्या आप इससे सहमत हैं? कारण दें।
3. संसद के प्रमुख कार्यों का उल्लेख करें?

उत्तरमाला

एक अंकीय उत्तरः—

1. राज्यसभा स्थाई सदन है।
2. 30 वर्ष।
3. उप-राष्ट्रपति।
4. लोकसभा अध्यक्ष को।
5. लोकसभा।
6. (1) लोक लेखा समिति।
(2) प्राकलन समिति।
7. लोकसभा के।
8. दोनों में से किसी भी सदन में।
9. दल-बदल कानून से।
10. लोकसभा अध्यक्ष।
11. राष्ट्रपति।
12. 79
13. 40
14. प्रथम
15. तेलंगाना

दो अंकीय उत्तरः—

1. (1) समाज के सभी वर्गों व क्षेत्रों की समुचित प्रतिनिधित्व मिल जाता है।
(2) दूसरा सदन प्रथम सदन के कार्यभार कम करता है।
2. (1) जम्मू कश्मीर (2) उत्तरप्रदेश (3) बिहार (4) कर्नाटक
3. राज्यसभा के कुल सदस्य 250 है जिसमें 238 राज्यों द्वारा निर्वाचित क्षेत्र और 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करता है।
4. (1) धन विधेयक पेश करना (2) मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण।
5. संविधान में संशोधन के लिए या सामान्य विधयकों को गैर वित्त विधेयक कहते हैं जबकि धन संबंधी विधेयकों को वित्त विधेयक कहते हैं जैसे कर लगाने के प्रस्ताव का बजट।

6. मिलान करो—
- (क) (4)
 - (ख) (2)
 - (ग) (1)
 - (घ) (3)
7. जब कोई सदस्य स्वेच्छा से दल की सदस्यता से त्यागपत्र दें और दल की सदस्यता ग्रहण कर लें उसे दलबदल कहते हैं।
8. (1) वह भारत का नागरिक हो !?
- (2) वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
9. (1) राज्य सभा, राज्य के अंतर्गत आने वाली विषयों पर राष्ट्रीय हित हेतु संसद को कानून बनाने का अधिकार दे सकती है।
- (2) राज्यसभा किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा का राष्ट्र के हित में गठन कर सकती है।
10. जब दोनों में मतभेद हो।

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तर—

1. (i) विधि निर्माण।
(ii) बजट पारित करना।
(iii) सरकार पर नियंत्रण।
(iv) संविधान में संशोधन।
2. उत्तर के लिये पाठ्य पुस्तक का पेज नं. 110 देखे।
3. (i) भारत का नागरिक।
(ii) आयु 35 वर्ष।
(iii) पागल व दिवालिया न हो।
(iv) किसी लाभप्रद सरकारी पद पर न हो।
4. उत्तर के लिये पाठ्य पुस्तक का पेज नं. 110 देखें।
5. प्रथम वाचन
द्वितीय वाचन
तृतीय वाचन
राष्ट्रपति की स्वीकृत (व्याख्या सहित)।

पाँच अंकीय प्रश्नों के उत्तर—

1. | जम्मू और कश्मीर
 - || उत्तर प्रदेश
 - ||| बिहार
 - IV महाराष्ट्र
 - V आंध्रप्रदेश
 - VI कर्नाटक
 - VII तेलंगाना (कोई पांच)
- प्र01 (i) नहीं, क्योंकि सदन एक ऐसा मंच है। जहां पर वाद-विवाद चर्चा, बहस व सहमति के आधार पर किसी समस्या का समाधान खोजा जाता है।
- (ii) अनुशासनहीनता पर।
- (iii) विद्यार्थी स्वयं उत्तर लिखें।

छः अंकीय प्रश्नों के उत्तर—

1. (i) प्रश्न, पूरक, प्रश्न, काम रोको प्रस्ताव आदि से
(ii) अविश्वास प्रस्ताव
(iii) मंत्रीपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी
(iv) जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि
(v) लोकप्रिय सदन
(vi) सदस्य संख्या अधिक
2. (i) जनता के चुने प्रतिनिधि होने के कारण
(ii) जनहित में कानून बनाना।
(iii) जनआकांक्षाओं एवं भावनाओं से परिचित होना।
(iv) चुनाव के माध्यम से जनता के प्रति जवाबदेहिता। (व्याख्या सहित)
3. कानून बनाना
कार्यपालिका पर नियंत्रण
बहस व चर्चा
वित्तीय नियंत्रण व अविश्वास प्रस्ताव आदि।

अध्याय 6

न्यायपालिका

न्यायपालिका सरकार का महत्वपूर्ण तीसरा अंग है जिसे विभिन्न व्यक्तियों या निजी संस्थाओं ने आपसी विवादों को हल करने वाले पांच के रूप में देखा जाता है कि कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता के सुनिश्चित करें। इसके लिये यह जरूरी है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर स्वतंत्र निर्णय ले सकें। इस न्यायपालिका देश के संविधान लोकतांत्रिक परम्परा और जनता के प्रति जवाबदेह है।

विधायक और कार्यपालिका के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचाएं तांकि कार्यों में यह ठीक ढंग से न्याय कर सकें।

न्यायधीश बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य कर सकें।

न्यायधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी मुक्ति को वकालत का अनुभव या कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। इनका निश्चित कार्यकाल होता है। वे सेवा निवृत्त होने तक पद पर बने रहते हैं। विशेष स्थितियों में न्यायधीशों को हटाया जात सकता है।

न्यायपालिका, विधायिका या कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है।


न्यायधीश की नियुक्ति—

मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और भारत के मुख्यन्याधीय— ये सभी न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया की प्रभावित करते हैं।

मुख्य न्यायधीश नियुक्ति के संदर्भ में यह परम्परा भी है कि सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायधीश को इस परम्परा को दो बार तोड़ा भी गया है।

सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायधीश की सलाह से करता है। ताकि न्यायालय की स्वतंत्रता व शक्ति संतुलन दोनों बने रहे।

न्यायपालिका की पिरामिड रूपी सरंचना है—



सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार—

मौलिक अधिकार: केन्द्र व राज्यों के बीच विवादों का निपटारा।

रिट: मौलिक अधिकारों का संरक्षण

अपीलीय

दीवानी फौजदारी व संवैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायलयों के मुकदमों पर अपील सुनना।

सलाहकारी

जनहित के मामलों तथा कानून के मसलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना।

विशेषाधिकार

किसी भारतीय अदालत के दिये गये फैसले पर स्पेशल लीव पिटीशन के तहत अपील पर सुनवाई।

भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जन हित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका रही है।

- 1979–80 के बाद जनहित याचिकाओं और न्यायिक सक्रियता के द्वारा न्यायधीश ने उन मामलें में रुचि दिखाई जहां समाज के कुछ वर्गों के लोग आसानी से अदालत की शरण नहीं ले सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु न्यायलय ने जन सेवा की भवन से भरे नागरिक, सामाजिक संगठन और वकीलों को समाज के जरूरतमंद और गरीब लोगों की ओर से—याचिकाएं दायर करने को इजाजत दी।
- न्यायिक सक्रियता ने न्याय व्यवस्था को लोकतंत्रिक बनाया और कार्यपालिका उत्तरदायी बनने पर बाध्य हुई।
- चुनाव प्रणाली को भी ज्यादा मुक्त और निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया।
- चुनाव लड़ने वाली प्रत्याशियों की अपनी संपत्ति आय और शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में शपथ पत्र दने का निर्देश दिया, ताकि लोग सही जानकारी के आधार पर प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकें।

सक्रिय न्यायपालिका का नकरात्मक पहलूः—

- न्यायपालिका में काम का बोझ बढ़ा

- न्यायिक सक्रियता से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के बीच अंतर करना मुश्किल हो गया जैसे—वायु और धनि प्रदूषण दूर करना, भ्रष्टाचार की जांच व चुनाव सुधार करना इत्यादि विधायिका की देखारेख में प्रशासन की करना चाहिए।
- सरकार का प्रत्येक अंश एक—दूसरे की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का सम्मान करें।

न्यायपालिका और अधिकारः—

- न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायलय किसी भी कानून की संवैधानिकता जांच कर सकता है यदि यह संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो तो उसे गैर—संवैधानिक घोषित कर सकता है।
- संघीय संबंधी (केंद्र—राज्य संबंध) के मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति पर प्रयोग कर सकता है।
- सरकार का प्रत्येक अंश एक—दूसरे की शक्तियां और क्षेत्राधिकार का सम्मान करें।

न्यायपालिका और अधिकार—

- न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायलय किसी भी कानून की संवैधानिकता जांच कर सकता है यदि यह संविधान के प्रावधानों के विपरित हो तो उसे गैर—संवैधानिक घोषित कर सकता है।
- संघीय संबंधी (केंद्र—राज्य संबंध) के मामलों में भी सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकता है।
- न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित कानूनों की और संविधान की व्याख्या करती हैं। प्रभावशाली ढंग से संविधान की रक्षा करती है।
- नागरिकों के अधिकारी की रक्षा करती है।
- जनहित याचिकाओं द्वारा नागरिकों के अधिकारी की रक्षा ने न्यायपालिका की शक्ति में बढ़ोतरी की है।

न्यायपालिका और संसद—

भारतीय संविधान में सरकार के प्रत्येक अंग का एक स्पष्ट कार्यक्षेत्र है। इस कार्य विभाजन के बावजूद संसद व न्यायपालिका तथा कार्यपालिका और न्यायपालिका के

बीच टकराव भारतीय राजनैतिक की विशेषता रही है।

- संपत्ति का अधिकार।
- संसद की संविधान को संशोधित करने की शक्ति के संबंध में।
- इनके द्वारा मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता।
- निवारक नजरबंदी कानून।
- नौकरियों में आरक्षण संबंधी कानून।

1973 में सर्वोच्च न्यायलय के निर्णय

संविधान का एक मूल ढांचा है और संसद सहित कोई भी इस मूल ढांचे से छेड़-छाड़ नहीं कर सकती। संविधान संशोधन द्वारा भी इस मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता।

संपत्ति के अधिकार के विषय में न्यायलय ने कहा कि यह मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है उस पर समुचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

न्यायलय ने यह निर्णय अपने पास रखा कि कोई मुद्रा मूल ढांचे का हिस्सा है या नहीं यह निर्णय संविधान की व्याख्या करने की शक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है।

संसद व न्यायपालिका के बीच विवाद के विषय बने रहते हैं। संविधान यह व्यवस्था करना है कि न्यायधीशों के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं की जा सकती लेकिन कर्र अवसरों पर न्यायपालिका के आचरण पर उंगली उठाई गई है। इसी प्रकार न्यायपालिका ने भी कई अवसरों पर विधायिका की आलोचना की है।

लोकतंत्र में सरकार ने एक अंग का दूसरे अंग की सत्ता के प्रति सम्मान बेहद जरूरी है।

प्रश्नावली:

एक अंकीय प्रश्नः—

1. वाक्य के शुद्ध करके लिखो।
उच्च न्यायलय के फैसले भारतीय भू-भाग के अन्य सभी न्यायलयों पर बाध्यकारी हैं।
2. भारत में कुल कितने उच्च न्यायलय हैं?
3. भारत के मुख्य न्यायधीश का वेतन कितना है?
4. भारतीय न्यायपालिका कब से संविधान की व्याख्या और सुरक्षा करने कार्य कर रही है?
5. वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों का प्रावधान है।
6. कौन से न्यायलय द्वारा जारी निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायलय में अपील नहीं की जा सकती है?
7. जनहित याचिका किस देश द्वारा अपने संविधान में शामिल की गई है?
8. भारत का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर कार्यरत्त रह सकता है?
9. भारत के मुख्य-न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर परम्परा को कब तोड़ा गया?

दो अंकीय प्रश्नः—

1. जनहित याचिका कब व किसके द्वारा आरम्भ की गई?
2. जनहित याचिका में क्या परिवर्तन किया गया?
3. जनहित याचिका से किसकी लाभ पहुंचता है?
4. न्यायिक पुनरावलोकन का क्या अर्थ है?
5. सर्वोच्च न्यायालय की अपने ही फैसले बदलने की इजाजत क्यों दी जाती है?
6. न्यायपालिका अनुच्छेद 32 का प्रयोग क्यों तथा किस प्रकार करती है।
7. अनुच्छेद 226 जारी करने का अधिकार किसका है तथा कैसे?
8. कौन-सी दो शक्तियां सर्वोच्चन्यायलय को शक्तिशाली बना देती हैं?
9. कानून के शासन का क्या अर्थ है?

10. न्यायिक पुनरावलोकन तथा रिट में क्या अन्तर है?

चार अंकीय प्रश्नः—

1. सर्वोच्च न्यायलय द्वारा जारी रीट का वर्णन करो।
2. परामर्श दात्री क्षेत्राधिकार से सरकार को क्या लाभ है।
3. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीशों की पद से हटान की प्रक्रिया का वर्णन करो।
4. सामुहिकता के सिद्धान्त का क्या अर्थ है?
5. अपीलीय क्षेत्राधिकार का वर्णन करो?

छः अंकीय प्रश्नः—

1. भारतीय न्यायपालिका की सरंचना पिरमिड के आकार भी है वर्णन करो।?
2. सर्वोच्च न्यायलय के क्षेत्राधिकार का वर्णन करो?
3. जनहित यचिका किस प्रकार गरीबों की मदद कर सकती है?
4. जनहित यचिकाओं को न्यायपालिका के लिए नकरात्मक पहलू क्या माना जाता है?
5. न्यायपालिका की नियन्त्रता के लिए प्रमुख उपायी की चर्चा करो?

पांच अंकीय प्रश्नः—

1. यह बात जरूर याद रहे कि गरीबों की समस्याएं ऐसे लोगों की समस्याओं से गुणात्मक रूप से अलग हैं जिन पर अब तक अदालत को ध्यान रहा है। गरीबों के प्रति इंसाफ का अलग नजरिया अपनाने की जरूरत है यदि हम गरीबों के मामले में आंख मूंद कर इंसाफ करने की कोई प्रतिकूल प्रक्रिया अपनाते हैं, तो वे कभी भी अपने मौलिक अधिकारी का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। (न्यायमूर्ति भगवती—बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत सरकार 1984)
 - (1) उपरलिखित कथन किस के द्वारा कहा गया?
 - (2) मुकद्दमे का नाम क्या था?
 - (3) न्यायमूर्ति किस के हित के बारे में लिख रहे हैं।
 - (4) सभी मौलिक अधिकारी का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं।

2.



- (1) उपरोक्त चित्र में न्यायपालिका किस विषय पर हस्ताक्षेप कर रही हैं। (1)
(2) न्यायपालिका हस्ताक्षेप से क्या लागू है। (2)
(3) हस्ताक्षेप करते हुए न्यायपालिका ने क्या निर्णय दिया? (2)

3. आप एक न्यायाधीश है

नागरिकों का एक समूह जनहित याचिका के माध्यम से न्यायालय जाकर प्रार्थना करता है कि वह शहर की नगरपालिका के अधिकारियों को झुग्गी झोपड़ियों हटाने और शहर को सुंदर बनाने का काम करने के आदेश दें, ताकि शहर में पूंजी निवेश करने वाले को आकर्षित किया जा सके। उनका तर्क है कि ऐसा करना जनहित में है। झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाला का पक्ष है कि ऐसा करने पर उनके 'जीवन के अधिकार' का हनन होगा। उनका तर्क है कि जनहित के लिए साफ-सुथरे शहर के अधिकर से ज्यादा जीवन का अधिकतर महत्वपूर्ण है। कल्पना करें कि आप एक न्यायाधीश हैं। आप एक निर्णय लिखें और तय करें कि इस 'जनहित याचिका' में जनहित का मुद्दा है या नहीं?

- (1) न्यायालय जाने वाले दो पक्ष कौन-कौन हैं? (1)
(2) दोनों पक्षों ने जनहित के आधार पर अपना कौन-कौन सा पक्ष रखा। (2)
(3) अगर आप न्यायाधीश होते तो क्या निर्णय लेते तथा ये विषय जनहित याचिका का विषय है या नहीं? (2)

उत्तरमाला

एक अंकीय उत्तरः—

1. सर्वोच्च न्यायालय
2. 24
3. एक लाख रु. प्रतिमाह
4. 1950
5. 31 (30+1)
6. सैनिक न्यायालय
7. द० अफ्रीका
8. 65 वर्ष की आयु तक
9. 1973 और 1977 में

दो अंकीय उत्तरः—

1. 1970 ने न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती तथा बी. के. कृष्णआधर द्वारा।
2. अखबारों के समाचार तथा डाक द्वारा प्राप्त शिकायत की भी जनहित याचिका माना जाने लगा।
3. गरीबों, असहाय, असक्षम निरक्षर लोगों की शीघ्र न्याय दिलवाने के लिए।
4. न्यायपालिका द्वारा अपने द्वारा दिए गए निर्णय की पुनः जांच करना।
5. न्यायपालिका से भी चूंक हो सकती है। व्यक्ति की सच्चा न्याय प्राप्त हो।
6. न्यायपालिका रीट जारी करके बंदी प्रत्यक्षीकरण परमावेश जारी ताकि सभी को जीने का अधिकार तथा सूचना का अधिकार प्राप्त हो। मौलिक अधिकारों को फिर से स्थापित कर सकता है।
7. उच्च न्यायलय रीट जारी कर सकती है।
8. किसी कानून की गैर संवैधानिक घोषित कर सकती है उसे लागू होने से रोक सकती है।
9. (1) रिट जारी करने की शक्ति (2) न्यायिक पुनरावालोकन शक्ति गरीब अमीर, स्त्री और पुरुष, अगड़े और पिछड़े सभी वर्गों के लोगों पर एक समान कानून लागू हो।

- न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित कानूनों की और संविधान का व्याख्या कर सकती है।
- मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय जो आदेश जारी करती है रिट कहलाती है।

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तर—

- बन्दी प्रत्यक्षीकरण परमादेश अधिकार पच्छा उत्प्रेष्ठा वर्णन।
- (i) सरकार को छूट मिल जाती हैं
 (ii) अदालती राय जानकर कानूनी विवाद से बचा जा सकता है
 (iii) विधेयक में संशोधन कर सकती है
 (iv) समस्या का समाधान विद्वान व्यक्तियों के द्वारा।
- (i) महाभियोग द्वारा ;पपद्व अयोग्यता का अरोप लगने पर (iii) विशेष बहुल प्रस्ताव पारित (iv) दोनों सदनों में बढ़त के बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षेप।
- (i) सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारतक के मुख्यन्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा।
 (ii) न्यायाधीश की नियुक्ति नई व्यवस्था के माध्यम से
 (iii) नई व्यवस्था में भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य चार वरिष्ठतम् न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सामूहिकता का सिद्धान्त।
- (i) उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध (ii) उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणित कि कानूनी व्याख्या से सम्बन्धित (iii) किसी अपराधी के अपराध मुक्ति के निर्णय को बदल कर पुनः फांसी की सजा, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय से मंगवा कर पुन निरक्षण कर सकता है।

पांच अंकीय प्रश्नों के उत्तर—

- (1) न्यायमूर्ति भगवती के द्वारा
 (2) बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत सरकार 1984
 (3) गरीबों के।
 (4) गरीबों के प्रति इंसाफ का नजरिया बनाकर उचित व उचित समय पर निर्णय करना।

2. (i) डाक हड्डताल (ii) जनता को सुविधा (iii) सार्वजनिक हित से सम्बन्धित विभागों को हड्डताल नहीं करनी चाहिए। (iv) लोगों की असुविध (v) दैनिक आवश्यकताओं पर प्रभाव
3. (1) (i) शहर को सुन्दर बनाने हेतु (ii) झुग्गियों को तोड़ने से रोकने वाले (2) शहर का सुन्दर बनाकर पूँजी निवेश पर बल, दूसरा पक्ष जीवन के अधिकार की मांग (3) जीवने अधिकार को प्राथमिकता देता, सफाइ का निर्देश दिया जाता ।

छ: अंकीय प्रश्नों के उत्तर—

1. सर्वोच्च
उच्च
जिला न्यायालय
वर्णन
2. प्रारम्भिक (मौलिक, अपीलीय, परामर्शदाता, रिट जारी करना, वर्णन)
3. किसी व्यक्ति, संस्था की शिकायत, अखबार में समाचार, डाक द्वारा शिकायत के आधार पर।
4. (i) न्यायपालिका पर काम का बोझ बढ़ना ।
(ii) विधानपालिका के कार्यों का न्यायपालिका के द्वारा किया जाता ।
(iii) न्यायपालिका के पास समय का अभाव
(iv) न्यायाधीशों की कमी ।
5. (i) न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की आयु निश्चित
(ii) अच्छा वेतन
(iii) न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णयों को चुनौती नहीं
(iv) दिए गए निर्णयों के लिए न्यायाधीशों को जीवन सुरक्षा प्रदान करना ।
(v) राजसत्ता द्वारा न्यायाधीशों के कार्यों में बाधा न पहुँचाना
(vi) न्यायाधीशों की नियुक्ति में विधानपालिका की दखल अंदाजी नहीं ।

अध्याय 7

संघवाद

विशेष बिन्दू—

संघवाद का अर्थ— साधारण शब्दों में कहें तो संघवाद संगठित रहने का विचार है। (संघ=संगठन+वाद=विचार)।

‘संघवाद’ एक संस्थागत प्रणाली है जिसमें दो स्तर की राजनीतिक व्यवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है, इसमें एक संघीय (केन्द्रीय) स्तर की सरकार और दूसरी प्रांतीय (राज्यीय) स्तर की सरकारें।

संघीय (केन्द्रीय) सरकार पूरे देश के लिए होती है, जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं और राज्य की सरकारें अपने प्रांत (राज्य) विशेष के लिए होती हैं, जिसके जिम्में राज्य के महत्व के विषय होते हैं। उदाहरण—भारत में संघ सूची के विषयों पर केन्द्रीय (संघीय) सरकार कानून बनाती है तो राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है।

भारतीय संविधान में संघवाद— संविधान के अनुच्छेद-1 में भारत को ‘राज्यों का संघ’ कहा गया है।

- (i) भारत में जो संघवाद अपनाया गया है, उसका आधार राष्ट्रीय आन्दोलनन के दौरान आन्दोलन कर्ताओं के द्वारा लिए उस फैसले का परिणाम है कि जब देश आजाद होगा तब विशाल भारत देश पर शासन करने के लिए शक्तियों को प्रांतीय और केन्द्रीय सरकारों के बीच बांटेगे। आज संविधान में ऐसा ही है।
- (ii) भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था (संघवाद) के अनुसार— एक संघीय (केन्द्रीय) सरकार + उन्नतीस (29) राज्य तथा सात (07) केन्द्र शासित सरकारें अपने—अपने प्रांतों में अपने—अपने विषयों पर काम करती हैं। सात केन्द्र शासित प्रांतों में से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है।
- (iii) वेस्टइंडीज, नाईजीरिया, अमेरिका एवं जर्मनी जैसे देशों में भी ‘संघवाद’ है परन्तु भारतीय संघवाद से भिन्न।

- (iv) भारतीय संघवाद की विशेषताएं—
- (क) भारत में दो स्तर (केन्द्रीय स्तर तथा राज्य स्तर) की सरकारें हैं।
 - (ख) लिखित संविधान।
 - (ग) शक्तियों का विभाजन (संघ सूची—97), राज्य सूची (66), समवर्ती सूची (47)+ अब्शियर सूची
 - (घ) स्वतंत्र न्यायपालिका।
 - (ड) संविधान की सर्वोच्चता।

शक्ति विभाजन—

भारतीय संविधान में दो तरह की सरकारों की बात मानी गई है— एक संघीय (केन्द्रीय) सरकार तथा दूसरी प्रांतीय (राज्य) सरकार। संविधान के अनुच्छेद 245—255 में संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का घोषण पत्र है। संघीय (केन्द्रीय) सरकार के पास राष्ट्रीय महत्व के तो प्रांतीय (राज्य) सरकार के पास प्रांतीय महत्व के कार्य / विषय हैं।

भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षण—

- (i) संविधान की सर्वोच्चता—कोई भी शक्ति संविधान से ऊपर नहीं है। सभी संविधान के दायरे में रहकर काम करेंगे।
- *(ii) शक्तियों का विभाजन—देश में केन्द्र तथा राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों को तीन सूचियों (संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची) के अन्तर्गत बांटा गया है।
- (iii) स्वतंत्र न्यायपालिका—भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जो सरकार को तानाशाही होने से रोकता है, तथा सभी नागरिकों को निस्पक्ष न्याया दिलाती है।
- (iv) संशोधन प्रणाली—यह संघीय प्रक्रिया के अनुरूप ह।
- (v) दो स्तर की सरकारें—(क) संघीय (ख) संघीय (केन्द्रीय) तथा राज्य (प्रांतीय) सरकार।

भारतीय संविधान में एकात्मकता के लक्षण—

भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षणों के साथ ही एकात्मक लक्षण भी है जो निम्न है—

- (i) इकहरी नागरिकता।
- (ii) शक्ति विभाजन में संघीय (केन्द्रीय) पक्ष अन्य से अधिक ताकतवर।
- (iii) संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान।
- (iv) एकीकृत न्यायपालिका।
- (v) आपातकाल में एकात्मक शासन (केन्द्र शक्तिशाली)
- (vi) राज्यों में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति।
- (vii) इकहरी प्रशासकीय व्यवस्था (अखिल भारतीय सेवाएँ—IAS)

भारतीय संघ में सशक्त केन्द्रीय सरकार क्यों?—

भारतीय संविधान द्वारा एक शक्तिशाली (सशक्त) केन्द्रीय (संघीय) सरकार की स्थापना करने कारण निम्न हैं—

भारत एक महाद्वीप की तरह विशाल तथा अनेकानेक विविधताओं और सामजिक-आर्थिक समस्याओं से भरा है। संविधान निर्माता शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार के माध्यम से उन विविधताओं तथा समस्याओं का निपटारा चाहते थे। देश की आजादी (1947) के समय 500 से अधिक देशी रियासतें थीं उन सभी को शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार के द्वारा ही भारतीय संघ में शमिल किया जा सका।

भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव—

- (क) केन्द्र—राज्य संबंध— संविधान में केन्द्र को अधिक शक्ति प्रदान करने पर अक्सर राज्यों द्वारा विरोध किया जाता है। और राज्य निम्नलिखित मांगे करते हैं—
 - (i) स्वायत्तता की मांग: समय—समय पर अनेक राज्यों और राजनीतिक दलों में राज्यों को केन्द्र के मुकाबले ज्यादा स्वायत्तता देने की मांग उठाई है जो निम्न रूपों में है—
 - (A) वित्तीय स्वायत्तता— राज्यों के आय के अधिक साधन होने चाहिए।
 - (B) प्रशासन स्वायत्तता— शक्ति विभाजन को राज्यों के पक्ष में बदला जाए। राज्यों को अधिक महत्व के अधिकार। शक्तियां दी जाए।
 - (C) सांस्कृतिक और भाषाई मुद्दे—तमिलनाडु में हिन्दी विरोध में पंजाब में पंजाबी व संस्कृत के प्रोत्साहन की मांग।

- (ii) राज्यपाल की भूमिका तथा राष्ट्रपति शासन:
- (A) केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों की सरकारों की सहमति के बिना राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करा दी जाती है।
- (B) केन्द्र सरकार द्वारा राज्यपाल के माध्यम से अनुच्छेद-356 का अनुचित प्रयोग कर, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगवा देना।
- (iii) नए राज्यों की मांग: भारतीय संघीय व्यवस्था में नवीन राज्यों के गठन की मांग को लेकर भी तनाव रहा है।
- (iv) अंतर्राज्यीय विवाद:
- (A) संघीय व्यवस्था ने दो या दो से अधिक राज्यों में आपसी विवाद के अनेकों उदाहरण हैं।
- (B) राज्यों के मध्य सीमा विवाद—जैसे बेलगांव को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक में टकराव।
- (C) नदियों के जल बंटवारे को लेकर विवाद, जैसे—कर्नाटक एवं तमिलनाडू कावेरी जल—विवाद में फंसे हैं।
- (v) विशिष्ट प्रावधान: (पूर्वोत्तर के राज्य तथा जम्मू कश्मीर):
- (A) संविधान के अनुच्छेद 370 द्वारा जम्मू कश्मीर को विशिष्ट स्थिति प्रदान की गई है। जैसे—अलग संविधान, धज तथा भारतीय संसद द्वारा राज्य सरकार की सहमति के बिना आपातकाल नहीं लगा सकती। आदि।
- (B) संविधान के अनुच्छेद 371 से 371 (झ) तक में नागालैंड, असम, मणिपुर, आन्ध्रप्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को विशिष्ट स्थिति प्रदान की गई है।

प्रश्नावली:

एक अंकीय प्रश्नः—

1. संघवाद के लिए भारतीय संविधान में किस शब्द का प्रयोग किया है?
2. संघवाद का क्या अर्थ है?
3. केन्द्र तथा राज्यों के बीच उठे विवादों का समाधान किस के द्वारा?
4. भारत में संघवाद व्यवस्था को क्यों अपनाया गया?
5. समवर्ती सूची पर किसने कानून बनाने का अधिकार।
6. सरकारिया आयोग कब बनाया गया?
7. राज्यों से राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किस अनुच्छेद के अन्तर्गत ।
8. राज्यों में राष्ट्रपति शासन कितने वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है?
9. राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई।
10. किस भारतीय राज्य का आपना संविधान है?

दो अंकीय प्रश्नः—

1. मैसूर तथा मद्रास को किस राज्य में विलय किया गया?
2. संघवाद से भारत की विमिधता में एकता किस प्रकार सहायक हुई?
3. अनुच्छेद-1 क्या दर्शाता है?
4. शक्ति विभाजन का क्या अर्थ है?
5. अवशिष्ट शक्तियां कौन-सी हैं?
6. राज्य स्वायतता की मांग किस आधार पर करते हैं?
7. सरकारिया आयोग की स्थापना की?
8. अन्तराज्यीय विवादों के दो उदहारण दीजिए।

चार अंकीय प्रश्नः—

1. ज्यादा स्वायतता की चाह ने प्रदेशों ने कौन-कौन सी मांग उठाई?
2. भारतीय संविधान की चार संघातमक विशेषताएं बनाइए?
3. भारत में संविधान की चार एकात्मक विशेषताएं लिखें?
4. बहुत से प्रदेश राज्यपाल की भूमिका को लेकर खुश क्यों नहीं हैं?
5. राज्यों में राष्ट्रपति शासन के प्रावधान का उल्लेख कीजिए।

छ: अंकीय प्रश्नः—

1. भारतीय संवधिन का स्वरूप संघातमक है लेकिन वास्त्व में एकात्मक की विशेषताएं प्रभावी हैं।
2. संघ सूची राज्य सूची समवर्ती सूची का वर्णन करो।
3. स्वायतता और अलगाववाद का क्या अर्थ है।
4. जम्मू कश्मीर को प्राप्त विशिष्ट शक्ति का वर्णन करो?

पांच अंकीय प्रश्नः—

1. दिए गए अवतरण को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो—

जहाँ एक और राज्य अधिका स्वायतता और आय के स्रोतों पर अपनी हिस्सेदारी के सवाल पर केन्द्र विवाद की स्थिति में रहते हैं, वही दूसरी और संघीय व्यवस्था में दीपाओं से अधिक राज्यों में आपसी विवाद के भी अनेक उदाहरण मिलते हैं। यह सच है कि कानूनी विवादों में न्यायपालिका पंच की भूमिका निभाती है। लेकिन इन विवादों का स्वरूप मात्र कानूनी नहीं होता। इन विवादों के राजनीतिक पहलू भी होते हैं अतः इनका सर्वोत्तम समाधान केवल विचार-विमर्श और पारस्परिक विश्वास के आधार पर ही हो सकता है।

- (1) केन्द्र तथा राज्यों में किस कारण से विवाद रहता है?
- (2) राज्यों में आपसी विवाद का कोई एक कारण बताइए।
- (3) कानूनी विवादों की कौन हल कर सकता है? विवादों के राजनीतिक पहलू को किस प्रकार सुलझाया जा सकता है?

2+1+2

2. राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है?


1


कार्टून के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति का क्या आशय है?

2

क्या राज्यपाल की नियुक्ति हमेशा इसी प्रकार होती है?

2





3. (i) भारत के 1947 प्रांत के मानचित्र से चार रियासतों के नाम लिख कर बताइए कि वर्तमान समय में इनका विलय किन राज्यों में हुआ? 2
- (ii) चार राज्यों के नाम लिखो जिनका नए राज्यों के रूप में जन्म हुआ? 2
- (iii) एक गैर हिन्दी भाषा राज्य का नाम लिखो। 1

उत्तरमाला

एक अंकीय उत्तरः—

1. यूनियन
2. केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार स्वतंत्र रूप से अपने कार्य करते हैं।
3. भारतीय सर्वोच्च न्यायपालिका के द्वारा
4. भारतीय जनसंख्या की विशलता तथा विविधता
5. केन्द्र तथा राज्य सरकार दोनों को
6. 1983 में
7. अनुच्छेद 356
8. तीन वर्षों तक
9. 1954
10. जम्मू और कश्मीर का

दो अंकीय उत्तरः—

1. कर्नाटक, तमिलनाडु
2. केन्द्र तथा राज्य सरकारों का अपना क्षेत्र अधिकार भाषा संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन।
3. भारत और राज्यों का एक संघ (यूनियन) होना।
4. (1) कार्यपालिका विधानपालिका न्यायपालिका का अपना अधिकार क्षेत्र है।
(2) संघ, राज्य, समवर्ती सूची में अपने विषय है जिसे केन्द्र तथा राज्य सरकार बनाता है
5. वे सभी विषय जिनका उल्लेख किसी सूची में नहीं दिया गया।
6. राज्य स्वायत्ता की मांग भाषा, आया, वित्तीय शक्ति, प्रशासकीय शक्ति।
7. राज्यपालों की एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए, अनुच्छेद 356 की शक्तियाँ बहुत सीमित रूप से इस्तेमाल।
8. सीमा विवाद नदी जल बंटवारा विवाद

चार अंकीय उत्तरः—

1. — नदी जल बंटवारा
 - सीमा विवाद, नए राज्यों की मांग
 - आर्थिक वित्तीय स्वतंत्रता, संसाधनों पर अधिकार
2. सरकार के तीन अंग— तीन प्रकार की सरकार
 - तीन प्रकार की सूची के विषय, कानून बनाने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका, लिखित कठोर संधिनि।
3. इकहरी नागरिकता, कानून बनाने के विषय केन्द्र के पास अधिक समर्ती सूची के विषयों पर भी कानून वित्तीय अधिकार केन्द्र के पास आपातकालीन शक्ति।
4. राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, केन्द्र सरकार के लिए कार्य राष्ट्रपति शासन लगवाने का अधिकार, विधेयक को कानून बनाने पर विवाद।
5. अनुच्छेद 356, आन्तरिक शांति भंग होने पर सरकार के पास बहुमत न रहने पर आर्थिक संकट आने पर वर्णन।

पांच अंकीय उत्तरः—

1. (1) वित्तीय, कानून बनाने के विषय, आपातकाल की शक्ति
 - (2) नदी जल वितरण विवाद
 - (3) न्यायपालिका, विचार विमर्श, पारस्परिक विश्वास
2. — राष्ट्रपति के द्वारा
 - जब चाहे जिसे राज्यपाल बना दे, जब चाहे हटा दे, या दूसरे स्थान पर भेंज दे।
 - हाँ, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति की इच्छा तथा केन्द्र सरकार की इच्छा से की जाती हैं।
3. (i) रियासत राज्य

(1) राजपूताना	राजस्थान
(2) जूनागढ़	गुजरात
(3) मैसूर	कर्नाटक
(4) मद्रास	तमिलनाडू

- (ii) उत्तराखण्ड, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना
- (iii) आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक (कोई एक)

छ: अंकीय उत्तरः—

1. इकहरी नागरिकता, इकहरी न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति, राज्यों पर अनुच्छेद 356 का प्रयोग।
2. सभी विषयों की सूची
3. (1) स्वायतता अधिक अधिकारी प्राप्त करना, अलगाववाद—केन्द्र सरकार द्वारा भेदभाव पूर्ण व्यवहार
 (2) राज्यों के द्वारा कार्य करते समय केन्द्र सरकार का हस्तक्षेप न करना।
 अलगाववाद ने केन्द्र सरकार राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता से देना, विकास संबंधी योजनाएं न बनाना।
4. — अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा
 — केन्द्र सूची समवर्ती सूची पर केन्द्र द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने से पहले जम्मू कश्मीर राज्य की सहमति
 — अधिक स्वायतता प्राप्त
 — आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू नहीं कर सकती।
 — राज्य में नीति निर्देशक तत्व यहां लागू नहीं होते।
 — अनुच्छेद 368 के अनुसार भारतीय संविधान के संशोधन राज्य सरकार की सहमति से ही जम्मू कश्मीर में लागू


अध्याय 8

स्थानीय शासन

विशेष बिन्दु—

- **स्थानीय शासन:** गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। यह आम आदमी का सबसे नजदीक का शासन है। इसमें जनता की प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान बहुत तेजी से तथा कम खर्च में हो जाता है।
- **लोकतंत्र का अर्थ** है सार्थक भागीदारी तथा जवाबदेही। जीवंत और मजबूत स्थानीय शासन सक्रिय भागीदारी और उद्देश्यपूर्ण जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। जो काम स्थानीय स्तर पर किए जा सकते हैं वे काम स्थानीय लोगों तथा उनके प्रतिनिधित्वयों के हाथ में रहने चाहिए। आम जनता राज्य सरकार या केन्द्र सरकार से कहीं ज्यादा, स्थानीय शासन से परिचित होती है।
- **भारत में स्थानीय शासन का विकास:** प्राचीन भारत में अपना शासन खुद चलाने वाले समुदाय, “सभा” के रूप में मैजूद थे। आधुनिक समय में निर्वाचित निकाय सन् 1882 के बाद आस्तित्व में आए। उस वक्त उन्हें “मुकामी बोर्ड” कहा जाता था। 1919 के भारत सरका अधिनियम के बनने पर अनेक प्रांतों में ग्रम पंचायतें बनी। जब संविधान बना तो स्थानीय शासन का विषय प्रदेशों को सौंप दिया गया। संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी इसकी चर्चा है।
- **स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन:** संविधान के 73 वें और 74वें संशोधन के बाद स्थानीय शासन को मजबूत आधार मिला। इससे पहले 1952 का “सामुदायिक विकास कार्यक्रम” इस क्षेत्र में एक अन्य प्रयास था इस पृष्ठभूमि में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत एक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरूआत की सिफारिश की गई। ये निकाय वित्तीय मदद के

- लिए प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकार पर बहुत ज्यादा निर्भर थे। सन् 1987 के बाद स्थानीय शासन की संस्थाओं के गहन पुनरावालोकन की शुरूआत हुई।
- सन् 1989 में पी.के. थुंगन समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की।
 - संविधान का 73वां और 74 वां संशोधनः सन् 1992 में संसद ने 73वां और 74 वां संविधान संशोधन पारित किया।
 - 73वां संशोधन गांव के स्थानीय शासन से जुड़ा है। इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। 74वां संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है।
- 73वां संशोधन— 73वें संविधान संशोधन के कुछ प्रावधान
- (1) **त्रि-स्तरीय ढांचा:** अब सभी प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था का त्रि-स्तरीय ढांचा है।



- (2) **चुनाव:** पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों के चुनाव सीधे जनता करती है। हर निकाय की उपाधि पांच साल की होती है।
- (3) **आरक्षण:**

- महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित
- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण
- यदि प्रदेश की सरकार चाहे तो अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) को भी सीट में आरक्षण दे सकती है।

इस आरक्षण का लाभ हुआ कि आज महिलाएं सरपंच के पद पर कार्य कर रही हैं।

भारत के अनेक प्रदेशों के आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को 73 वें संविधान के प्रावधानों से दूर रखा गया परन्तु सन् 1996 में एक अलग कानून बना कर पंचायती राज के प्रावधानों में, इन क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया गया।

- **राज्य चुनाव आयुक्तः** प्रदेशों के लिए यह जरूरी है कि वे एक राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करें। इस चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की होगी।
- **राज्य वित्त आयोगः** प्रदेशों की सरकार के लिए हर पांच वर्ष पर एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनाना जरूरी है। यह आयोग प्रदेश में मौजूद स्थानीय शायन की संस्थाओं की आर्थिक स्थिति की जानकारी रखेगा।
- **74वां संशोधनः** 74वें संशोधन का संबंध शहरी स्थानीय शासन से है अर्थात् नगरपालिका से।


शहरी इलाका: (1) ऐसे इलाके में कम से कम 5000 की जनसंख्या हो (2) कामकाजी पुरुषों में कम से कम 75% खेती बाड़ी से अलग काम करते हो (3) जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो।

विशेषः अनेक रूपों में 74 वें संविधान संशोधन में 73वें संशोधन का दोहराव है लेकिन यह संशोधन शहरी क्षेत्रों से संबंधित है। 73 वें संशोधन के सभी प्रावधान मसलन प्रत्यक्ष चुनाव, आरक्षण विषयों का हस्तांतरण, प्रादेशिक चुनाव आयुक्त और प्रोदशिक वित्त आयोग 74 वें संशोधन में शामिल है तथा नगर पालिकाओं पर लागू होते हैं।


73वें और 74वें संशोधन का क्रियान्वयनः (1994–2016) इस अवधि में प्रदेशों में स्थानीय निकायों के चुनाव कम से कम 4 से 5 बार हो चुके हैं। स्थानीय निकायों के चुनाव के कारण निर्वाचित जन प्रतिनिधियों की संख्या में निरंतर भारी बढ़ोतरी हुई है। महिलाओं की शक्ति और आत्म विश्वास में काफी वृद्धि हुई है।

- **विषयों का स्थानांतरण:** संविधान के संशोधन ने 29 विषय को स्थानीय शासन के हवाले किया है। ये सारे विषय स्थानीय विकास तथा कल्याण की जरूरतों से संबंधित हैं।

स्थानीय शासन के विषय—



स्थानीय शासन के समक्ष समस्याएं—



प्रश्नावली:

एक अंकीय प्रश्नः—

1. स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश किस समिति ने की तथा कब?
2. स्थानीय शासन की विचारधारा का विचार किस देश से ग्रहण किया गया।
3. संविधान का 73वां तथा 74वां संशोधन संसद में कब पारित हुआ तथा इसे कब लागू किया गया?
4. स्थानीय शासन संविधान की किस सूची का विषय है?
5. त्रिस्तरीय ढांचे से क्या अभिप्राय है?
6. ग्राम सभा का सदस्य कौन व्यक्ति होता है?
7. ग्राम पंचायतों व नगरपालिकाओं के चुनाव कितने वर्षों के लिए किए जाते हैं?
8. पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है?
9. संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा ग्यारहवीं अनुसूची के विषय प्रांतीय सरकार पंचायतें को दे सकती हैं?
10. पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की जिम्मेदारी किस अधिकारी को दी गई है?

दो अंकीय प्रश्नः—

1. भारत में स्थानीय शासन के अधिक मजबूत न होने के दो कारण लिखिए।
2. “शहरी इलाका” शब्द से क्या अभिप्राय है?
3. नगर निगम तथा नगरपालिकाएं किस प्रकार के शहरों में कार्यरत होती हैं?
4. ग्राम पंचायतों के क्या—क्या कार्य हैं? किन्हीं दो का उल्लेख करो।
5. पंचायती संस्थाओं में महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है उससे महिलाओं की सामाजिक स्थिति में क्या बदलाव आया है? स्पष्ट करो।
6. स्थानीय शासन से आम नागरिकों को क्या लाभ हुए हैं?
7. स्थानीय शासन अपना कार्य उतनी दक्षता से नहीं कर पाता, जिसके लिए उसकी स्थापना हुई थी? क्यों?
8. राज्य का वित्त आयोग कितने वर्ष के लिए बनाया जाता है तथा उसका मुख्य कार्य क्या है?
9. अभी हाल में नगर निगम के कुछ रिक्त स्थानों पर चुनाव हुए हैं आप के

विचार से ये चुनाव कराए जाने का क्या कारण रहा होगा?

10. पंचायती निकायों की व्यवस्था हमारे देश में प्राचीनकाल में भी थी। वर्तमान समय में इनकी कार्यप्रणाली में क्या सुधार हुए हैं?


चार अंकीय प्रश्नः—

1. स्थानीय शासन का क्या महत्व है?
2. नगर निगम तथा नगरपालिकाओं के चार कार्य लिखें।
3. मेयर कौन होता है?
4. इस समय दिल्ली में कितने नगर निगम हैं? इतने निगमों के बनाए जाने का क्या कारण है?
5. नगर निगम आम जनता की समस्याओं का समाधान करने में कहां तक सफल रहे हैं?
6. पंचायती राज संस्थाओं के समक्ष कौन—कौन सी समस्याएं हैं?
7. “स्थानीय संस्थाएं स्वायत्त नहीं हैं इसीलिए यह कुशलता पूर्वक कार्य नहीं कर पाती” आपके विचार से क्या यह कथन सत्य है? कैसे?
8. “लोकतंत्र तभी सफल होता है जब नागरिकों की सक्रिय भागीदारी होती है” इस कथन को स्पष्ट करें।
9. “स्थानीय शासन में महिला आरक्षण का लाभ वास्तव में पुरुष सत्तात्मक समाज ले रहा है”? क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क दीजिए।
10. जब भी लोकतंत्र को ज्यादा सार्थक बनाने और ताकत से वंचित लोगों को ताकत देने की कोशिश होगी तो समाज में संघर्ष और तनाव का होना तय है? क्या आप इस विचार से सहमत हैं? स्पष्ट करें।

पांच अंकीय प्रश्नः—

1. “गांधी जी का मानना था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनान सत्ता के विकेन्द्रीकरण का कारगर साधन है। विकास की हर पहल कदमी में स्थानीय लोगों की भागीदारी होनी चाहिए ताकि यह सफल हो सके। समूचे भारत की आजादी की शुरूआत सबसे नीचे से होनी चाहिए। इस तरह हर राज्य एक गणराज्य होगा।”
 - (क) “सत्ता के विकेन्द्रीकरण” से क्या अभिप्राय है? 1
 - (ख) गणराज्य से क्या अभिप्राय है? 1
 - (ग) पंचायतों को मजबूत कैसे बनाया जा सकता है? कोई दो सुझाव दीजिए। 2

- (घ) “आजादी की शुरुआत सबसे नीचे से होनी चाहिए” इस कथन से क्या अभिप्राय है? 1
2. चित्र को ध्यान से देखें और प्रश्नों के उत्तर दें—



- (1) इस चित्र में जो लिखा है उससे आप क्या समझ पा रहे हैं? 1
- (2) स्थानीय शासन की मदद से क्या इस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है? कैसे?
- (3) इस उद्देश्य की प्राप्ति में किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है?

छ: अंक के प्रश्न—

- स्थानीय शासन से क्या अभिप्राय है तथा इसका नागरिकों के रोजमर्ग के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है?
- पंचायती राज व्यवस्था से क्या अभिप्राय है? यदि आप जिला कलौक्टर होते तो आप गांवों की किन-किन समस्याओं का समाधान करते?
- यदि स्थानीय निकाय न होते तो नागरिकों की दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान हो पाता या नहीं? क्यों?
- नगर निगम को आय कहां से प्राप्त होती है? क्या यह धन नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त होता है? क्यों?
- यदि आप अपने गांव की सरपंच होतीं तो समाज आपके कार्यों में किस प्रकार की बाधा उत्पन्न करता? तब आप उन बाधाओं से कैसे छुटकारा पातीं?

उत्तरमाला

एक अंकीय उत्तरः—

1. थुंगन समिति, 1989
2. ब्राजील
3. 1992, 1993
4. राज्य सूची
5. ग्राम पंचायते निचले स्तर पर, ब्लॉक समिति मध्य स्तर पर और जिला परिषद ऊपरी स्तर पर
6. वे सभी जो 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके होते हैं।
7. 5 वर्षों
8. 1 तिहाई
9. अनुच्छेद 243
10. राज्य के चुनाव आयुक्त

दो अंकीय उत्तरः—

1. जातिवाद, गुटबाजी, सांप्रदायिकता
2. जनसंख्या कम से कम 5000, 75% से कामकाजी पुरुष खेती बाड़ी से अलग काम करते हो, जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो।
3. नगर निगम बड़े शहरों में, नगरपालिकाएं छोटे शहरों में।
4. सफाई, बिजली, पानी की व्यवस्था, सड़कों का निर्माण, जन्म तथा मृत्यु का पंजीकरण आदि।
5. आज अनेकों महिलाएं सरपंच तथा मेयर जैसे पदों पर आसीन हैं उनमें पहले से ज्यादा शक्ति तथा आत्मविश्वास आया है। महिलाओं की राजनीतिक समझ में वृद्धि हुई है।
6. नागरिकों की समस्याओं के समाधान बहुत तेजी से तथा कम खर्च में हो जाते हैं। नागरिकों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ती है।
7. धन का अभाव रहता है। आय के अनुपात में खर्च अधिक है इसलिए राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के अनुदान पर निर्भर रहना पड़ता है।

8. 5, स्थानीय शासन की संस्थाओं की अर्थिक स्थिति का अनुमान लगाना।
9. ये स्थान कई कारणों से रिक्त हुए होंगे।
 - किसी निगम पार्षद की मृत्यु के कारण
 - किसी निगम पार्षद का दल बदल लेने के कारण
 - किसी निगम पार्षद का विधायक बन जाने के कारण
10. प्राचीनकाल में भी स्थानीय संस्थाएं परन्तु वे जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। आज से संस्थाएं अधिक उत्तरदायी हैं और जनता के प्रति जवाबदेह भी।

चार अंक वाले प्रश्नों के उत्तर—

1. स्थानीय शासन का हमारे जीवन में बहुत महत्व है यदि स्थानीय विषय स्थानीय प्रतिनिधियों के पास रहते हैं तो नागरिकों के जीवन की रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान तीव्र गति से तथा कम खर्च में हो जाती है।
2. स्थानीय शासन नागरिकों का सबसे नजदीक का शासन है। इसलिए उसे समस्याओं के समाधान के लिए भी सोचने का अवसर मिलता है उसे लगता है जैसे वह भी राजनीति में भागीदार है।
3. सफाई का प्रबंध, बिजली का प्रबंध, पेयजल की व्यवस्था, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, सड़कों का निर्माण व मरम्मत, शमशान घाटों की व्यवस्था आदि।
4. इस समय दिल्ली में तीन नगर निगम हैं, उत्तर दिल्ली, पूर्वी दिल्ली तथा दक्षिणी दिल्ली नगर निगम। क्योंकि दिल्ली की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उनकी समस्याएं भी। एक नगर निगम सबकी समस्याओं का समाधान उतनी कुशलता से नहीं कर पा रहा था जितना तीन नगर निगम कर पा रहे हैं।
5. नगर निगम जनता की समस्याओं का समाधान उस हद तक नहीं कर पा रहे जितना वो कर सकते हैं। आज भी सड़कें टूटी रहती हैं कूड़े के ढेर कहीं-कहीं देखे जा सकते हैं। पानी, बिजली की समस्या का समाधान किया जा चुका है परंतु फिर भी गर्मी के दिनों में इन दोनों से ही आम नागरिकों को जूझना पड़ता है।
6. धन की समस्या, जनता का जागरूक न होना, राजनीतिक हस्तक्षेप, आय से अधिक व्यय होना,।

7. हाँ, यदि ये संस्थाएं स्वायत्त हो जाएं तो नागरिकों की समस्याएं जल्दी सुलझेंगी और ये संस्थाएं जनता के प्रति उत्तरदायी भी होंगी।
8. नागरिकों की राजनीतिक भागीदारी लोकतंत्र की सफलता के लिए अनिवार्य है। जागरूक नागरिक ही लोकतंत्र की सार्थक भागीदारी कर सकता है। तभी सरकार जवाबदेह होगी।
9. अनेक मामलों में यह देखा गया है कि महिलाएं अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में असफल रही हैं या महिला को पद पर आसीन करा कर परिवार का मुखिया या पुरुष उसके बहाने फैसले लेता रहता है।
10. हाँ, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को संविधान ने अनिवार्य बना दिया या इसके साथ ही, अधिकांश प्रदेशों ने पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान बनाया। इससे स्थानीय निकायों की सामाजिक बुनावट में भारी बदलाव आए। कभी—कभी इससे तनाव पैदा होता है और सत्ता के लिए संघर्ष तेज हो जाता है।

5 अंकीय प्रश्नों के उत्तर—

1. (क) सत्ता के विकेन्द्रीकरण का अर्थ है सत्ता जनता तक पहुंचे जैसे गांधी जी चाहते थे कि ग्रामोदय की विचारधारा सत्ता की विकेन्द्रीकरण है। स्थानीय स्तर की समस्याएं स्थानीय स्तर पर सुलझ जाएं।
 (ख) गणराज्य से अभिप्राय है जहां राज्य का प्रमुख जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि होता है यदि स्थानीय शासन को स्थानीय जनता तक पहुंचाया जाएगा तो हर ग्राम एक गणराज्य बन जाएगा।
 (ग) — उन्हें धन की कमी नहीं होनी चाहिए।
 — जनता का जागरूक होना चाहिए।
 (घ) इसका अर्थ है समस्याओं के समाधान स्थानीय जनता के प्रतिनिधियों द्वारा हो सकें। स्थानीय शासन सरकार के सबसे नीचे स्तर पर आता है।
2. (क) इसक अर्थ है ये हमारा गांव है और इसमें हमारा राज होना चाहिए।
 (ख) हाँ, क्योंकि स्थानीय प्रतिनिधि स्थानीय समस्याओं का समाधान अच्छे प्रकार से कर सकते हैं।

(ग) कभी—कभी धन की समस्या, सरकार का हस्तक्षेप, आय से अधिक व्यय होने के कारण अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

छ: अंको के प्रश्नों के उत्तर—

1. स्थानीय शासन स्थानीय मामलों की देखभाल करती है नागरिकों की दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान तेजी से तथा कम खर्च में कर सकती है। इससे नागरिक सामाजिक तथा राजनीतिक रूप से भागीदार बनता है।
2. गांवों के स्थानीय शासन को पंचायती राज कहा जाता है। इसके तीन स्तर हैं। (छात्र अपने विवेक से उत्तर देगा)
3. छात्र अपने विवेक से उत्तर देगा।
4. नगर निगम बहुत से कर लगाता है जैसे गृहकर, जल कर, साप्ताहिक बाजारों में सामान बेचने वालों पर कर, आदि राज्यों से अनुदान प्राप्त करके भी नगर निगम धन प्राप्त करते हैं। नहीं, क्योंकि आय से अधिक व्यय किया जाता है और राज्य सरकारों से अनुदान प्राप्त करने के लिए बहुत देर हो जाती है।
5. छात्र अपने विवेक से उत्तर देंगे।

अध्याय 9

संविधान एक जीवंत दस्तावेज़

संविधान समान की इच्छाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिम्ब होता है। यह एक लिखित दस्तावेज़ है जिसे समाज के प्रतिनिधि तैयार करते हैं। संविधान का अंगीकरण 26 नवम्बर 1949 को हुआ और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया।


संविधान में जीवंतता है क्योंकि –

1. यह परिवर्तनशील है।
2. यह स्थायी या गतिहीन नहीं।
3. समय की आवश्यकता के अनुसार इसके प्रावधानों को संशोधित किया जाता है।
4. संशोधनों के पीछे राजीनीतिक सोच प्रमुख नहीं बल्कि समय की जरूरत प्रमुख।

संविधान में संशोधन—


1. संशोधन की प्रक्रिया केवल संसद से ही शुरू होती है।
2. संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है।
3. संशोधनों का अर्थ यह नहीं कि संविधान की मूल सरंचना परिवर्तित हो।
4. संशोधनों के मामले में भारतीय संविधान लचीलेपन व कठोरता का मिश्रण।
5. संविधान में अबतक लगभग 100 संशोधन
6. संविधान संशोधन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति को पुर्नविचार के लिए भेजने का अधिकार नहीं है।

संविधान में संशोधन के तरीके –



संविधान में इतने संशोधन क्यों?

हमारा संविधान द्वितीय महायुद्ध के बाद बना था उस समय की स्थितियों में यह सुचारू रूप से कर रहा था पर जब स्थिति में बदलावब आता गया तो संविधान को संजीव यन्त्र के रूप में बनाए रखने के लिए संशोधन किए गए। इतने (लगभग 100) अधिक संशोधन हमारे संविधान में समय की आवश्यकतानुसार लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए किए गए।



विवादस्पद संशोधन—

वे संशोधन जिनके कारण विवाद हो। संशोधन 38वाँ, 39वाँ और 42वाँ विवादस्पद माने जाते हैं। ये आपातकाल में हुए संशोधन इसी श्रेणी में आते हैं।

विपक्षी सांसद जेलों में थे और सरकार को असीमित अधिक मिल गए थे।

संविधान की मूल संरचना का सिद्धान्त—

यह सिद्धान्त सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में 1973 में दिया था। इस निर्णय ने संविधान के विकास में निम्नलिखित सहयोग दिया—

1. संविधान में संशोधन करने की शक्तियों की सीमा निर्धारित हुई।
2. यह संविधान के विभिन्न भागों के संशोधन की अनुमति देता है पर सीमाओं के अंदर।
3. संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करने वाले किसी संशोधन के बारे में न्यायपालिका का फैसला अंतिम होगा।

संविधान एक जीवंत दस्तावेज—

- संविधान एक गतिशील दस्तावेज है।
- भारतीय संविधान का अस्तित्व 66 वर्षों से है इस बीच यह अनेक तनावों से गुज़रा है। भारत में उतने परिवर्तनों के बाद भी यह संविधान अपनी गतिशीलता और बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार सामंजस्य के साथ कार्य कर रहा है।
- परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तनशील रह कर नई चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला करते हुए भारत का संविधान खरा उत्तरता है यहीं उसकी जीवंतता का प्रमाण है।

प्रश्नावली:

एक अंकीय प्रश्नः—

1. सजीव संविधान का अर्थ बताइए।
2. भारतीय संविधान कब अंगीकृत और कब लागू किया गया?
3. भारत के संविधान का स्वरूप कैसा रहा?
4. संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक संशोधन की प्रक्रियाओं का उल्लेख है?
5. 15वां संशोधन किस से संबंधित है?
6. किस संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई
7. भारतीय संविधान का 42वां संशोधन कब हुआ?
8. संविधान की समीक्षा करते समय किस बात पर ध्यान रखना चाहिए।
9. भारतीय संविधान के मौलिक ढांचे की धारणा का विकास किस मुकदमें में हुआ?
10. भारतीय संविधान में आज तक कितने संशोधन हो चुके हैं?

दो अंकीय प्रश्नः—

1. कोई दो उदाहरण दीजिए जिसमें संसद अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया को अपनाएं बिना ही संशोधन कर सकती है?
2. संविधान निर्माताओं ने किन आदर्शों को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया जो आज भी विद्यमान हैं?
3. संविधान में संशोधन प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद होने पर क्या किया जाता है?
4. भारतीय संविधान कठोर व लचीलेपन का समन्वय है? क्या आप इस कथन से सहमत हैं? समझाइए।
5. न्यायिक पुर्नरावलोकन क्या है?

6. संविधान को जीवांत दस्तावेज क्यों कहा जाता है?
7. भारतीय संविधान में बहुत अधिक संशोधन होने के क्या कारण हैं?
8. केशवानंद भारती मुकदमें के कोई दो महत्व लिखो।

चार अंकीय प्रश्न

1. भारतीय संविधान के साधारण विधि से संशोधन किन विषयों में किया जा सकता है?
 - (1) चुनाव आयोग से सम्बन्धित
 - (2) राज्यों की सीमाओं में बदलाव
 - (3) धार्मिक स्वतंत्रता का आधार
 - (4) केन्द्र सूची में परिवर्तन
2. भारतीय संविधान में नीचे लिए संशोधन करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है?
3. संविधान की सुरक्षा व उसकी व्याख्या में न्यायापालिका की भूमिका का वर्णन करो?
4. साधारण बहुमत व विशेष बहुमत में क्या अंतर है?

पांच अंकीय प्रश्न

1. जून 1975 में देश में आपातकाल की घोषणा की गई ये तीन संशोधन इसी पृष्ठभूमि से निकले थे। इन संशोधनों का लक्ष्य संविधान के कई महत्वपूर्ण हिस्सों में बुनियादी परिवर्तन करना था। वास्तव में संविधान का 42 वां संशोधन बहुत बड़ा संशोधन है। इसने संविधान को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। एक प्रकार से यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद मामले में दिए गए निर्णय को भी चुनौती दी। यहां तक कि इसके तहत लोकसभा की अवधि को भी 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया मूलकर्तव्यों को भी संविधान में इसी संशोधन द्वारा जोड़ा गया यह कहा जाता है कि इस संशोधन के द्वारा संविधान के बड़े मौलिक हिस्से को नए सिरे से लिखा गया।

- | | |
|---|---|
| 1) भारत में आपात्काल की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई। | 1 |
| 2) कौन—से तीन विवादास्पद संशोधन इस काल में किए गए? | 1 |
| 3) 42वां संशोधन के विषय में आप क्या जानते हैं? | 1 |
| 4) केशवानन्द भारती विवाद का संविधान संशोधन पर क्या प्रभाव पड़ा? | 2 |

छ: अंकीय प्रश्न

1. भारतीय संविधान में संशोधन करने की विधियों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए।
2. संविधान एक जीवांत दस्तावेज है? अर्थ समझाकर अपनी राय दीजिए।
3. संविधान में संवैधानिक संशोधनों द्वारा दिए गए कुछ परिवर्तनों का वर्णन करो।

उत्तरमाला

एक अंकीय उत्तरः—

1. संविधान गतिशील, परिस्थितियों व समयानुसार परिवर्तन
2. 26 नवंबर 1949 का संविधान अंगीकृत, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू
3. लचीला व कठोर
4. 368
5. उच्च न्यायालय के न्यायधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 से बढ़ाकर 62
6. 61वां संशोधन
7. 1976
8. उसकी मूल सरंचना के सिद्धांत द्वारा निर्धारित सीमाओं से बाहर नहीं जाना चाहिए।
9. 23 अप्रैल 1973 को स्वामी केशवानंद भारती के मुकदमें में।
10. अब तक संविधान में लगभग 100 संशोधन हो चुके हैं।

2 अंकीय प्रश्नों के उत्तर

1. अनुच्छेद 2 (नए राज्यों को प्रवेश देना)
अनुच्छेद 3 (राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाना)
2. व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता, सामाजिक तथा आर्थिक समानता राष्ट्रीय एकता व अखंडता
3. दोनों सदनों में अलग—अलग विशेष बहुमत जरूरी। अगर दोनों सदनों में संशोधन पास नहीं होता तो वह रद्द हो जाता।
4. संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान नहीं हैं। न पूर्णतः लचीला और न ही पूरी तरह से कठोर।

लचीलासंविधान— जिसमें संशोधन सरलता से वैसे ही किया जाता है जैसे कानून बनाया जाता है उदाहरण के लिए—राज्यों के नाम बदलना, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना आदि। संसद के दोनों सदनों द्वारा उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से बदल सकते हैं।

कठोर संविधान—संविधान की कुछ धाराओं को बदलने के लिए संसद के

दोनों सदनों का दो तिहाई बहुमत आवश्यक है और कुछ के लिए बहुमत के साथ—साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संशोधन पर समर्थन आवश्यक है।

5. विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों पर न्यायपालिका द्वारा दोबारा विचार करने को न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं।
6. परिस्थितियों के अनुसार समय के अनुसार संशोधन किए जा सकते हैं।
7. 1) लचीला संविधान
2) परिस्थितियाँ
3) विभिन्न वर्गों को संतुष्ट करने के लिए
4) सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के लिए
8. 1) 38वें व 39वें संवैधानिक संशोधन को चुनौती
2) सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मौलिक ढांचे की धारणा का प्रतिपादन किया।

4 अंकीय प्रश्नों के उत्तर

1. 1) नए राज्यों का निर्माण
2) राज्य का नाम बदलना
3) राज्य की सीमा में परिवर्तन
4) संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों के संबंध में संशोधन
2. 1) विशेष बहुमत
2) सामान्य बहुमत
3) विशेष बहुमत
4) विशेष बहुमत तथा राज्यों द्वारा अनुमोदन
3. 1) आरक्षण की व्यवस्था
2) मूल ढांचे का सिद्धान्त
3) मौलिक अधिकारों की रक्षा
4) न्यायिक पुनरावलोकन
5) मलाईदार परत का सिद्धान्त

4. साधारण बहुमत—उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों की विशेष बहुमत— सदन के कुल सदस्यों का बहुमत तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2 / 3 बहुमत ।

6 अंकीय प्रश्नों के उत्तर—

1. a) संसद के सामान्य बहुमत के आधार पर
b) संसद के दोनों सदनों में अलग—अलग विशेष बहुमत के आधार पर
c) संसद के दोनों सदनों में अलग—अलग विशेष बहुमत तथ कुल राज्यों की कम से कम आधी विधानसभाओं द्वारा स्वीकृति ।
2. a) संविधान गतिशील या जीवांत दस्तावेज
b) जीवित प्राणी की तरह अनुभव से सीखता है ।
c) भविष्य में आने वाली चुनौतियों का समाधान ढूँढने को लिए समर्थ होना पड़ता है इसलिए संशोधन होते हैं ।
3. 1) 1951 — संपत्ति के अधिकार का संशोधन
संविधान मे नौवीं अनुसूची जोड़ी गई ।
2) 1969 — उच्चतम न्यायालय का निर्णय कि संसद संविधान में संशोधन नहीं कर सकती जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो ।
3) 1989 — 61 वां संशोधन—मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष
4) 73 वां, 74वां संशोधन — स्थानीय स्वशासन
5) 93 वां संशोधन (2005) उच्च शिक्षा संस्थानों में पिछड़ा वर्ग के लिए स्थान आरक्षित ।
6) 42वां संशोधन (1976) प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष व समाजवादी शब्द का जुड़ना ।
7) 52वां संशोधन (1985) दल बदल पर रोक ।

अध्याय 1

राजनीतिक सिद्धांत

राजनीति क्या है?

राजनीति को परिभाषित करने के लिए विद्वानों के अलग—अलग मत है। सामान्य तौर पर—

- (i) राजनीति शासन करने की कल और
- (ii) राजनीति द्वारा सरकार के क्रियाकलापों को ठीक से चलाने की सीख मिलती है
- (iii) राजनीति प्रशासन संचालन के विवादों का हल प्रस्तुत करती है।
- (iv) राजनीति भागीदारी करना सिखाती है लेकिन आम व्यक्ति का सामना राजनीति की परस्पर विरोधी छवियों से होता है, आज राजनीति का संबंध निजी स्वार्थ साधने से जुड़ गया है।

राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं?

राजनीतिक सिद्धांत में हम जीवन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं जैसे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, धर्म निरपेक्ष आदि।

राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना—

राजनीति का स्वरूप समय के साथ साथ बदलता रहता है, राजनीतिक सिद्धांतों जैसे कि स्वतंत्रता और समानता को व्यवहार में उतारने का काम बहुत मुश्किल है। हमें अपने पूर्वाग्रहों का त्याग करके, इन्हें अपनाना चाहिए, राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के द्वारा हम राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में अपने विचारों तथा भावनाओं का परीक्षण कर सकते हैं, हम यह समझ सकते हैं कि सचेत नागरिक ही देश का विकास कर सकते हैं, राजनीतिक सिद्धांत कोई वस्तु नहीं है यह मनुष्य से संबंधित है उदहारण के लिए समानता का अर्थ सभी के लिए समान अवसर है फिर भी महिलाओं, वृद्धों या विकलांगों के लिए अलग व्यवस्था की गई है अतः हम कह सकते हैं कि पूर्ण समानता संभव नहीं है, भेदभाव का तर्क संगत आधार जरूरी है।

हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए?

- (i) भविष्य में आने वाली समस्याओं के समय एक दृढ़ निर्णय लेने वाला नागरिक बनने के लिए।

- (ii) एक अधिकार संपन्न एवं जागरुक नागरिक बनने के लिए, राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए।
- (iii) समाज से पूर्वाग्रहों को समाप्त करने एवं समरस्ता कायम करने के लिए।
- (iv) वाद—विवाद तक—वितर्क लाभ—हानि का आंकलन करने के बाद सही निर्णय लेने की कला सीखने के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए।
- (v) शासन व्यवस्था के ज्ञान वर्धन के लिए
- (vi) लोकतंत्र की उपयोगिता का ज्ञान।
- (vii) अधिकार एंव कर्तव्यों को समझने के लिए।
- (viii) अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग को बढ़ावा देने के लिए।

राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य विषय राज्य व सरकार है। यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय व लोकतंत्र जैसी अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करता है। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य—नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्क संगत ढंग से सोचने और सामाजिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण देना है। गणित के विपरीत जहां त्रिभुज या वर्ग की निश्चित परिभाषा होती है—राजनीतिक सिद्धांत में हम समानता आजादी या न्याय की अनेक परिभाषाओं से रुबरु होते हैं।

ऐसा इसलिए है कि समानता, न्याय जैसे शब्दों का सरोकार किसी वस्तु के बजाया अन्य मनुष्यों के साथ हमारे संबंधों से होता है। राजनीतिक सिद्धांत हमें राजनीतिक चीजों के बारे में अपने विचार व भावनाओं के परीक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है।

राजनीति विज्ञान व राजनीति दो अलग—अलग धारणाएं हैं। राजनीति विज्ञान का जन्म राजनीति से पूर्व हुआ है, यह नैतिकता पर आधारित है जबकि राजनीति अवसर व सुविधा पर आधारित है।

प्रश्नावली:

एक अंकीय प्रश्नः—

1. राजनीतिक सिद्धांत क्या है? समझाइए।
2. गांधी जी की पुस्तक 'हिन्द-स्वराज' में किस विषय पर प्रकाश डाला गया है?
3. राजनीति के विषय में आम लोगों की विचारधारा क्या है?
4. वे लोग कौन-से हैं जिनके लिए स्वतंत्रता, समानता अभी भी दूर है।
5. हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए?

दो अंकीय प्रश्नः—

1. 'राजनीति' शब्द को समझाइए।
2. राजनीतिक सिद्धांत के किन्हीं दो क्षेत्रों को समझाइए। वर्णन कीजिए।
3. किन्हीं चार राजनैतिक विद्वानों के नाम लिखिए।

चार अंकीय प्रश्नः—

1. राजनीति विज्ञान के अध्ययन से हमें क्या-क्या सीखने को मिलता है? लिखिए।
2. किसी देश में लोकतंत्रिक सरकार के सफल संचालन के लिए राजनीतिक सिद्धांत आवश्यक है। कैसे? समझाइए।
3. 'राजनीति' मनुष्य के दैनिक जीवन को कदम-कदम पर प्रभावित करती है। स्पष्ट कीजिए।

पांच अंकीय प्रश्नः—

दिए गए कार्टून में कार्टूनिस्ट राजनीति के किस स्वरूप को दर्शाना चाहता है?



आपको तुरंत राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। आपके कामकाज का इस पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। यह सोचता है कि वह झूल और धोखाधड़ी से काम चला सकता है।

1. राजनीतिक सिद्धान्त से हम क्या—क्या पढ़ते हैं? लिखिए।
2. राजनीतिक सिद्धान्त की विशेषताएं लिखिए।
3. हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए? सविस्तार समझाइए।
4. ‘राजनीतिक सिद्धांत समानता व स्वतंत्रता से संबंधित प्रश्नों को हल करने में बहुत प्रासंगिक है।’ कैसे? तर्क सहित सिद्ध कीजिए।

उत्तरमाला

एक अंकीय उत्तरः—

1. राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों के व्यवस्थित रूप को प्रतिबिंबित करता है जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया है।
2. स्वराज के अर्थ की विवेचना पर।
3. आम लोग राजनीति को गंदा मानते हैं।।
4. अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यक लोग।
5. इससे राजनीतिक नियमों/सिद्धांतों का ज्ञान होता है। अपने अधिकार एवं कर्तव्यों का ज्ञान होता है।

2 अंकीय प्रश्नों के उत्तर

1. राजनीति शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द पोलिस से हुई है, जिस का शब्दिक अर्थ नगर राज्य होता है।
2. (i) राज्य और सरकार का अध्ययन।
(ii) शक्ति और राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन।
3. अरस्तु, प्लेटो, रूसों, कौटिल्य, कार्ल मार्क्स, गांधी जी एवं डॉ अम्बेडकर।

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तर

1. महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में वास्तविक स्वतंत्रता, स्वराज के अर्थ की विवेचना की है। सविस्तार वर्णन।
2. दैनिक जीवन में व्यक्ति कदम—कदम पर स्वतंत्रता एवं समानता के लिए संघर्ष करता नजर आता है। उदाहरण कहीं पानी के लिए सार्वजनिक नल पर पानी भरना हो चाहे समान रूप से मंदिर में प्रवेश को लेकर हो

पांच अंकीय प्रश्नों के उत्तर

1. कार्टून को ध्यान पूर्वक देखें एवं स्वयं आंकलन करें
(कार्टून राजनेताओं के झूठ व धोखाधड़ी को प्रदर्शित करता है।)

छ: अंकीय प्रश्नों के उत्तर

1. राजनैतिक सिद्धान्त में हम—समाज में आए परिवर्तनों, आन्दोलनों, विकास तथा विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं तथा अन्य कारण।
2. स्वतंत्रता, समानता पूर्वग्रहों का त्याग करना, देश का विकास, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास के मार्ग निर्देशन देना आदि। अन्य कारण।
3. (i) जागरूक बनाने के लिए। (ii) भविष्य की समस्याओं के सफल समाधान कर्ता तैयार करने के लिए। (iii) समाज में समरसता कायम करने के लिए। (iv) तर्क संगत निर्णय लेने के लिए तैयार करना। आदि
4. राजनैतिक सिद्धान्त स्वतंत्रता व समानता से संबंधित प्रश्नों के सरल एवं सहज उत्तर प्रस्तुत करता है। यह सम्पूर्ण मानव समाज के विकास एवं सभ्यता के उदाहरण प्रस्तुत करतो हुए सभ्य मानव बनने का मार्ग सुझाता है तथा गलत रास्ते पर जाने के परिणामों से अवगत करता है।
यह स्वतंत्रता एवं समानता को अपनाने वाले राष्ट्रों की समृद्धि एवं सफलता की कहानी के माध्यम से सम्पूर्ण विश्व से गुलामी एवं असफलता को समाप्त करने का रास्ता दिखाता है।

अध्याय 2

स्वतंत्रता

स्वतंत्रता क्या है?

- सामान्यतः स्वतंत्रता को प्रतिबंधों तथा सीमाओं के अभाव का समकायी माना जाता है। इसे मानव के 'जो चाहे सो करे' के अधिकार का पर्यायवाची समझा जाता है।
- हाब्स ने इसे अर्थात् 'जो चाहों सो करो' की स्थिति को स्वच्छंदता की स्थिति कहा है जो प्राकृतिक अवस्थ में उपलब्ध होती है।
- दूसरे शब्दों में, स्वतंत्रता का अर्थ है मानव को उस कार्य को करने का अधिकार जा करने योग्य है। व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना तथा ऐसी परिस्थितियों का होना जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें।
- वार्कर के अनुसार, 'व्यक्तियों की स्वतंत्रता अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रताओं के साथ जुड़ी हुई है।
- स्वतंत्रता: व्यक्तित्व विकास की सुविधा+तर्कसंगम बंधन।
- बीसवीं शताब्दी में महात्मा गांधी नेल्सन मण्डेला तथा आंग सान सू भी आदि व्यक्तियों ने शासन वे भेदभाव, शोषणात्मक व दमनात्मक तकली नीतियों का विरोध कर स्वतंत्रता को अपने जीवन का आदर्श बनाया।


स्वतंत्रता के आयाम:

- स्वतंत्रता के अर्थ के दो आयाम हैं: नकारात्मक व सकारात्मक
- नकारात्मक स्वतंत्रता— नकारात्मक भाव में इसका यह निहितार्थ है कि जहाँ तक संभाव हो प्रतिबंधों का अभाव हो। क्योंकि प्रतिबंध व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कटौती / कमी करते हैं। इसलिए इच्छानुसार कार्य करने की छूट हो और व्यक्ति के कार्यों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध न हो।
- समर्थक है जान स्ट्रार्ट मिल और एफ.ए. हायक आदि।
- सकारात्मक स्वतंत्रता:
 - नियमों व कानूनों के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था जिससे मनुष्य अपना विकास कर सकें।
 - यदि राज्य सार्वजनिक कल्याण का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो प्रतिबन्ध अनिवार्य है।
- मानव समाज मे रहता है, उसके कार्य अन्य लोगों की स्वतंत्रता का प्रभावित


करते हैं। इसलिए इसका जीवन बंधनों द्वारा विनियमित होना चाहें।

- तर्क्युक्त बंधनों की उपस्थिति।
- समर्थ है टी.एच.ग्रीन व प्रो. ईसायाह बर्लिन'

प्रतिबंधों के स्रोतः



प्रतिबंधों की आवश्यकता:






उदारवादी बनाम मॉर्क्सवादी धारणा:

- ऐतिहासिक रूप से उदारवाद ने मुक्त बाजार और राज्य की न्यूनतम का पक्ष लिया है। हालांकि अब वे कल्याणकारी राज्य की भूमिका को स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने वाले उपयोगों की जरूरत है।
- सकारात्मक उदारवादी (हॉबहाऊस तथा लास्की) समर्थन करते हैं कि कानून व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। सार्वजनिक हित में व्यक्तियों को सर्वोत्तम विकास के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उचित प्रतिबंधों का समर्थन।
- उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समानता जैसे मूल्यों कसे अधिक वरीयता देते हैं। वे आमतोर पर राजनीतिक सत्ता का भी संदेह की नजर से देखते हैं।
- मार्क्सवादी (समाजवादी) सामाजिक जीवन के ढांचे में उपलब्ध आर्थिक स्वतंत्रता को महत्व देते हैं।
- स्वतंत्रता की मार्क्सवादी धारणा सभी लोगों के लिए इसके समान निहिताओं की कामना करती है। वर्गों के बोझ से दबे बुर्जआ समाज में उसके निहितार्थ भिन्न वर्गों के लिए भिन्न होते हैं। इसलिए जब तक पूंजीवादी व्याख्या के स्थानद पर समाजवादी व्याख्या नहीं आ जाती तब तक वास्तविक स्वतंत्रता संभव नहीं है।

- स्वतंत्रता सम्बन्धी जे.एस.मिल के विचार:



- वे कार्य जिनके प्रभाव केवल इन कार्यों को करने वाले व्यक्ति पर पड़ते हैं।
- इन कार्यों व निर्णयों के मामले में राज्य या किसी बाहरी सत्ता का कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है।
- हानि का सिद्धांतः परसंबद्ध कार्यों से किसी दूसरे को हानि हो सकती है इस कारण से उस पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सकता है। राज्य का किसी व्यक्ति के कार्यों व इच्छा के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना होता है।
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता:
 - अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा अहस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र से जुड़ा है।
 - जान स्टुअर्ट मिल ने अपनी पुस्तक 'आन लिबर्टी' में सबल तर्क रखते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन्हें भी होनी चाहिए जिनके विचार आज की स्थितियों में गलत आ भ्रामक लग रहे हो।
 - चार सबल तर्क:—
 - 1) कोई भी विचार पूरी से गलत नहीं होता। उसमें सच्चाई का भी कुछ अंश होता है।
 - 2) सत्य स्वयं के उत्पन्न नहीं होता बल्कि विरोधी विचारों के टकराव से पैदा होता है।
 - 3) जब किसी विचार के समक्ष एक विरोधी विचार आता है तभी उसी विचार की विश्वसनीयता सिद्ध होती है।
 - 4) आज वो सत्य वह हमेशा सत्य नहीं रह सकता। या कई बार जो विचार आज स्वीकार्य नहीं है वह आने वाले समय के लिए मूल्यवान हो सकते हैं।

- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कई बार प्रतिबंध अल्कालीन रूप में समस्या का समाधान बन जाते हैं तथा तत्कानीन मांग को पूरा कर देते हैं लेकिन समाज में स्वतंत्रता की दूरगामी संभावनाओं की दृष्टि से यह बहुत खतरनाक है।
- स्वतंत्रता की रक्षा के उपायः—
 - लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था
 - मौलिक अधिकरों का प्रावधान
 - कानून का शासन
 - न्यायपालिका की स्वतंत्रता
 - शक्तियों का विकेन्द्रीकरण
 - शक्तिशाली विरोधी दल
 - आर्थिक समानता
 - विशेषाधिकार न होना
 - जागरूक जनमत

प्रश्नावली:

एक अंकीय प्रश्नः—

1. स्वतंत्रता के लिए प्रतिबंधों का आवश्यकता क्यों है?
2. प्रतिबंधों के स्रोत क्या है?
3. नकारात्मक स्वतंत्रता के क्षेत्र से आप क्या समझते हैं?
4. एक व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है?
5. जान स्टुअर्ट मिल ने व्यक्ति के कार्यों को कितने भागों में विभाजित किया है?
6. नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक क्या है।
7. आगं सान सू किस देश में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही है?
8. उदारवादियों के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ लिखिए।
9. भारतीय राजनीतिक विचारों में स्वतंत्रता की समानार्थी अवधारण क्या है?
10. “तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करना परन्तु मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव करूँगा।” यह कथन किसका है और इसमें किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात कहीं गई है?
11. स्वतंत्रता संबंधी नेताजी सुभाष चन्द्र जी के विचार कम हैं?
12. ‘स्वराज’ शब्द से क्या अभिप्राय है?
13. स्वतंत्रता की एक विशेषत का वर्णन कीजिए?
14. लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य के बारे में क्या कहा था?
15. सलमान कश्दी की कौन-सी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया गया था?

दो अंकीय प्रश्नः—

1. व्यक्तिगत स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं?
2. राजनीतिक स्वतंत्रता पर अपने विचार प्रकट कीजिए?
3. राष्ट्रीय स्वतंत्रता पर अपने विचार दीजिए?
4. नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ बताइए?
5. आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ स्पष्ट कीजिए?
6. स्वतंत्रता से आपका क्या अभिप्राय है?

7. जॉन स्टुअर्ट मिल का हानि सिद्धांत क्या है? स्पष्ट कीजिए।
8. फ़िल्म निर्माता दीपा मेहता को काशी में विधवाओं पर फ़िल्म बनानें से किस आधार पर रोका गया? यह किस स्वतंत्रता का उल्लंघन था?

चार अंकीय प्रश्नः—

1. नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में क्या अंतर है?
2. सामाजिक प्रतिबंधों से क्या अभिप्राय है? क्या किसी भी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है?
3. एक राज्य अपने नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाएं रखने में क्या भूमिकाएं अदा कर सकता है?
4. स्पष्ट कीजिए की आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता निर्धक है?
5. जान स्टुअर्ट मिल के स्वसंबंध और परसंबंध कार्यों में क्या अंतर है?
6. उदारवादियों तथा समाजवादियों के स्वतंत्रता के विचारों में अंतर बताओं?
7. स्वतंत्रता के चार प्रकारों का वर्णन कीजिए?
8. 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' का मुद्दा 'अहस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र' से जुड़ा हुआ क्यों माना जाता है?

पांच अंकीय प्रश्नः—

1. निम्नलिखित अवतरण को पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधरों का मानना है कि व्यक्ति केवल समाज में ही स्वतंत्रता हो सकता है, समाज से बाहर नहीं और इसलिए वह समाज को ऐसा बनाने का प्रयास करते हैं जो व्यक्ति के विकास का रास्ता साफ करें। दूसरी ओर नकारात्मक स्वतंत्रता का सरोकार अहस्तक्षेप के अनुलंधनीय क्षेत्र से है, इस क्षेत्र से बाहर समाज की स्थितियों से नहीं। नकारात्मक स्वतंत्रता अहस्तक्षेप के इस छोटे क्षेत्र का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहेगी। हालांकि ऐसा करने में वह समाज के स्थितिव को ध्यान रखेगी। आमतौर पर दोनों तरह की स्वतंत्रताएं साथ-साथ चलती हैं और एक-दूसरे का समर्थन करती है लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि निरंकुश शासन सकारात्मक स्वतंत्रता के तर्कों का सहारा लेकर अपने शासन को न्यायोचित सिद्ध करने की कोशिश करे।

(क) सकारात्मक स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है?

- (ख) नकरात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा क्या है?
- (ग) गद्यांश के अनुसार, सकारात्मक स्वतंत्रता के विपक्ष में क्या तर्क दिया गया है?

पांच अंकीय प्रश्नः—

1. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? आपकी राय में इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध क्या होंगे? उदाहरण सहित बताइये।
2. हमें प्रतिबंधों की आदत को विकसित क्यों नहीं होने देना चाहिए? ऐसा आदत किस प्रकार से स्वतंत्रता को खतरे में डाल सकती है? व्याख्या कीजिएं।
3. एक राज्य में नागरिकों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित रखनो के लिए राज्य की भूमिका किस प्रकार होनी चाहिए? स्पष्ट कीजिए।

पांच अंकीय प्रश्नः—



1. उपरोक्त चित्रों को देखकर बताइये कि ये दो नेता किन शब्दों से सम्बन्धित हैं। और कौन है? 2
2. इनके द्वारा कौन—सी प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी गई है? 1
3. स्वतंत्रता आंदोलनों का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? 2

उत्तरमाला

एक अंकीय उत्तरः—

1. अगर स्वतंत्रता पर प्रतिबंध न होंगे तो समाज अव्यवस्था की गर्त में पहुंच जाएगा। लोगों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
2. कानून द्वारा, बल के आधार पर,
3. एक ऐसा क्षेत्र जिसमें व्यक्ति अबाधित रूप से व्यवहार कर सके।
4. आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना तथा प्रतिभा का विकास करना।
5. दो भागों में – स्वसंबद्ध कार्य, परसंबद्ध कार्य
6. 'लॉग वाक टू फ्रीडम' (स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा)
7. म्यांमार में
8. उदारवादियों के अनुसार स्वतंत्रता का केन्द्र बिन्दू व्यक्ति है। व्यक्ति को अधिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वतंत्रता पर बल तथा राज्य की कल्याणकारी भूमिका को बढ़ावा देना।
9. स्वराज की अवधारणा।
10. यह कथन 'वाल्तेयर' का है और इसमें 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' की बात कही गयी है।
11. ऐसी सर्वांगीण स्वतंत्रता से है— जो व्यक्ति और समाज की हो, अमीर और गरीब की हो, स्त्रियों और पुरुषों की हो तथा सभी लोगों और सभी वर्गों की हो।
12. स्वराज का अर्थ 'स्व' का शासन भी हो सकता है और 'स्व' के उपर शासन भी हो सकता है। स्वराज केवल स्वतंत्रता नहीं है बल्कि ऐसी संस्थाओं से मुक्ति भी है, जो मनुष्य को उसकी मनुष्यता से वंचित करती है।
13. उचित बंधनों का होना।
14. "स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा"।
15. 'द सेटानिक वर्सेस'

2 अंकीय प्रश्नों के उत्तर

1. मनुष्यों का व्यक्तिगत मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्रता होनी चाहिए। भोजन, वस्त्र, शादी—विवाह, रहन—सहन आदि मामलों में राज्य को दखन नहीं देना चाहिए।

2. राज्य के नागरिकों को—
- अपनी सरकार में भाग लेना।
 - मताधिकार करना
 - चुनाव लड़ना आदि
3. राष्ट्र को विदेशी नियंत्रण से स्वतंत्रता प्राप्त होती है। एक स्वतंत्र राष्ट्र ही अपने नागरिकों को अधिकार तथा स्वतंत्रता प्रदान कर सकता है। जिससे नागरिकों अपना सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक तथा राजनैतिक विकास कर सके।
4. एक व्यक्ति को किसी राज्य का नागरिक होने के कारण मिलती है। ऐसी स्वतंत्रता को राज्य के माध्यम से दिया जाता है। राज्य के संरक्षण में ही व्यक्ति इस स्वतंत्रता का प्रयोग अपने विकास के लिए करता है, बिना किसी की स्वतंत्रता को बाधित किए हुए।
- 5.
- अपनी रुचि व योग्यातानुसार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता।
 - देश में उद्योग—धंधों को चलाने की स्वतंत्रता।
 - धन का उत्पादन व वितरण ठीक ढंग से हो।
 - बेरोजगारी न हो।
6. स्वतंत्रता अभिप्राय व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव है। इसका आशय व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्ताव करना और उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना भी है, जिसमें व्यक्ति की रचनात्मकता और क्षमताओं का विकास हो सकें।
7. ऐसे कार्य जो दूसरों पर असर डालते हैं उन्हें परसंबद्ध कार्य कहते हैं। व्यक्ति के ऐसे कार्यों से किसी को हानि हो सकती है अतः इन कार्यों पर बाहरी प्रबंध लगाए जा सकते हैं। इसे ही हानि का सिद्धांत कहा जाता है।
- 8.
- भारत की दशा का बुंश चित्रण होना।
 - विदेशी पर्यटकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए।
 - काशी नगरी की बदनामी होनी।
- यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन था।

अध्याय 3

समानता

-
- समानता मौलिक अधिकारों में अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है। समानता का दावा है कि समान मानवता के कारण सभी मनुष्य समान महत्व और सम्मान के अधिकारी हैं। यही धारणा सार्वभौमिक मानवधिकार की जनक है।
 - अनेक देशों को कानूनों में समानता को शामिल किए जाने के बावजूद भी समाज में धन सम्पदा अवसर कार्य स्थिति व शक्ति को भारी असमानता नजर आती है।
 - समानता के अनुसार व्यक्ति को प्राप्त अवसर या व्यवहार जन्म या सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होने चाहिए।
 - प्राकृतिक असमानताएं लोगों में उनकी विभिन्न क्षमताओं और प्रतिभाओं के कारण जबकि समाज जनित असमानताएं अवसरों की असमानता व शोषण से पैदा होती है।

समानता के तीन आयामः

राजनीतिक समानता—

सभी नागरिकों को समान नागरिकता प्रदान करना राजनीतिक समानता में शामिल है। समान नागरिकता अपने साथ मतदान का अधिकार संगठन बनानो और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि का अधिकार भी लाती है।

आर्थिक समानता—

आर्थिक समानता का लक्ष्य धनी व निर्धन समूहों के बीच की खाई को कम करना है यह सही है कि किसी भी समाज में धन या आमदनी की पूरी समानता शायद कभी विद्यमान नहीं रही किंतु लोकतांत्रिक राज्य समान अवसर की उपलब्धि कराकर व्यक्ति को अपनी हालत सुधारने की मौका देते हैं।

सामाजिक समानता—

राजनीतिक समानता व समानिधिकार देना इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम था साथ ही समाज में सभी लोगों के जीवनयापन के लिये अनिवार्य—चीजों के साथ पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, पोषक आहार व न्यूनतम वेतन की गारण्टी को भी जरूरी माना गया है। समाज के वंचिता

वर्गों और महिलाओं को समान अधिकार दिलाना भी राज्य की जिम्मेदारी होगी।

- असमानता और विशेषाधिकारों की समाप्ति करके समानता की स्थापना का प्रयास किया गया है।
- विभेदक बर्ताव अर्थात् लोगों के बीच अंतर को ध्यान रखकर कुछ विभेदक बर्ताव (आरक्षण) की नीति बनाई गई है जिससे समाज के सभी वर्गों को अवसरों तक समान पहुंच हो सके। कुछ देशों में इसे साकारात्मक कार्यवाही की नीति का नाम दिया गया है।
- समाजवाद व मार्क्सवाद के अनुसार आर्थिक असमानताएं सामाजिक रूल्से या विशेषाधिकार जैसी असमानाताओं को बढ़ावा देती है इसीलिए समान अवसर से आगे जाकर आर्थिक संसाधनों पर निजी स्वामित्व ने होकर जनता का नियंत्रण सुनिश्चित करने की जरूरत है।
- उदारवादी समाज में संसाधनों के वितरण के मामले में प्रतिद्वंद्विता के सिद्धांत का समर्थन करते हैं और राज्य के हस्तक्षेप को अनिवार्य समझते हैं।
- स्त्रियों द्वारा समान अधिकारों के लिए संघर्ष मुख्यतः नारीवादी आंदोलन से जुड़ा है। मातृत्व अवकाश जैसे विशेषाधिकार नारी समाज के लिये अत्यंत आवश्यक हैं।
- विभेदक बर्ताव या विशेषाधिकार का उद्देश्य न्यायपरक व ममत मूलक समाज को बढ़ावा देना है समाज में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को फिर से खड़ा करना नहीं है।

प्रश्नावली:

एक अंकीय प्रश्नः—

1. समानता का महत्व लिखिए।
2. क्या समानता का मतलब व्यक्ति से हर स्थिति में समाज बर्ताव करना है?
3. 18वीं शताब्दी के उत्तराई में हुई फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था?
4. क्या समाज में समानता के साथ—साथ असमानता अधिक नजर आती है?
5. भारतीय समाज में व्याप्त एक साधारण असमानता का उल्लेख कीजिए?
6. नारीवाद से आप क्या समझते हैं?
7. वर्तमान में स्त्री पुरुष भेदभव सम्बंधी कोई एक विवाद बताइये।
8. वंचित समूहों से क्या अभिप्राय है?
9. समानता भरतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है?
10. भारत सरकार ने विकलांगता अधिनियम किस वर्ष में पास किया?

दो अंकीय प्रश्नः—


1. न्यायपूर्ण व अन्यायपूर्ण असमानता से आप क्या समझते हैं?
2. आर्थिक समानता का अर्थ लिखिये।
3. समानता के आदर्श से क्या तात्पर्य है?
4. कुछ विभिन्नताएं जन्मजात न होकर भी जन्मजात बना दी गई हैं? इस संबंध में अपने विचार लिखिये।
5. प्राकृतिक व समाजजीवत असमानताओं से आप क्या समझते हैं?
6. क्या हमारा समाज समानता पर आधारित समाज का उदाहरण हो सकता हैं?
7. क्या आपके अनुसार सामाजिक समानता भारत में सबसे महत्वपूर्ण हो अवधारणा है? क्यों?
8. मॉर्कर्सवाद से आप क्या समझते हैं?
9. समाजवाद की अवधारणा समझते हुए भारत के प्रमुख समाजवादी चिंतक का नाम बताइये।
10. “विभेदक बर्ताव (आरक्षण) समानता स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है” कैसे?

चार अंकीय प्रश्नः—

1. “क्या प्राकृतिक विभिन्नताएं सदैव अपरिवर्तनीय होती है? इस सम्बन्ध में अपने विचार उदाहरण के साथ लिखिये।
2. मार्क्सवाद व उदारवाद में समानता की अवधारण को ध्यान में रखकर अंतर स्पष्ट कीजिए।
3. हम समानता को बढ़ावा किस प्रकार दे सकते हैं?
4. “राजनीतिक समानता आर्थिक समानता के बिना धोखा मात्र है”। प्रयुक्त वाक्य को ध्यान में रखकर अपने विचार प्रकट कीजिये।
5. संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्लय असमानता से निपटने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये? क्या यह कारगर सबित हुए।
6. “एक अध्यापक और एक फैक्ट्री मजदूर के वेतन के अंतर को आप असमानता मानते हैं”। यदि नहीं तो क्यों?

पांच अंकीय प्रश्नः—

1.



प्रस्तुत कार्टून के संदर्भ में स्त्री पुरुष समान हैं या असमान। अपने विचार प्रस्तुत कीजिए।

2. गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिये।

समानता के उद्देश्य से जुड़े बहुत से मुद्दे नारीवाद आंदोलन द्वारा उठाए गए। उन्नीसीवीं सदी में स्त्रियों ने समान अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उदाहरण के लिए उन्होंने मताधिकार, कॉलेज-यूनिवर्सिटी में डिग्री पाने का अधिकार और काम के लिए अधिकार की उसी प्रकार मांग की जैसे अधिकार पुरुषों को हासिल थे। हालांकि जैसे ही उन्होंने नौकरियों में प्रवेश किया उन्हें महसूस हुआ कि स्त्रियों को इन अधिकारों को उपयोग में लाने के लिए विशेष सुविधाओं की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए उन्हें मातृत्व अवकाश और कार्यस्थल पर बालवाड़ी जैसे प्रावधानों की आवश्यकता थी। इस प्रकार के

विशेष बरताव के बिना वे न तो गंभीरतापूर्वक स्पर्धा में भाग ले सकेंगी और न ही सफल व्यवसायिक और निजी जीवन का आनंद उठा सकेंगी दूसरे शब्दों में पुरुषों के समान अधिकारों के उपयोग के लिए उन्हें कई बार एक विशेष बरताव की जरूरत होती थी।

- 1) नारीवाद से क्या तात्पर्य है?
- 2) पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त होने के बावजूद महिलाओं को विशेषाधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी?
- 3) क्या यह विशेषाधिकार समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है या नहीं? समझाइये।

छ: अंको वालों प्रश्न:

1. “मानव जीवन के सम्मानपूर्वक संचालन के लिये समानता आवश्यक व अनिवार्य है”। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए समानता के तीनों आयामों पर प्रकाश डालिये।
2. क्या विभेदक बर्ताव (आरक्षण) समानता की विरोधी अवधारणा है? आपके अनुसार इस सम्बंध में क्या सुझाव या सुधार होने चाहिये।

उत्तरमाला

एक अंकीय उत्तरः—

1. समानता के कारण सभी व्यक्ति महत्व व सम्मान के अधिकारी है। इसी धारणा ने सर्वभौमिक मानावधिकार जैसी धारणा का जन्म दिया।
2. नहीं वरन् व्यक्ति की प्रतिभा व क्षमताओं को ध्यान में रखकर अवसर की समानता मुहैया कराना है।
3. स्वतंत्रता, समानता व भाईचारा।
4. हाँ। आलीशान कॉलोनियों के साथ झुगियां भोजन की बर्बादी के साथ भुखमरी समाज में आसानी से देखी जा सकती है।
5. स्त्री पुरुष असमानता जिसके चलते कन्या भ्रूण हत्या का पाप समाज में हुआ है।
6. नारीवाद स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला राजनीतिक सिद्धांत है।
7. महाराष्ट्र में शनि मंदिर व हाजी अली की दरगाह में महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक से सम्बंधित विवाद।
8. लम्बे समय से असमानता व शोषण के शिकार व्यक्ति जिनपर जन्म व जातिगत विभिन्नताओं के चलते अत्याचार होत रहे हैं।
9. अनुच्छेद (14–18)
10. वर्ष 1995

2 अंकीय प्रश्नों के उत्तर

1. व्यक्ति के काम के महत्व के आधार पर असमानता न्यायपूर्ण कहीं का सकती है जैसे देश के प्रधानमंत्री व सेना के जनरल को विशेष दर्जा या सम्मान जबकि व्यक्ति के जन्म व जाति पर आधारित असमानता अन्यायपूर्ण होगी जैसे मंदिर व सार्वजनिक स्थल में प्रवेश पर रोक।
2. अमीर व गरीब बीच व्याप्त खाई को कम करना तथा अवसरों से समानता की उपलब्धि
3. व्यक्ति को प्राप्त अवसर या व्यवहार जन्म या समाजिक परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होने चाहिए।
4. जब समाज में कुछ विभिन्नताएं लम्बे समय तक विद्यमान रहती हैं तो वह प्राकृतिक विभिन्नताओं पर आधारित लगने लगती है जैसे प्राचीन समय से ही

महिलाओं को अबला व पुरुषों के मुकाबले में डरपोक मानकर उन्हें समान अधिकारों से वंचित करना, न्यायसंगत मान लिया गया था।

5. प्राकृतिक असमानताएं व्यक्तियों की क्षमता व प्रतिभा से जुड़ी होती है जबकि समाजजनित असमानताएं अवसरों की असमानता व शोषण से जुड़ी होती है।
6. यद्यपि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में समानता वर्णित है किंतु फिर भी समाज में अमीर गरीब स्त्री पुरुष व जातिगत असमानताओं के उदाहरण प्रतिदिन देखने को मिलते हैं।
7. हाँ क्योंकि भारतीय समाज जातिगत विभिन्नताओं में बंटा है। जन्म के आधार पर फैली असमानता को समाप्त करने के लिये डा. भीम राव अम्बेडकर ने आरक्षण सम्बंधी प्रावधानों को जिक्र किया था।
8. सामाजिक व आर्थिक असमानताओं को मिटाने का उपाय निजी स्वामित्व को समाप्त करके आर्थिक संसाधनों पर जनता का स्वामित्व होना चाहिए।
9. समाजवाद का अर्थ असमानताओं को न्यूनतम करके संसाधनों को न्यायपूर्ण बंटवारा करना है। भारत के प्रमुख समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया।
10. हाँ क्योंकि समानता व विकास की दौड़ में पीछे रह गई नीतियों को विशेषाधिकारों की आवश्यकता है।

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तर

1. नहीं! यह परिवर्तनीय हो सकती है चिकित्सा तकनीक व कम्प्यूटर अक्षमता के निराकरण में सहायक हो सकते हैं। प्रसिद्ध भौतिकविद स्टीफन हॉकिंस का चलने व न बोल पाने के बावजूद भी विज्ञान में योगदान सराहनीय है।
2. मार्क्सवाद आर्थिक संशोधन पर जनता का नियंत्रण करके समानता की स्थापना करने का प्रयास ये विश्वास रखते हैं जबकि उदारवादी खुली प्रतिस्पर्धा द्वारा सभी वर्गों से योग्य व्यक्तियों को बाहर निकालने में यकीन रखते हैं।
3. विशेषाधिकार वर्ग की समाप्ति तथा विभेदक बर्ताव द्वारा समानता लाने का प्रयास।
4. न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के अभाव में व्यक्ति अपने राजनीतिक अधिकारों के महत्व को नहीं समझ सकता जिससे राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है।
5. 1964 में Civil Right Act सरकार द्वारा पास किया गया जिसमें रंग नरस्ल व

धर्म के आधार पर समानता की स्थापना का प्रयास था। एक अश्वेत व्यक्ति बराक हुसैन ओबामा अमेरिका के सबसे गरिमा राय पद पर दो बार आसीन हो चुके हैं। जो रंगभेद की नीति के नकारे जाने का उदाहरण है किंतु फिर भी समाज में समय—समय पर अश्वेतों के विरुद्ध हिंसा की गूंज सुनाई पड़ जाती है।

6. समानता के अनुसार समान कार्य का समान वेतन होना चाहिए था कार्य बौद्धिक व शारीरिक अलग अलग है।
1. समाज से कुछ असमानाताएं लम्बे समय से चली आ रही हैं अतः उन्हें प्राकृतिक विभिन्नताओं पर आधारित मान लिया गया है भारत में भी स्त्री पुरुष विभिन्नता इसका उदाहरण है वास्तव में यह असमानता समाजजनित है। महिलाएं भी वह सभी कार्य करने में सक्षम हैं जो पुरुष कर सकते हैं। आज महिलाएं जीवन के सभी कार्य क्षेत्रों में कामयाबी के झण्डे गाढ़ चुकी हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, सानिया मिर्जा इसके उदाहरण हैं।
2. 1) पुरुष के समान अधिकारों कार पक्ष लेने वाला सिद्धांत
2) कुछ आवश्यकताएं प्राकृति प्रदत्त हैं जैसे शिशु के जन्म व उसके बाद की अवस्था में महिलाओं को अवकाश की आवश्यकता होती है।
3) नहीं यह समानता के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं हैं क्योंकि यह प्राकृतिक अनिवार्यता है।

छ: अंको वाले प्रश्नों के उत्तर—

राजनीतिक समानता

सामाजिक समानता

आर्थिक समानता

10. नहीं आरक्षण की अवधारणा समानता में विरोधी नहीं अपितु समानता की स्थापना के लिए जरूरी है। लम्बे समय से विकास की दौड़ में पिछड़ी तथा शोषण की शिकार जातियों को सहारे के बिना आगे नहीं लाया जा सकता था।

आरक्षण का आधार जाति या जन्म के आधार पर ही न होकर आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर भी होना चाहिए आदि।

अध्याय 4

सामाजिक न्याय

-
- न्याय का संबंध हमारे जीवन व सार्वजनिक जीवन से जुड़े नियमों से होता है। जिसके द्वारा सामाजिक लाभ कर्तव्यों का बंटवारा किया जाता है।
 - प्राचीन भारतीय समाज में न्याय धर्म के साथ जुड़ा था जिसकी स्थापना राजा का परम कर्तव्य था।
 - चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशस के अनुसार गलत करने वालों को दण्डित व भले लोगों को पुरस्कृत करके न्याय की स्थापना की जानी चाहिये।
 - प्लेटों ने अपनी पुस्तक 'द रिपब्लिक' में न्याय की चर्चा की है।
 - सुकरात के अनुसार यदि सभी अन्यायी हो जायेगे तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा।
 - साधारण शब्दों में हर व्यक्ति को उसका वाजिब हिस्सा देना न्याय है।
 - जर्मनी दार्शनिक इमैनुएल के अनुसार हर व्यक्ति का प्रात्य उसकी प्रतिभा या विकास के लिये अवसरों की प्राप्ति है।
 - सामाजिक न्याय की स्थापना के तीन सिद्धांत
 - समान लोगों के प्रति समान बर्तावः सभी के लिये समान अधिकार तथा भेदभाव की मनाही है। नागरिकों को उनके वर्ग जाति नस्ल या लिंग के आधार पर नहीं बल्कि उनके काम व कार्यकलापों के आधार पर जांचा जाना चाहिये अगर भिन्न जातियों के दो व्यक्ति एक ही काम कर रहे हों तो उन्हें समान पारिश्रमिक मिलना चाहिए।
 - समानुपातिक न्यायः कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हो सकती हैं जहां समान बर्ताव अन्याय होगा जैसा परीक्षा में बैठने वाले सभी छात्रों को एक जैसे अंक दिये जायें। यह न्याय नहीं हो सकता अतः मेहनत कौशल व संभावित खतरे आदि ध्यान में रखकर अलग-अलग पारिश्रमिक का दिया जाना न्याय संगत होगा।
 - विशेष जरूरतों का विशेष ख्यालः जब कर्तव्यों व पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाये तो लोगों की विशेष जरूरतों का ख्याल रखा जाना चाहिए। जो लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों में समान नहीं हैं उनके साथ भिन्न ढंग से बर्ताव करके उनका ख्याल किया जाना चाहिए।

- न्यायपूर्ण बंटवारा: सामाजिक न्याय का अर्थ वस्तुओं और सेवाओं के न्यायपूर्ण वितरण से भी है। यह वितरण समाज के विभिन्न समूहों और व्यक्तियों के बीच होता है ताकि नागरिकों को जीने का समान धरातल मिल सकें जैसे भारत में छुआछूत प्रथा का उन्मूलन आरक्षण की व्यवस्था तथा कुछ राज्य सरकारों द्वारा उठाये गये भूमि सुधार जैसे कदम हैं।
- रॉल्स का न्याय सिद्धांत: “अज्ञानता के आवरण” द्वारा रॉल्स ने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। यदि व्यक्ति को यह अनुमान न हो कि किसी समाज में उसकी क्या स्थिति होगी और उसे समाज को संगठित करने कार्य तथा नीति निर्धारण करने को दिया जाये तो वह अवश्य ही ऐसी सर्वश्रेष्ठ नीति बनायेगा जिसमें ‘समाज के प्रत्येक वर्ग को सुविधाएं दी जा सकेगी।
- सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए अमीर गरीब के दरमयान शहरी खाई को कम करना समाज के सभी लोगों के लिये जीवन की न्यूनतम बुनियादी स्थितियां आवास, शुद्ध पेयजल, न्यूनतम मजदूरी शिक्षा व भोजन मुहैया कराना आवश्यक है।
- मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप: मुक्त बाजार खुली प्रतियोगिता द्वारा योग्य व सक्षम व्यक्तियों को सीधा फायदा पहुंचाने का व राज्य के हस्तक्षेप के विरोधी है। ऐसे में यह बहस तेज हो जती है कि क्या अक्षय और सुविधा विहीन वर्गों की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिये क्योंकि मुक्त बाजार के अनुसार प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते।
- भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिये उठाये गये कदम:
 - निशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा
 - पंचवर्षीय योजनाएं
 - अन्तर्राष्ट्रीय योजनाएं
 - वंचित वर्गों को आर्थिक सामाजिक सुरक्षा
 - मौलिक अधिकारों में प्रावधान
 - राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रयास

प्रश्नावली:

एक अंकीय प्रश्नः—

1. प्राचीन भारतीय समाज में न्याय संबंधी अवधारण क्या थी?
2. 'द रिपब्लिक' के लेखक का नाम लिखिये।
3. साधारण शब्दों में न्याय का अर्थ समझाइये।
4. समाजिक न्याय को बढ़ावा देने का तरीका क्या हो सकता है?
5. समान लोगों के प्रति समान व्यवहार या बर्ताव से क्या आशय है?
6. न्यूनतम आवश्यकताओं की अवधारण किस पंचवर्षीय योजना में लाई गई?
7. सरकारी नौकरियों में आरक्षण के प्रस्ताव के विरोध में फूटे आंदोलन का नाम बताइये।
8. सामाजिक न्याय की स्थापना के लिये किस भारतीय दार्शनिक का योगदान सर्वोपरि है?

दो अंकीय प्रश्नः—

1. सामाजिक न्याय व सामाजिक अधिकारों का सामंजस्य है।
2. रॉल्स के अज्ञानता के आवरण का तात्पर्य समझाइये।
3. समानता व सामाजिक न्याय के मध्य संबंध स्पष्ट कीजिये।
4. न्यायपूर्ण वितरण से क्या अभिप्राय है?
5. न्यायपूर्ण समाज की अवधारणा से क्या अपेक्षा की जाती है?
6. संयुक्त राष्ट्र संघ की इकाईयों ने न्यूनतम आवश्यकताओं में किन सुविधाओं की गणना की है?
7. मुक्त बाजार से क्या अभिप्राय है?


चार अंकीय प्रश्नः—

1. न्याय में देरी होना अंधेर होना है। उक्त वाक्य का अर्थ समझाइये।
2. न्याय अपने आप में सम्पूर्ण प्रक्रिया है फिर भारत में सामाजिक न्याय पर विशेष बल क्यों दिया गया है?
3. मुक्त बाजार के पक्ष व विपक्ष में तर्क दीजिये।

4. हर किसी को उसका प्राप्त देने का मतलब समय के साथ कैसे बदला है?
5. न्याय के संबंध में जर्मन दार्शनिक इमनुएल कांट के विचार लिखिये।

पांच अंकीय प्रश्नः—

1. प्रस्तुत कॉर्टून पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।



- 1) न्याय से क्या तात्पर्य है?
- 2) विशेष जरूरतों से क्या अभिप्राय है?
3. क्या विशेष जरूरतों का सिद्धांत न्याय के मार्ग में अवरोध पैदा करता है? अपने विचार लिखिये।

छः अंकीय प्रश्नः—

1. सामाजिक न्याय की स्थापना के लिये सरकार द्वारा लागू किये जाने वाले तीन सिद्धांत पर प्रकाश डालिये।
2. राल्स के न्याय सिद्धांत की व्याख्या कीजिये।
3. मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप से क्या तात्पर्य है। विस्तार में समझाइये।

उत्तरमाला

एक अंकीय उत्तरः—

1. प्राचीन भारतीय समाज में न्याय धर्म के साथ जुड़ा था और न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था कायम रखना राजा का कर्तव्य था।
2. प्लेटों
3. प्रत्येक व्यक्ति को उसका वाजिब हिस्सा देना।
4. पारिश्रमिक या कर्तव्यों का वितरण करते समय लोगों की विशेष जरूरतों का ख्याल सिद्धांत सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का तरीका माना जा सकता है।
5. लोगों के साथ वर्ग जाति नस्ल या लिंग के आधार पर भेदभाव न किया जाये। भिन्न जातियों के दो व्यक्ति यदि एक ही काम करते हो चाहे वह पत्थर तोड़ने का काम हो या पिज्ज़ा बांटने का उन्हें समान पारिश्रमिक मिलना चाहिये।
6. 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974—1978
7. मण्डल कमीशन विरोधी आंदोलन 1990
8. डॉ. भीमराव अम्बेडकर

2 अंकीय प्रश्नों के उत्तर

1. व्यक्तिगत अधिकारों, सामाजिक अधिकारों
2. हम खुद को ऐसी परिस्थिति में होने की कल्पना करें जहां हमें यह फैसला लेना है कि समाज को कैसे संगठित किया जाये और साथ ही हमें यह भी पता न हो कि समाज में हमारी जगह क्या होगी तब हम ऐसा निर्णय लेंगे जो सभी के लिये हितकर होगा।
3. दोनों में घनिष्ठ संबंध है सामाजिक न्याय द्वारा समानता तथा समानता द्वारा सामाजिक न्याय की स्थापना होती है।
4. सामाजिक न्याय का संबंध वस्तुओं और सेवाओं के न्यायोचित बंटवारे से है। यह वितरण समाज के विभिन्न समूहों व व्यक्तियों के बीच होता है जिससे उन्हें जीने के लिये समान धरातल मिल सके।
5. न्यायपूर्ण समाज को लोगों के लिये न्यूनतम बुनियादी स्थितियों जरूर मुहैया करानी चाहिये ताकि स्वस्थ व सुरक्षित जीवन के साथ समान अवसर के जरिये अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें।

6. भोजन, शुद्ध पानी, आवास, आय व शिक्षा।
7. मुक्त बाजार के समर्थक खुली प्रतिद्वंदिता के पक्षधर हैं। व्यक्ति को संम्पत्ति अर्जित करने हेतु, मूल्य व मजदूरी के मामले में व्यक्ति की स्वतंत्रता के हासी है।

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तर

1. न्याय में देरी वास्तव में अंधेर ही है क्योंकि यदि पीड़ित व्यक्ति न्याय के लिये लम्बे समय तक दर दर भटकता रहे तो उसका न्याय से विश्वास उठने लगता है कभी कभी तो पीड़ित इंसाफ की उम्मीद लिये दुनिया से ही चला जाता है।
2. लम्बे समय से चली आ रही जातिगत विभिन्नताओं के कारण न्याय की प्रक्रिया कहीं न कहीं प्रभावित हुई है इसीलिये सामाजिक ताने बाने को ध्यान में रखकर ही न्याय किया जाना चाहिए।
3. पक्ष: बाजार व्यक्ति की जाति धर्म या लिंग की परवाह नहीं करता। बाजार केवल व्यक्ति की योग्यता व कौशल की परवाह करता है।
विपक्ष: मुक्त बाजार ताकतवर धनी व प्रभावशाली लोगों के हित में काम करने को प्रवृत्त होता है जिसका प्रभाव सुविधा विहीन लोगों के लिये अवसरों से वंचित होना हो सकता है।
4. बदलते समय व परिस्थितियों के कारण व्यक्ति की आवश्यकताओं में भी बदलाव आया है। भूमण्डलीकरण व तकनीक के विस्तार ने व्यक्ति के जीवन में महान परिवर्तन ला दिये हैं इसी के अनुसार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकताएं भी बढ़ या बदल गई हैं।
5. इमनुएल कांट के अनुसर हर व्यक्ति की गरिमा होती है इस लिये हर व्यक्ति का प्राप्य यह होगा कि उन्हें अपनी प्रतिभा के विकास और लक्ष्य की पूर्ति के लिये समान अवसर प्राप्त हो।

पांच अंकीय प्रश्नों के उत्तर

1. हर व्यक्ति को उसका जायज हिस्सा मिलना और अपनी प्रतिभा व विकास के लिये समान अवसर प्राप्त होना।
2. जो लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों में समान नहीं हैं उनके साथ भिन्न ढंग से बर्ताव किया जाये।
3. नहीं यह न्याय के मार्ग अवरोध नहीं बल्कि न्याय की स्थापना करता है। विशेष जरूरतों या विकलांगता वाले लोगों को कुछ खास मामलों में असमान

व विशेष सहायता के योग्य समझा जा सकता है। बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच का अभाव जाति आधारित सामाजिक भेदभाव से जुड़े होने के कारण भारत के संविधान में सरकारी नौकरियों व शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान है।

छ: अंकीय प्रश्नों के उत्तर

1. 1) समान लोगों के बीच समान बर्ताव
जरूरतमंदों के लिये जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं और अवसरों का प्रावधान।
2) लाभ तय करते समय विभिन्न प्रयास व कौशलों को मान्यता देना (समानुपातिक न्याय)
3) विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल: जो लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों में समान नहीं हैं उनके साथ भिन्न ढंग से बर्ताव करके उनका ख्याल किया जाना चाहिये।
2. रॉल्स ने न्याय प्राप्ति के लिये 'अज्ञानता के आवरण' का सिद्धान्त दिया है यदि अज्ञानता में रहकर यह निर्णय लिया जाये कि समाज में न्याय कैसा होना चाहिये किस वर्ग के लिये क्या सुविधाएं होनी चाहिए तो व्यक्ति सबसे कमजोर या निचले वर्ग के लिये भी सर्वश्रेष्ठ नीति का चयन करेगा क्योंकि उसे यह ज्ञान नहीं होगा कि इस समाज में उसका स्थान कहां होगा।
3. मुक्त बाजार के समर्थक राज्य के हस्तक्षेप के विरोधी और खुली प्रतिस्पर्धा के पक्षधर हैं। उनके अनुसार इससे योग्यता और प्रतिभा से लैस लोगों को अच्छा फल मिलेगा जबकि अक्षम लोगों को कम हासिल होगा।

अध्याय 5

अधिकार

विशेष बिन्दुः

अधिकार का अर्थः अधिकार किसी व्यक्ति द्वारा की गई मांग है, जिसे सार्वजनिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए समाज स्वीकार करता है और राज्य मान्यता देता है, तो वह मांग अधिकार बन जाती है।

समाज में स्वीकृति मिल बिना मांगे, अधिकार का रूप नहीं ले सकती।

मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा:-

विश्व के समस्त देशों के नागरिकों को अभी पूर्ण अधिकार नहीं मिले हैं। इसी दिशा में 10 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की 'सामान्य सभा' ने मानवधिकरों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार कर लागू किया है।

मानव अधिकार दिवस – 10 दिसम्बर

अधिकार— क्यों आवश्यक?

- व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की सुरक्षा के लिए
- लोकतांत्रिक सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए
- व्यक्ति की प्रतिभा व क्षमता को विकसित करने के लिए
- व्यक्ति के सम्पूर्ण विकास के लिए

अधिकार रहित व्यक्ति, बंद पिंजड़े में पक्षी

अधिकारों की उत्पत्ति:-

1. प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत— जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति—प्राकृतिक अधिकार (17वीं और 18वीं शताब्दी)
2. आधुनिक युग में— प्राकृतिक अधिकार अस्वीकार्य

मानवाधिकार सामाजिक कल्याण की दृष्टि से महत्वपूर्ण


अधिकारों के प्रकार

प्राकृतिक अधिकार

नैतिक अधिकार

कानूनी अधिकार

1. प्राकृतिक अधिकारः जन्म के समय मिला अधिकार
जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति
 2. नैतिक अधिकारः व्यक्ति की नैतिक भावनाओं से जुड़े अधिकार
माता-पिता की सेवा करना, शिष्ट व्यवहार, सच्चा
चरित्र, आदर का भाव
 3. कानूनी अधिकारः जिन्हें राज्य ने कानूनी मान्यता दी है।
- 3.1 मौलिक अधिकारः




- 3.2 राजनैतिक अधिकारः जैसे – मत देने का अधिकार
– निर्वाचित होने का अधिकार
– सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार
- 3.3 नागरिक अधिकारः जैसे – देश में कहीं आने जाने की स्वतंत्रता
– विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- 3.4 आर्थिक अधिकारः जैसे – काम करने का अधिकार
– संपत्ति खरीदने का अधिकार


अधिकारों की दावेदारी

सार्वभौम अधिकार – शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
कुछ कार्यकलाप, जिन्हें अधिकार नहीं माना जा सकता: वे कार्यकलाप जो
समाज के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए
नुकसानदेह हैं।

नशीली या प्रतिबंधित दवाओं का सेवन



अधिकार और शक्तिशाली कैसे हों?



यदि राज्य अधिकारों को सुरक्षित करता है तो उसे यह अधिकार भी प्राप्त होता है कि वह अधिकारों के दुरुपयोग को रोके इसलिए संविधान के अनुच्छेद 19(2) में मौलिक कर्तव्यों का भी वर्णन किया गया है।

अधिकार और कर्तव्यों का आपस में सिक्के के दो पहलुओं की तरह संबंध है। एक पहलू अधिकार है तो दूसरा पहलू कर्तव्य। समाज में हमें जो अधिकार मिलते हैं उनके बदले में हमें कुछ ऋण चुकाने पड़ते हैं। ये ऋण ही हमारे कर्तव्य हैं।

कर्तव्य के प्रकार

नैतिक कर्तव्य

- अपने परिवेश को स्वच्छ रखने का कर्तव्य।
- बच्चों को उचित शिक्षा
- माता—पिता व बुजुर्गों की सेवा करना
- सामाजिक नियमों का पालन करना
- परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ण करना

कानूनी कर्तव्य

- संविधान का सम्मान करना।
- राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान का सम्मान करना।
- कानून व व्यवस्था बनाए रखना
- नियमित रूप से कर देना
- राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा
- देश की एकता तथा अखंडता व सुरक्षा बनाए रखना।
- देश की रक्षा करना।
- प्राकृतिक संसाधनों का समझदारी पूर्ण उपयोग।
- ओजोन परत की हिफाजत करना।

कुछ नए मानवाधिकार:

देश में नए खतरों और चुनौतियां के उभरने के लिए नए मानवाधिकारों की सूची।

- 1) स्वच्छ वायु, सुरक्षित पेयजल तथा टिकाऊ विकास का अधिकार
- 2) सूचनाधिकार का दावा
- 3) महिला सुरक्षा का अधिकार
- 4) समाज के कमजोर लोगों के लिए शौचालयों की व्यवस्था
- 5) बच्चों को खाद्य, संरक्षण शिक्षा का अधिकार
- 6) शालीन जीवन यापन के लिए आवश्यक स्थितियाँ

मानवाधिकारों की कीमत— मनुष्य की सतत् जागरूकता।

- 1) किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता गिरफ्तारी के लिए उचित कारण जरूरी।
- 2) अपराधी से अपराध की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए उत्पीड़न उचित नहीं।

नागरिक के लिए यह आवश्यक है कि यह सतर्क रहें, अपनी आँखे खुली रखें, अपने अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हमेशा जागरूक रहें।

प्रश्नावली:

एक अंकीय प्रश्नः—

1. अधिकार का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
2. विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है?
3. मानव के जीवन में अधिकारों का क्या महत्व है?
4. भारत में संविधान में वार्णित अधिकारों को क्या कहा जाता है?
5. शिक्षा को व्यक्ति का सर्वभौम अधिकार क्यों माना जाता है?
6. कर्तव्य से आप क्या समझते हैं?
7. मानव अधिकारों के पीछे मूल मान्यता क्या है?
8. प्राकृतिक अधिकारों तथा मौलिक अधिकरों में मुख्य अंतर क्या है?
9. वर्तमान समाज में प्राकृतिक अधिकारों के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग हो रहा है?
10. कर्तव्य कितने प्रकार के होते हैं?

दो अंकीय प्रश्नः—

1. राजनीतिक अधिकारों में कौन—कौन से अधिकार शामिल हैं?
2. अधिकार के आधारभूत तत्व समझाइए?
3. अधिकारों की सुरक्षा के कोई दो उपाय सुझाइए।
4. नागरिक के राज्य के प्रति किन्हीं दो कर्तव्यों को लिखिए।
5. अधिकारों की विशेषताओं का वर्णन करो।
6. एक नागरिक को कौन—कौन से आर्थिक अधिकार प्राप्त हैं?
7. निम्नलिखित का मिलान कीजिए—


a)	आर्थिक अधिकार	मत देने का अधिकार
b)	नागरिक अधिकार या सामाजिक अधिकार	स्वतंत्रता का अधिकार
c)	राजनीतिक अधिकार	न्यूनतम भत्ता
d)	सांस्कृतिक अधिकार	मातृभाषा में शिक्षा पाने का अधिकार

चार अंकीय प्रश्नः—

1. कर्तव्यों व अधिकार एक ही सिक्क के दो पहलू हैं? क्या आप इससे सहमत हैं? समझाइए।
2. नागरिक के किन्हीं चार राजनीतिक अधिकारों का वर्णन करो।
3. अधिकार राज्य की सत्ता पर कुछ सीमाएं लगातें हैं? उदाहरण देकर समझाइए।

पांच अंकीय प्रश्नः—

1. निम्नलिखित चित्र और वार्तालाप को पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो—



- 1) उपरोक्त चित्र किस अधिकार का दावा कर रहा है?
 - 2) समाज में किसी भी कार्य में देरी से आहत व्यक्ति क्या महसूर करता है? उसे राहत कौन देता है?
 - 3) सूचना का अधिकार क्या है?
2. निम्न अनुच्छेद को पढ़े और प्रश्नों के उत्तर दें—

अधिकतर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं राजनीतिक अधिकारों का घोषणा पत्र बनाने से अपनी शुरूआती करती हैं। राजनीतिक अधिकार नागरिक को कानून के समक्ष बराबरी तथा राजनीति प्रक्रिया में भागीदारी का हक देते हैं। इसमें वोट देने, प्रतिनिधि चुनने, चुनाव लड़ने, राजनीतिक पार्टियां बनाने या उनमें शामिल होने जैसे अधिकार शामिल हैं। राजनीतिक अधिकार नागरिक स्वतंत्रताओं से जुड़े होते हैं। नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ है स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच का अधिकार, विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार

प्रतिवाद करने तथा असहमति प्रकट करने का अधिकार। नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकार मिलकर किसी सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली की बुनियाद का निर्माण करते हैं। अधिकारों का उद्देश्य लोगों के कल्याण की हिफाजत करना होता है।

- | | | |
|----|---|---|
| 1) | राजनीतिक अधिकार क्या है? इन्हें कौन देता है? | 1 |
| 2) | राजनीतिक अधिकारों को क्या प्रभावित करता है और कैसे? | 2 |
| 3) | अधिकारों का उद्देश्य क्या है और ये किस प्रकार सरकार को जनता के कल्याणहित में प्रभावित करते हैं? | 2 |

छ: अंकीय प्रश्नः—

1. कर्तव्य किसे कहते हैं? एक अच्छे नागरिक के कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए।
2. अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण देकर समझाइए।
3. अधिकार तथा कर्तव्यों में क्या संबंध है?
4. अधिकार व दावे में अंतर लिखो?

उत्तरमाला

एक अंकीय उत्तरः—

1. अधिकार व कर्तव्य का नजदीकी संबंध अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूर्ण नहीं कर सकतो जब तक व्यक्ति समाज के प्रति अपने कर्तव्य नहीं निभाता। कर्तव्य एक दायित्व है जो दूसरों को अपने अधिकारों को इस्तेमाल करने की स्वतंत्रता देता है।
2. मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार।
3. राज्य अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकता।

जनता के हितों का ध्यान राज्य द्वारा क्योंकि जनता ही लोकतांत्रिक देशों में सरकार चुनती है

अधिकार ही राज्य के कुछ खास तरीकों से कार्य करने का दायित्व देते हैं। अधिकार यह निश्चित करते हैं कि राज्य व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता की मर्यादा का उल्लंघन किए बगैर काम करें।

छः अंकीय प्रश्नों के उत्तर (सिर्फ hint के लिए explanation विद्यार्थी स्वयं करें)

1. कर्तव्य एक दायित्व है। कर्तव्य हम दूसरों के प्रति निभाते हैं जिससे समाज का विकास होता है।

कर्तव्यः—

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1) शरीर मन स्वस्थ रखना | 5) देश की सुरक्षा |
| 2) शिक्षा | 6) राष्ट्र ध्वज तथा गान की गरिमा |
| 3) माता पिता की सेवा | |
| 4) राष्ट्र के प्रति भक्ति भावना | |
2. 1) प्राकृतिक — जीवन, स्वतंत्रता
2) नैतिक — माता पिता की सेवा, बच्चों की शिक्षा
3) कानूनी— मौलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक

3. गहरे रूप से जुड़े, एक ही सिक्के के दो पहलू कर्तव्य के बिना अधिकार लागू नहीं हो सकते। अपना अधिकार ही पहल कर्तव्य।
4.
 - a) सभी दावे अधिकार नहीं होते परंतु सभी अधिकार दावे होते हैं।
 - b) अधिकार दावे हैं जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं, सभी दावों को राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं।
 - c) दावे—राज्य के संविधान द्वारा गांरटी नहीं
मौलिक अधिकारों के राज्य के संविधान द्वारा

अध्याय 6

नागरिकता

विशेष बिन्दु:

- नागरिकता से अभिप्राय एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता है जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता। राष्ट्रों ने अपने सदस्यों को एक सामूहिक राजनीतिक पहचान के साथ ही कुछ अधिकार भी दिए हैं। इसलिए हम सबंद्ध राष्ट्र के आधार पर स्वयं को भारतीय, जापानी या जर्मन हैं।
- अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को अभिव्यक्ति का अधिकार, मतदान या आरथा की स्वतंत्रता, न्यूनतम मजदूरी या शिक्षा पाने का अधिकार शामिल किए जाते हैं।
- नागरिक आज जिन अधिकारों का प्रयोग करते हैं उन्होंने एक लंबे संघर्ष के बाद प्राप्त किया है जैसे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, दक्षिण अफ्रीका में समान नागरिकता प्राप्त करने के लिए लंबा संघर्ष आदि।
- नागरिकता में नागरिकों के आपसी संबंध भी शामिल हैं इसमें नागरिकों के एक दूसरे के प्रति और समाज के प्रति निश्चित दायित्व सम्मिलित है।
- नागरिकों को देश के सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधनों का उत्तराधिकारी और न्यासी भी माना जाता है।

संपूर्ण और समान सदस्यता: इसका अभिप्राय है नागरिकों को देश में जहां चाहें रहने, पढ़ने, काम करने का समान अधिकार व अवसर मिलना तथा सभी अमीर—गरीब नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार एवं सुविधाएं प्राप्त होना।

- **प्रवासी:** काम की तलाश में लोग देश के एक शहर से दूसरे शहर की ओर जाते हैं, तब वे प्रवासी कहलाते हैं
- **निर्धन प्रवासियों** का अपने—अपने क्षेत्रों में उसी प्रकार स्वागत नहीं होता जिस प्रकार कुशल और दौलतमंद प्रवासियों का होता है।
- **प्रतिवाद (विरोध)** का अधिकार हमारे संविधान में नागरिकों के लिए सुनिश्चित की गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक पहलू है बशर्ते इससे दूसरे लोगों या राज्य के जीवन और संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए।
- **प्रतिवाद के तरीके:** नागरिक समूह बनाकर, प्रदर्शन कर के, मीडिया का

इस्तेमाल कर, राजनीतिक दलों से अपील कर या अदालत में जाकर जनमत और सरकारी नीतियों को परखने और प्रभावित करने के लिए स्वतंत्र है।

- **समान अधिकार:** शहरों में अधिक संख्या झोपड़पटिटयों और अवैध कब्जे की भूमि पर बसे लोगों की हैं। ये लोग हमारे बहुत काम के हैं। इनके बिना एक दिन भी नहीं गुजारा जा सकता जैसे सफाईकर्मी, फेरीवाले, घरेलू नौकर, नल ठीक करने वाले आदि।
- **सरकार,** स्वयं सेवी संगठन भी इन लोगों के प्रति जागरूक हो रहे हैं। सन 2004 में एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई जिससे लाखों फुटपाथी दुकानदारों को स्वतंत्र कारोबार चलाने का बल प्राप्त हो।

- इसी प्रकार एक और वर्ग है जिसको नजर अंदाज किया जाता है वह है आदिवासी और वनवासी समूह। ये लोग अपने निर्वाह के लिए जंगल और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं।
- नागरिकों के लिए समान अधिकार का अर्थ है नीतियां बनते समय भिन्न-भिन्न लोगों की भिन्न-भिन्न जरूरतों का तथा दावों का ध्यान रखना।

नागरिक और राष्ट्र: कोई नागरिक अपनी राष्ट्रीय पहचान को एक राष्ट्रगान, झंडा, राष्ट्रभाषा या कुछ खास उत्सवों के आयोजन जैसे प्रतीकों द्वारा प्रकट कर सकता है। लोकतांत्रिक देश यथासंभव समावेशी होते हैं जो सभी नागरिकों को राष्ट्र के अंश के रूप में अपने को पहचानने की इजाजत देता है। जैसे फ्रांस, जो यूरोपीय मूल के लोगों को ही नहीं अपितु उत्तर अफ्रीका जैसे दूसरे क्षेत्रों से आए नागरिकों को भी अपने में सम्मिलित करता है इसे राज्यकृत नागरिकता कहते हैं।

- राज्यकृत नागरिकता के लिए आवेदकों को अनुमति देने की शर्त प्रत्येक देश में पृथक होती है जैसे इजराइल या जर्मनी में धर्म और जातीय मूल जैसे तत्वों को प्राथमिकता दी जाती है।

भारतीय संविधान ने अनेक विविधतापूर्ण समाज से समायोजित करने का प्रयास किया है। इसने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अलग-अलग समुदायों, महिलाओं, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के कुछ सुदूर्खर्ती समुदायों को पूर्ण तथा समान नागरिकता देने का प्रयास किया है।

नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन संविधान के तीसरे खंड तथा संसद द्वारा तत्पश्चात पारित कानूनों से हुआ है।

राज्यकृत नागरिकता के तरीके

- 1) पंजीकरण
- 2) देशीकरण
- 3) वंश परंपरा
- 4) किसी भू क्षेत्र का राजक्षेत्र में मिलना

सार्वभौमिक नागरिकता: हम यह मान लेते हैं कि किसी देश की पूर्ण सदस्यता उन सबको उपलब्ध होनी चाहिए जो सामान्यतः उस देश के निवासी हैं, वहां काम करते या जो नागरिकता के लिए आवदेन करते हैं किंतु नागरिकता देने की शर्त सभी तय करते हैं। अवांछित आंग को नागरिकता से बाहर रखने के लिए राज्य ताकत का इस्तेमाल करते हैं परंतु फिर भी व्यापक स्तर पर लोगों का देशांतरण होता है।

— **विस्थापन के कारण:** युद्ध, अकाल, उत्पीड़न

शरणार्थी का अर्थ: विस्थापन के कारण जो लोग न तो घर लौट सकते हैं और न ही कोई देश उन्हें अपनाने को तैयार होता है तो वे राज्यविहीन या शरणार्थी कहलाते हैं।

विश्व नागरिकता: आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़ा है संचार के साधन, टेलिविजन या इंटरनेट ने हमारे संसार को समझने के ढंग में भारी परिवर्तन किया है। एशिया की सुनामी या बड़ी आपदाओं के पीड़ितों की सहायता के लिए विश्व के सभी भागों से उमड़ा भावोदगार विश्व समाज की उभार की ओर इशारा करता है। इसी को विश्व नागरिकता कहा जाता है।

विश्व नागरिकता से लाभ: इससे राष्ट्रीय समीओं के दोनों तरफ उन समस्याओं का समाधान करना सरल होगा जिसमें बहुत देशों की सरकारों और लोगों की संयुक्त कार्यवही जरूरी होती है। इससे प्रवासी या राज्यविहीन लोगों की समस्या का सर्वमान्य निबटान करना आसान हो सकता है।

प्रश्नावली:

एक अंकीय प्रश्नः—

1. नागरिकता से क्या अभिप्राय है?
2. राजनीतिक अधिकारी में किन अधिकारों को सम्मिलित किया जाता है?
3. नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन हमारे संविधान के किस खंड में किया गया है?
4. शरणार्थी किन्हें कहा जाता है?
5. बाहरी लोगों से क्या अभिप्राय है?
6. 'मुंबई मुंबईकर के लिए' नारे का क्या अर्थ है?
7. संपूर्ण और समान सदस्यता से आपका क्या अभिप्राय है।
8. शहरी निर्धनों से क्या अभिप्राय है?
9. किसी भी नागरिक के लिए मतदाता सूची में शामिल होने की दो शर्तें कौन-सी हैं?
10. विश्व नागरिकता से क्या अभिप्राय है?

दो अंकीय प्रश्नः—

1. एक नागरिक का दूसरे नागरिकों के प्रति क्या कर्तव्य है?
2. रंगभेद की नीति से क्या अभिप्राय है?
3. समान सदस्यता से क्या अभिप्राय है?
4. नागरिक किस प्रकार प्रतिवाद या विरोध कर सकते हैं?
5. आदिवासी तथा वनवासियों के क्या अधिकार हैं?
6. "कई बार धार्मिक प्रतीक और रिवाज सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर जाते हैं" इस कथन का आशय य स्पष्ट करा।
7. नागरिकता प्राप्त करने के दो तरीके बताइए।
8. नागरिकता खो जाने के दो कारण बताइए।
9. लोग विस्थापित क्यों होते हैं दो कारण बताइए।

10. भारत में विकास योजनाओं से विस्थापित लोगों द्वारा किए गए संघर्ष का वर्णन करों।

चार अंकीय प्रश्न

1. एक नागरिक तथा विदेशी में क्या अंतर है?
2. एक अच्छे नागरिक में क्या—क्या गुण होने चाहिए।
3. सार्वभौमिक नागरिकता से क्या अभिप्राय है? कुछ शरणार्थी लोगों के उदाहरण दीजिए।
4. विश्व नागरिकता आज एक आकर्षण बनी है। कैसे?
5. भारत में एक जातिगत तथा एक पर्यावरणीय आंदोलन का वर्णन करो।
6. शरणार्थियों को किन—किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है?
7. 'बाहरी तथा भीतरी' की समस्या का वर्णन करो।
8. आज विश्व एक विश्व ग्राम की भाँति बदल रहा है? कैसे?
9. नागरिक और सामाजिक अधिकार क्या है?
10. शहरी गरीबों के अधिकारी की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पांच अंकीय प्रश्न

1. अनुच्छेद का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें:—

"नागरिकता के अधिकारों का प्रयोग कुछ लोगों के लिए स्वपन मात्र होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका स्वयं को अप्रवासियों का देश होने पर गोरवान्वित महसूस करता है। हालांकि प्रतिबंध, दीवार और बाड़ लगाने के बावजूद आज भी संसार में व्यापक स्तर पर देशांतर होता है।"

 - 1) नागरिकता के अधिकार किन लोगों के लिए स्वपन मात्र है।
 - 2) देशांतर के दो कारण लिखो।
 - 3) क्या भारत में भी देशांतर होता है? किन लोगों का देशांतर होता है?
2. शहरी गरीबों की हालत के प्रति सरकार, स्वयं सेवी संगठन और दूसरी ऐंजेसियों सहित स्वयं झोपड़ियों के निवासियों में भी जागरूकता बढ़ी है?
 - 1) शहरी गरीबों से क्या अभिप्राय है?

- 2) शहरी गरीबों के लिए सरकार में क्या कदम उठाए हैं।
- 3) स्वयं सेवी संगठन क्या होते हैं उदाहरण दीजिए।
- 4) झोपड़ियों में रहने वाले लोगों द्वारा चलाया जाने वाला कोई आंदोलन बताइए।

छ: अंक वाले प्रश्न

1. “आज नागरिक को जो भी अधिकार मिले हुए हैं वे उसके कड़े संघर्ष का परिणाम है” | सिद्ध करो।
2. “समान सदस्यता मिलने का अर्थ यह नहीं कि सभी उसका समान प्रयोग कर सकें” क्या आप इस कथन से सहमत हैं? उचित दीजिए।
3. “लोकतंत्र का यह बुनियादी सिद्धांत है कि विवादों का निदान बल प्रयोग की अपेक्षा संधि—वार्ता तथा विचार विमर्श से हो” आपके अनुसार क्या यह तरीका विश्व नागरिकता को बढ़ावा देगा।
4. “भारत एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राज्य है” कैसे।

उत्तरमाला

एक अंकीय उत्तरः—

1. एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता जिसमें कोई भेदभाव न हो।
2. अभिव्यक्ति का अधिकार, मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार
3. तीसरे खंड
4. युद्ध, अकाल या प्राकृतिक आपदाओं से विस्थापित लोग।
5. जो लागे समाज और सरकार की स्वीकृति प्राप्त नहीं कर पाते।
6. इसका अर्थ है मुबाई में केवल मुबाई के ही लोग रहेंगे बाहर के नहीं।
7. नागरिकों के देश में जहां भी वे चाहें रहने, पढ़ने या काम करने का समान अधिकार एवं अवसर मिलना चाहिए।
8. झोपड़ियों और अवैध कब्जे की भूमि पर बसे लोग, जो अक्सर कम मजदूरी पर काम करते हैं।
9. 1) स्थाई निवास
2) 21 वर्ष की आयु
10. जहां राष्ट्रीय सीमाएं न हो तब शरणार्थी समस्या नहीं होगी। समस्याओं के समाधान सबके समर्थन से होंगे।

2 अंकीय प्रश्नों के उत्तर

1. नागरिकों का कर्तव्य है कि वे दूसरें नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करें। रोजमरा के जीवन में उन्हें सम्मिलित होने और योगदान करने का दायित्व शामिल हैं।
2. गोरे और काले लोगों के बीच भेदभाव दक्षिण अफ्रिका का उदाहरण।
3. राजसत्ता द्वारा सभी नागरिकों को चाहें वे धनी हो या निर्धन कुछ बुनियादी अधिकारों की गांरटी देना।
4. समूह बनाकर, प्रदर्शन, धरना, मीडिया का प्रयोग, राजनीतिक दलों से अपील कर या अदालत जाकर जनमत और सरकारी नीतियों को परखना और प्रभावित करना।

5. उन्हें उनके जीवन निर्वाह के लिए जंगल और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों के साथ रहने का अधिकार, अपनी संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखने का अधिकार ।
6. छात्र इस प्रश्न का उत्तर अपने विवेक से दें ।
7. राज्यकृत नागरिकता ।
 - 1) विवाह द्वारा
 - 2) नौकरी द्वारा
 - 3) आवेदन द्वारा
8. 1) देशद्रोही क्रियाकलाप द्वारा
 - 2) विवाह द्वारा
9. अकाल, बाढ़, युद्ध, सुनामी, महामारी जैसी समस्याओं से ।
10. सरदार सरोवर बांध का वर्णन ।

4 अंकीय प्रश्नों के उत्तर

1. नागरिक – देश के राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करता है वह मतदान, चुनाव लड़ना, सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार रखता है ।
विदेशी – विदेशी को ये सभी अधिकार प्राप्त नहीं ।
2. छात्र इस प्रश्न का उत्तर अपने विवेक से दें ।
3. किसी देश की पूर्ण सदस्यता, सभी को उपलब्ध होनी चाहिए जो सामान्यतया उस देश में रहते हैं और काम करते हैं तथा जो नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं ।
4. क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इससे राष्ट्रीय सीमाओं के दोनों तरफ उन दिक्कतों का समाना करना, सरल हो सकता है जिसमें बहुत से देशों की सरकारों और लोगों की संयुक्त कार्यवाही जरूरी होती है । विजय माल्या का उदहारण ।
5. जातिगत आंदोलन – दलित पैथर्स
पर्यावरणीय आंदोलन – चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओं आंदोलन
6. 1) कोई देश उन्हें स्वीकार नहीं करता ।

- 2) वे शिवरों में या अवैध प्रवासी के रूप में रहने को विवश किए जाते हैं।
- 3) वे अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते या
- 4) संपत्ति अर्जित नहीं कर सकते।
7. भीतरी— जो समाज से स्वीकृति प्राप्त कर लेते हैं और सरकार से नागरिकता के अधिकार।
बाहरी— जो समाज व राज्य से स्वीकृति प्राप्त नहीं कर पाते।
8. विश्व ग्राम— हम सब संचार के नए माध्यमों द्वारा जैसे टेलिविजन, इंटरनेट आदि से एक दूसरे से जुड़ाव अनुभव करते हैं आज विश्व के तमाम राष्ट्रों के लोगों में साझे सरोकर एवं भाईचारे की भावना का विकास हो रहा है।
9. नागरिक अधिकार— आस्था और स्वतंत्रता के अधिकार
सामाजिक अधिकार— न्यूनतम मजदूरी, शिक्षा प्राप्त करने, किसी भी जगह घूमने फिरने की आजादी।
10. 1) 2004 में एक राष्ट्रीय नीति बनाई ताकि फूटपाथी दुकानदारों को पुलिस और नगर प्रशासकों का उत्पीड़न न झेलना पड़।
2) संविधान की धारा 21 में जीने के अधिकार की गांरटी दी गई है जिसमें आजीविका का अधिकार भी शामिल है।

6 अंकीय प्रश्नों के उत्तर—

1. (1) बहुत से यूरोपीय देशों में ऐसे संघर्ष हुए जैसे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति।
(2) एशिया अफ्रीका में भी समान नागरिकता की मांग, संघर्ष से ही प्राप्त की।
(3) दक्षिण अफ्रीका में भी अश्वेत जनसंख्या को सत्तारूढ़ श्वेत अप्लसंख्यकों के विरुद्ध लम्बा संघर्ष किया।
2. अधिकांश समाजों में लोगों की योग्यताओं और सामर्थ्य के अधार पर संगठन पाया जाता है लोगों के आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण तथा मौलिक आवश्यकताओं एवं सुविधाओं की दृष्टि से अलग हो सकते हैं। यदि लोगों को समानता पर लाना है तो नीतियों का निर्धारण करते वक्त लोगों की भिन्न-भिन्न जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए।
3. हाँ, लोकतंत्र में जनता की भागीदारी आवश्यक है इसके लिए नागरिकों का जागरूक होना जरूरी है अगला चरण सरकार का प्रतिवाद हो सकता है

परन्तु शर्त है कि अन्य नागरिकों व सरकार के जीवन व संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। विरोध की प्रक्रिया धीमी हो सकती है पर वार्ता द्वारा या संघि द्वारा समस्याओं के समाधान किए जा सकते हैं।

4. स्वतंत्रता आंदोलन का आधार व्यापक था और विभिन्न धर्म, क्षेत्र और संस्कृति के लोगों को आपस में संबंध होकर प्रयत्न करने पड़े। भारत में विभाजन को रोका तो नहीं जा सका परंतु स्वतंत्र भारत में धर्मनिरपेक्ष और समावेशी चरित्र को कामय रखा गया। यह निश्चय संविधान में शामिल किया गया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, अंडमान निकोबार द्वीप समूहों के कुछ सुदूरवर्ती समुदायों और कई अन्य समुदायों को पूर्ण तथा समान नागरिकता देने का प्रयास किया गया।

5 अंकीय प्रश्नों के उत्तर—

1. (क) नागरिकता के अधिकार उन लोगों के लिए स्वपन मात्र है जो किसी देश में युद्ध, उत्पीड़न, सूनामी, महामारी आदि से प्रभावित होने पर देश छोड़ने को मजबूर होना पड़ता है।
 - (ख) (1) युद्ध के कारण
 - (2) अकाल, सूनामी, महामारी

(ग) भारत में बांग्लोदेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान आदि पड़ौसी देशों से देशांतर होता है।
2. (क) शहरी गरीब वे लोग हैं जो झोपडपट्टियों में रहते हैं, फेरी वाले, सफाई कर्मचारी, घरेलू नौकर, नल ठीक करने वाले इत्यादि।

(ख) सरकार ने कई कानून बनाए हैं जैसे सन् 2004 में पारित कानून जिसके द्वारा फुटपाथ पर काम करने वाले दुकानदारों को पुलिस और प्रशासन परेशान न करें।

(ग) स्वयं सेवी संगठन गैर सरकारी संगठन होते हैं जो सरकार पर दबाव बनाने के लिए काम करते हैं और स्वयं को समाज में उजागर करते हैं।

अध्याय 7

राष्ट्रवाद

विशेष बिन्दुः—

- राष्ट्रवाद क्या है: सामान्यतः यदि जनता की राय ले तो इस विषय में राष्ट्रीय ध्वज, देश भक्ति देश के लिए बलिदान जैसी बातें सुनेंगे। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड़ भारतीय राष्ट्रवाद का विचित्र प्रतीक है।
- राष्ट्रवाद पिछली दो शताब्दियों के दौरान एक ऐसे सम्मोहक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उभरकर समाने आया है कि जिसने इतिहास रचने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसने अत्याचारी शासन से आजादी दिलाने में सहायता की है तो इसके साथ ही यह विरोध, कटुता और युद्धों की वजह भी रहा है।
- राष्ट्रवाद बड़े-बड़े साम्राज्यों के पतन में भागीदार रहा है। बीसवीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप में आस्ट्रेयाई-हंगेरियाई और रूसी साम्राज्य तथा इसके साथ एशिया और अफ्रीका में फ्रांसीसी, ब्रिटिश, डच और पुर्तगाली साम्राज्य के बंटवारे के मूल में राष्ट्रवाद ही था।
- इसी के साथ राष्ट्रवाद ने उन्नीसवीं शताब्दी के यूरोप में कई छोटी-छोटी रियासतों के एकीकरण से पृहत्तर राष्ट्र राज्यों की स्थापना का मार्ग दिखाया है।
- राष्ट्र तथा राष्ट्रवाद:
राष्ट्र: राष्ट्र के सदस्य के रूप में हम राष्ट्र के अधिकतर सदस्यों को प्रत्यक्ष तौर पर न कभी जान पाते हैं और न ही उनके साथ वंशानुगत संबंध जोड़ने की जरूरत पड़ती है। फिर भी राष्ट्रों का वजूद है, लोग उनमें रहते हैं और उनका सम्मान करते हैं।
- राष्ट्रवाद:— राष्ट्र काफी हद तक एक 'काल्पनिक' समुदाय है जो अपने सदस्यों के सामूहिक यकीन, इच्छाओं, कल्पनाओं विश्वास आदि के सहारे एक धारे में गठित होता है। यह कुछ विशेष मान्यताओं पर आधारित होता है जिन्हें लोग उस पूर्ण समुदाय के लिए बनाते हैं जिससे वह अपनी पहचान बनाए रखते हैं।
- राष्ट्र के विषय में मान्यताएँ:
 - 1) साझे विश्वास: एक राष्ट्र का आस्तित्व तभी बना रहता है जब उसके सदस्यों को यह विश्वास हो कि वे एक-दूसरे के साथ हैं।

- 2) इतिहासः व्यक्ति अपने आपको एक राष्ट्र मानते हैं उनके अंदर अधिकतर स्थाई ऐतिहासिक पहचान की भावना होती है देश की स्थायी पहचान का ढांचा पेश करने हेतु वे किंवदतियों स्मृतियों तथा ऐतिहासिक इमारतों तथा अभिलेखों की रचना के जरिए स्वयं हेतु राष्ट्र के इतिहास के बोध की रचना करते हैं।
- 3) भू-क्षेत्रः किसी भू क्षेत्र पर काफी हद तक साथ-साथ रहना एवं उससे संबंधित साझे अतीत की स्मृतियां जन साधारण को एक सामूहिक पहचान का अनुभाव कराती है। जैसे कोई इसे मातृभूमि या पितृभूमि कहता है तो कोई पवित्र भूमि।
- 4) सांझे राजनीतिक विश्वासः जब राष्ट्र के सदस्यों की इस विषय पर एक सांझा दृष्टि होती है कि वे कैसे राज्य बनाना चाहते हैं शेष तथ्यों के अतिरिक्त वे धर्म निरपेक्षता, लोकतंत्र और उदारवाद जैसे मूल्यों और सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं तब यह विचार राष्ट्र के रूप में उनकी राजनीतिक पहचान को स्पष्ट करता है।
- 5) साझी राजनीतिक पहचानः व्यक्तियों को एक राष्ट्र में बांधने के लिए एक समान भाषा, जातीय वंश परंपरा जैसी सांस्कृतिक पहचान भी आवश्यक है। ऐसे हमारे विचार, धार्मिक विश्वास, सामाजिक परंपराएं सांझे हो जाते हैं। वास्तव में लोकतंत्र में किसी खास नस्ल, धर्म या भाषा से संबद्धता की जगह एक मूल्य समूह के प्रति निष्ठा की आवश्यकता होती है।

राष्ट्रीय आत्म निर्णयः

- सामाजिक समूहों से राष्ट्र अपना शासन स्वयं करने और अपने भविष्य को तय करने का अधिकार चाहते हैं दूसरे शब्दों में वे आत्म निर्णय का अधिकार चाहते हैं।

इस अधिकार के तहत राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग करता है कि भिन्न राजनीतिक इकाई या राज्य के दर्जे को मान्यता एवं स्वीकृति दी जाएं।

उन्नीसवीं सदी में यूरोप में एक संस्कृति: एक राज्य की मान्यता ने जोर पकड़ा। फलस्वरूप वर्साय की संधि के बाद विभिन्न छोटे एवं नव स्वतंत्र राज्यों का गठन हुआ। इस के कारण राज्यों की सीमाओं में भी परिवर्तन हुए, बड़ी जनसंख्या का विस्थापन हुआ, कई लोग सांप्रदायिक हिंसा के भी शिकार हुए।

इसलिए यह निश्चित करना मुमकिन नहीं हो पाया कि नव निर्मित राज्यों में मात्र एक ही जाति के लोग रहें क्योंकि वहां एक से ज्यादा नस्ल और संस्कृति के लोग रहते थे।

आश्यचर्य की बात यह है कि उन राष्ट्र राज्यों ने जिन्होंने संघर्षों के बाद स्वाधीनता प्राप्त की, किंतु अब वे अपने भू-क्षेत्रों में राष्ट्रीय आत्म निर्णय के अधिकार की मांग करने वाले अल्पसंख्यक समूहों का खंडन करते हैं।

आत्मनिर्णय के आंदोलनों से कैसे निपटें: समाधान नए राज्यों के गठन में नहीं बल्कि वर्तमान राज्यों को ज्यादा लोकतांत्रिक और समतामूलक बनाने में है। समाधान है कि भिन्न-भिन्न सांस्कृतिक और नस्लीय पहचानों के लोग देश में समान नागरिक तथा मित्रों की तरह सहअस्तित्व पूर्वक रह सकें।

राष्ट्रवाद तथा बहुलवाद

“एक संस्कृति—एक राज्य” के विचार को त्यागने के बाद लोकतांत्रिक देशों ने सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान को स्वीकार करने तथा सुरक्षित करने के तरीकों की शुरुआत की है। भारतीय संविधान में भाषायी, धार्मिक एंव सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए व्यापक प्रावधान हैं।

यद्यपि अल्पसंख्यक समूहों को मान्यता एवं सरक्षण प्रदान करने के बावजूद कुछ समूह पृथक राज्य की मांग पर अड़े रहें, ऐसा हो सकता है। यह विरोधाभासी तथ्य होगा कि जहां वैशिक ग्राम की बातें चल रही हैं वहां अभी भी राष्ट्रीय आकांक्षाएं विभिन्न वर्गों और समुदायों को उद्वेलित कर रही है। इसके समाधान के लिए संबंधित देश को विभिन्न वर्गों के साथ उदारता एवं दक्षता का परिचय देना होगा साथ ही असहिष्णु एक जातीय स्वरूपों के साथ कठोरता से पेश आना होगा।

प्रश्नावली:

एक अंकीय प्रश्नः—

1. सामान्यतः राष्ट्रवाद से क्या अभिप्राय है?
2. राष्ट्रवाद ने वृहत्तर राष्ट्र राज्यों की स्थापना का मार्ग दिलया है। उदाहरण दीजिए।
3. 'राष्ट्र' शब्द से क्या अभिप्राय है?
4. राष्ट्र के निर्माण में इतिहास का क्या योगदान रहता है?
5. भूक्षेत्र को लेकर लोग उसे क्या—क्या नाम देते हैं?
6. राष्ट्रीय आत्म निर्णय के सिद्धांत का क्या अर्थ है?
7. समतामूलक समाज से क्या अभिप्राय है?
8. 'एक संस्कृति—एक राज्य' का सिद्धांत का क्या अर्थ है?

दो अंकीय प्रश्नः—

1. "राष्ट्रवाद ने लोगों को संगठित किया है साथ ही विभाजित भी किया है" कैसे?
2. "राष्ट्रवाद साम्राज्यों के पतन के लिए जिम्मेदार रहा है" कैसे? कुछ उदाहरण दीजिए।
3. 'राष्ट्र' शब्द और राष्ट्रवाद में क्या अंतर है?
4. 'सांझे विश्वास' किस प्रकार राष्ट्रवाद के विकास में सहायक हैं।
5. साझी राजनीतिक पहचान से क्या अभिप्राय है?
6. क्या 'राष्ट्रीय आत्मनिर्णय' की मांग समकालीन विश्व में विरोधाभासी है?
7. राष्ट्रीय पहचान के लिए समोवशी नीति से कार्य करने का क्या अर्थ है?
8. बहुलवाद से क्या अभिप्राय है?


चार अंकीय प्रश्नः—

1. राष्ट्रवाद ने राज्यों को जोड़ा भी है और तोड़ा भी है। कैसे?
2. "भूमंडलीकरण के दौर में आज भी राष्ट्रीय आकांक्षाएँ सिर उठाती रहती हैं" इस समस्या का समाधान कैसे संभव है?

3. “एक संस्कृति एक राज्य” इस नीति से क्या अभिप्राय है? क्या यह नीति प्रयोग में लाना संभव है?
4. आत्मनिर्णय के सिद्धांत के द्वारा जिन राष्ट्रों ने स्वाधीनता प्राप्त की, आज वे ही अपने भू-क्षेत्रों में राष्ट्रीय आत्म निर्णय के अधिकार की मांग का विरोध करते हैं? क्यों?
5. राष्ट्रवाद के मार्ग में आने वाली कठिनाइयाँ कौन सी हैं?
6. ‘राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक है अपने शासन में अल्पसंख्यक समूहों के अधिकारों और संस्कृति पहचान का आदर किया जाए’। क्या आप इस कथन से सहमत हैं?

पांच अंकीय प्रश्नः—

1. “यद्यपि बाहरी रूप में लोगों में विविधता और अनगिनत विभिन्नताएं थी, परंतु हर जगह एकात्मकता की वह जबर्दस्त छाप थी जिसने हमें युगों तक जोड़े रखा, चाहे हमें जो भी राजनीतिक भविष्य अथवा दुर्भाग्य झेलना पड़ा हो”।
निम्न प्रश्नों के उत्तर दो—
 - क) उपरोक्त कथन किसका है?
 - ख) लेखक किस विविधता और विभिन्नता की बात कर रहा है?
 - ग) राजनीतिक दुर्भाग्य से लेखक का क्या अभिप्राय है?
2. “राष्ट्रवाद मेरी आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकती, मेरी शरण स्थली तो मानवता है। मैं हीरों की कीमत पर शीशा नहीं खरीदूंगा, और जब तक मैं जीवित हूँ देशभक्ति को मानवता पर कदापि विजयी नहीं होने दूंगा।”
निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए—
 - क) लेखक राष्ट्रवाद की बजाय मानवता को क्यों महत्व दे रहा है?
 - ख) ‘देशभक्ति को मानवता पर विजयी न होने देने’ का क्या अभिप्राय है?
 - ग) ‘हीरों की कीमत कपर शीशा नहीं खरीदूंगा’ इस कथन में लेखक ने हीरा और शीशा किसे कहा है?



3. 1) सामान्यतया लोग राष्ट्रवाद से क्या अर्थ लगाते हैं?
- 2) चित्र में राष्ट्रवाद किस प्रकार दिखाया गया है?
- 3) एक अच्छे नागरिक के क्या गुण होते हैं?

छ: अंक वाले प्रश्न:

1. राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाले विभिन्न तत्वों का वर्णन करो?
2. “संघर्षवादी ताकतों से निपटने में तानाशाही सरकारों की बजाय लोकतांत्रिक सरकारें अधिक कारगर सिद्ध हुई हैं? कैसे।
3. राष्ट्रवाद के दायरे क्या—क्या हैं। (सीमाएं)

उत्तरमाला

एक अंकीय उत्तरः—

1. सामान्यता जनता की राय में राष्ट्रीय ध्वज, देशभक्ति, देश के लिए बलिदान जैसी बातें राष्ट्रवाद में आती हैं।
2. आज के जर्मनी तथा इटली का एकीकरण और सदृढ़ीकरण का कारण यही प्रक्रिया है।
3. राष्ट्र के सदस्य के रूप में हम अपने राष्ट्र के अधिकतर सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से न कभी जान पाते हैं और न ही उनके साथ वंशानुमत संबंध होता है फिर भी हम राष्ट्रों का सम्मान करते हैं।
4. राष्ट्र के सदस्य के रूप में हम अपने राष्ट्र मानते हैं जब उनके अंदर एक ऐतिहासिक पहचान की भावना होती है।
5. मातृभूमि, पितृभूमि या पवित्र भूमि।
6. सामाजिक समूहों से जब राष्ट्र अपना शासन स्वयं करने और अपने भविष्य को तय करने का अधिकार चाहते हैं।
7. भिन्न-भिन्न सांस्कृतिक और नस्लीय पहचान वाले देश में समान नागरिकों और मित्रों की तरह सह-आस्तित्वपूर्वक रह सकें।
7. एक राज्य में एक ही संस्कृति के लोग निवास करेंगे।

2 अंकीय प्रश्नों के उत्तर

1. राष्ट्रवाद ने उत्कट निष्ठाओं के साथ-साथ गहरे विद्वेषों को प्रोत्साहित किया है। इसने जनता को एकत्र किया है तो विभाजित भी किया है।
2. बीसवीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप में अस्ट्रियाई- हंगेरियाई और रूसी साम्राज्यों के पतन तथा उनके साथ एशिया और अफ्रीका में फ्रांसीसी, ब्रिटिश, डच और पुर्तगाली साम्राज्य के बंटवारें में राष्ट्रवाद ही था।
3. राष्ट्र: राष्ट्र जनता का कोई आकस्मिक समूह नहीं है यह परिवार से भिन्न है राष्ट्र के अधिकतर सदस्यों को प्रत्यक्ष तौर पर न कभी जान पाते हैं और न ही उनके साथ वंशानुगत संबंध जोड़ने की जरूरत पड़ती है।

राष्ट्रवाद: राष्ट्रवाद एक भावना है, देश प्रेम की भावना जो विकसित होती है साझे विश्वास, साझा इतिहास, साझे भू क्षेत्र साझे राजनीतिक आदर्श तथा साझी राजनीतिक पहचान के द्वारा।

4. साझे विश्वास: राष्ट्र का निर्माण विश्वास के द्वारा होता है राष्ट्र ऐसी इमारते नहीं जिन्हें हम स्पर्श कर सकें, न ही ये ऐसी वस्तुएं हैं जिनका लोगों के विश्वास से स्वतंत्र अस्तित्व हो। राष्ट्र की तुलना एक टीम से की जा सकती है।
5. साझी राजनीतिक पहचान: अधिकांश समाज सांस्कृतिक रूप से विविधता से भरे हैं। एक ही भू-क्षेत्र में विभिन्न धर्म और भाषाओं के लोग मिलजुल कर रहते हैं इसलिए अच्छा होगा यदि हम राष्ट्र की कल्पना राजनीतिक शब्दावली में करें न कि सांस्कृतिक पदों में। लोकतंत्र में किसी खास नस्त, धर्म या भाषा से संबद्धता की जगह एक मूल्य समूह के प्रति निष्ठा की आवश्यकता होती है।
6. राष्ट्रीय आत्मविश्वास: उस वक्त विरोधाभासी लगता है जब हम उन राष्ट्रराज्यों को, जिन्होंने स्वंयं संघर्षों के बल पर स्वाधीनता प्राप्त की, किंतु अब वे अपने भू-क्षेत्रों में राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग करने वाले अल्पसंख्यक समूहों का खंडन कर रहे हैं।
7. समावेशी नीति का आशय है जो राष्ट्र राज्य के समस्त सदस्यों के महत्व एवं अद्वितीय योगदान को मंजूरी दे सके अर्थात् अल्पसंख्यक समूहों और उनके सदस्यों की संस्कृति, भाषा और धर्म के लिए संवैधानिक संरक्षा के अधिकार।
8. बहुलवाद: जब एक संस्कृति एक राज्य की अवधारणा को त्याग दिया गया तब नई व्यवस्था वह होगी जहां अनेक संस्कृतियां और समुदाय एक ही देश में फल फूल सकें। भारतीय संविधान में भाषायी, धार्मिक एवं सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की संरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तर

1. राष्ट्रवाद ने उन्नीसवीं शताब्दी के यूरोप में कई छोटी-छोटी रियासतों के एकीकरण से वृहत्तर राष्ट्र राज्यों की स्थापना का मार्ग दिखाया। आज के जर्मनी, इटली का गठन एकीकरण और सुहदीकरण की इसी प्रक्रिया के माध्यम से हुआ था।
किन्तु राष्ट्रवाद बड़े-बड़े साम्राज्यों के पतन में भी भागीदार रहा है। बीसवीं शताब्दी में यूरोप में आस्ट्रियाई-हंगेरियाई और रूसी साम्राज्य तथा इनके साथ एशिया और अफ्रीका में फ्रांसीसी, ब्रिटिश, डच एवं पुर्तगाली साम्राज्य के बंटवारे के मूल में 'राष्ट्रवाद' ही था।

2. भूमंडलीकरण का दौर चल रहा है वहाँ दूसरी ओर कुछ राष्ट्रीय आकांक्षाएँ सिर उठाती रहती हैं। ऐसी मांगों से निपटने का एक मात्र तरीका लोकतांत्रिक तरीका है। इसमें निपटने में संबंधित देश विभिन्न वर्गों के साथ उदारता एवं दक्षता का परिचय दें।

परंतु इसका आशय यह कदापि नहीं है कि हम राष्ट्रवाद के असहिष्णु एक एकजातीय स्वरूपों के साथ कोई सहानुभूति बरतें।

3. एक संस्कृति—एक राज्य की धारणा की शुरूआत 19 वीं सदी के यूरोप में समाने आई परिणाम स्वरूप प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् राज्यों की पुनर्व्यवस्था में इस विचार को परखा गया परंतु आत्म निर्णय की सभी मांगों को संतुष्ट करना संभव नहीं था।

आज भी इस नीति को प्रयोग में ला पाना संभव नहीं तभी बहुलवाद की प्रचलन है अर्थात् बहुत से समुदाय और संस्कृतियों के लोग एक ही देश में फल फूल सकें।

4. आत्मनिर्णय: क्योंकि इससे आबादी का देशांतरण, सीमाओं पर युद्ध और हिंसा की घटनाएं होती रहती हैं प्रथम विश्व युद्ध के बाद जितने भी नए राष्ट्र राज्य बने उसके परिणामस्वरूप जनसंख्या का बड़ी मात्रा में विस्थापन हुआ, लाखों लोग अपने घरों से उजड़ गए और उस जगह से बाहर धकेल दिए गए जहाँ पीढ़ियों से उनका घर था।

5. सांप्रदायिकता

जातिवाद

क्षेत्रवाद

भाषावाद

नस्लवाद

6. जो राष्ट्र राज्य अपने शासन में अल्पसंख्यक समूहों के अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान का आदरनहीं करते उसके लिए अपने सदस्यों की निष्ठा प्राप्त करना कठिन होता है।

इसके लिए राज्यों ज्यादा लोकतांत्रिक व समतामूलक बनना होगा ताकि भिन्न-भिन्न सांस्कृतिक और नस्लीय पहचान के लोग देश में समान नागरिक और मित्रों की तरह रह सकें।

पांच अंकीय प्रश्नों के उत्तर

1. क) पं. जवाहर लाल नेहरू
ख) लेखक अपने देश विभिन्न धर्म, भाषाएं, जातियां आदि है उसके बावजूद एकता दिखाई देती है।
ग) राजनीतिक दुर्भाग्य का अर्थ है वह लंबा परातंत्रता का समचय जो ब्रिटिश काल में भारत को झेलना पड़ा।
2. क) लेखक चाहता है कि राज्यों की सीमाएं नहीं होनी चाहिए बल्कि सबको मानवता की भलाई के लिए काम करना चाहिए ताकि विश्व हमें विश्व ग्राम की तरह नजर आए।
ख) देशभक्ति ने बहुत साम्राज्यों का पतन किया है इसलिए मानव को प्राथमिकता दी जाए राज्य या राष्ट्र को नहीं।
ग) लेखक का अभिप्राय है कि हमें विश्व ग्राम को प्राप्त करने की ओर चलना चाहिए देश या राष्ट्र की सीमाएं नहीं बनानी।
3. क) सामान्यतया लोग राष्ट्रीय धज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्र गान, देशभक्ति, देश के लिए बालिदान आदि से अर्थ लगाते हैं।
ख) चित्र में राष्ट्रवाद को वोट डालने, टैक्स देने, कानूनों का सम्मान करने, देशवासी होने या टीम को जीतते वक्त उसका उत्साह बढ़ाना से दर्शाया गया है।
ग) एक अच्छा नागरिक कानूनों का पालन करना, वोट डालना, समय पर टैक्स देना, देशवासी होने पर गर्व महसूस करना, ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा करना आदि।

छ: अंकीय प्रश्नों के उत्तर

1. 1) साझा इतिहास
2) साझे विश्वास
3) साझा भू-क्षेत्र
4) साझे राजनीतिक आदर्श
5) साझी राजनीतिक पहचान

2. लोकतांत्रिक सरकारें समतामूलक व समावेशी होने के लिए संघर्षवादी ताकतों से निपटने में निपुण होती है बजाय तानाशाही सरकारों के। आज संसार एक विश्व ग्राम का स्वप्न देख रहा है ऐसे में संघर्षवादी शक्तियां उस स्वप्न में बाधा उत्पन्न करती हैं ऐसी भागों से लोकतांत्रिक ढंग से समाधान किया जा सकता है और इसमें संबंधित देश को अपना योग्यता और दक्षता का परिचय देना होगा।

यह आवश्यक है कि हम राष्ट्रीय पहचान के इनके दावों की सत्यता को स्वीकार करें परंतु इसका यह आशय कदापि नहीं है कि हम राष्ट्रवाद के असहिष्णु और एक जातीय स्वरूपों के साथ कोई सहानुभूति बरतें।

- 3.
- 1) क्षेत्रवाद
 - 2) नैतिक मूल्यों का पतन
 - 3) धार्मिक विविधता
 - 4) आर्थिक विषमता
 - 5) भाषायी विषमता

अध्याय 8

धर्म निरपेक्षता

विशेष बिन्दुः

धर्म निरपेक्षता का अर्थ है: बिना किसी भेदभाव के सभी धर्मों को अपना धर्म मानने व प्रचार करने की स्वतंत्रता अर्थात् इसका शाब्दिक अभिप्राय जब राज्य धर्म को लेकर कोई भेद-भाव न करें।

भारत की विभिन्नताओं का देश है लोकतन्त्र को बनाए रखने के लिए सभ्जी को समान अवसर प्रदान करने का कार्य कठिन है इस लिए भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया। संविधान के घोषणा पत्र में धार्मिक वर्चवाद का विरोध करना, धर्म के अन्दर छिपे वर्चस्व का विरोध करना तथा विभिन्न धर्मों के बीच तथा उनके अन्दर समानता को बढ़ावा देना आदि की घोषणा करता है।

— धर्मों के बीच वर्चस्ववादः—

हर भरतीय नागरिक को देश के बिना भाग में आजदी और प्रतिष्ठा के साथ रहने का अधिकार है फिर भी भेदभाव के अनेक उदाहरण पाए जाते हैं जिससे धर्मों के बीच वर्चस्ववाद बढ़ा क्योंकि स्वयं वे धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं।



— धर्म के अन्दर वर्चस्ववादः—



धर्म निरपेक्ष राज्य:—

- वह राज्य जहां सरकार की तरफ से किसी धर्म को अधिकारिक (कानूनी) मान्यता न दी गई हो।
- सर्व धर्म समभाव की अवधारणा को महत्व।
- धार्मिक समूह के वर्चस्व को रोकना
- धार्मिक संस्थाओं एवं राज्यसत्ता की संस्थाओं के बीच स्पष्ट अंतर होना चाहिए। तभी शांति, स्वतंत्रता और समानता स्थापित हो पाएगी।
- किसी भी प्रकार के धार्मिक गठजोड़ से परहेज।
- ऐसे लक्ष्यों व सिद्धान्तों के प्रति प्रतिबद्ध होने चाहिए जो शांति, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक उत्पीड़न, भेदभाव और वर्जनाओं से आजादी के महत्व दें।

धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल:—

- अमेरिकी मॉडल—धर्म और राज्य सत्ता के संबंधविच्छेद को पारस्परिक निषेध के रूप में समझा जाता है। राजसत्ता धर्म के मामले में व धर्म राजसत्ता के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
- ये संकल्पना स्वतंत्रता और समानता की व्यक्तिवादी ढंग से व्याख्या करती है।
- धर्मनिरपेक्षता में राज्य समर्थित धार्मिक सुधार के लिये कोई जगह नहीं है।

धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल:—


- भारतीय धर्म निरपेक्षता केवल धर्म और राज्य के बीच संबंध विच्छेद पर बल नहीं देता।
- अप्लसंख्यक तथा सभी व्यक्तियों को धर्म अपनाने की आजादी देता है।
- भारतीय राज्य धार्मिक अत्याचार का विरोध करने हेतु धर्म के साथ निषेधात्मक संबंध भी बना सकता है।
- भारतीय संविधान ने अल्पसंख्यकों को अपनी खुद समर्थाएं खोजने का अधिकार है तथा राज्यसत्ता के द्वारा सहायता भी मिल सकती है।
- भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन 1976 के बाद पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ दिया है।

- मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार शिक्षा व सांस्कृति का अधिकार वे कर सभी धर्मों को समान अवसर प्रदान किए हैं।

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकारः—

- अनुच्छेद 24 से 28 तक

भारतीय धर्म निरपेक्षता की आलोचना:—



- धर्म विरोधियों के अनुसार धर्म निरपेक्षता धर्म विरोधी है तथा धार्मिक पहचान के लिए खतरा पैदा करती है।
- पश्चिमी से आयतित है।
- अप्लसंख्यक अधिकारों की पैरवी करती है। अल्पसंख्यकवाद का आरोप मढ़ा जाता है।

- वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देती है।
- अतिशय हस्तक्षेपकारी क्योंकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता राज्यसत्ता समर्थित धार्मिक सुधार की इजाजत देती है।
- असंभव परियोजना:- धर्म निरपेक्षता की नीति बहुत कुछ करना चाहती है परन्तु यह परियोजना सच्चाई से दूर है जो असंभव है।
अनेक आलोचनाओं के बाद भी भारत की धर्म निरपेक्षता की नीति भविष्य की दुनिया का प्रतिबिम्ब प्रस्तुत करती हैं। भारत में महान प्रयोग किए जा रहे हैं। जिसे पूरा विश्व चाव से देखता है। यूरोप अमेरिका तथा मध्यपूर्व के कुछ देश धर्म संस्कृति की विविधता से भारत जैसे दिखने लगे हैं।

प्रश्नावली:

एक अंकीय प्रश्नः—

1. धर्म निरपेक्षता का क्या अर्थ है।
2. कश्मीरी पण्डितों को कौन—से राज्य से निकाला गया?
3. सिख धर्म के दंगे कब हुए?
4. धर्म के दो मुख्य दोष कौन से हैं?
5. कुछ लोग मानते हैं धर्म महज जन समुदाय के लिए है।
6. कमाल अता तुर्क का पुराना नाम क्या था?
7. अतातुर्क का क्या अर्थ है?
8. भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया?
9. अनुच्छेद 25 से 287 किस के लिए बनाया गया है।
10. पंथ निरपेक्ष शब्द को वोट की राजनीति क्यों कहते हैं?

दो अंकीय प्रश्नः—

1. धर्म शब्द का क्या अर्थ है?
2. धर्म निरपेक्षता बनाए रखने के दो उपाय बताओ?
3. भारतीय धर्म निरपेक्षता की क्या विशेषता है?
4. धर्म निरपेक्षता तथा धार्मिक स्वतंत्रता में अन्तर स्पष्ट करो?
5. धर्म में राज्य की सैद्धान्तिक दूरी से आप क्या समझते हैं?
6. धर्म निरपेक्षता की दो कमियां लिखो?
7. 20वीं शताब्दी में तुर्की में किस तरह की धर्म निरपेक्षता को अपनाया गया?
8. अंतधार्मिक वर्चस्व का अर्थ स्पष्ट करें?
9. पश्चिमी धर्म निरपेक्षता मूल मंत्र क्या है? ये वर्च विवाद का उदाहरण कैसे हैं
10. किसी अल्पसंख्यक समुदाय को अपने पृथक शैक्षिक संस्था बनाने की अनुमति होना क्या धर्म निरपेक्षता है? कारण बताइए?

चार अंकीय प्रश्नः—

1. धर्म निरपेक्षता की भारतीय अवधारणा तथा पश्चिमी अवधारणा में क्या अन्तर है?

2. वर्तमान समय में धर्म निरपेक्षता का महत्व स्पष्ट कीजिए?
3. सम्प्रदायिकता का क्या अर्थ है? इसे रोकने के उपाय बताइए?
4. भारत में धर्म निरपेक्षता अपनाने के क्या कारण हैं?
5. धर्म निरपेक्ष राज्य की आलोचना क्यों की जाती है?

पांच अंकीय प्रश्नः—


1. धर्म निरपेक्षता के बारें में नेहरू के विचार—

जब किसी विद्यार्थी से यह बताने को कहा कि आजाद भारत में धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब होगा तो उन्होंने जवाब दिया था— ‘सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण। वे ऐसा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चाहते थे जो ‘सभी धर्मों को हिफाजत करे; और खुद किसी धर्म को राज्यधर्म के बतौर स्वीकार न करें’। नेहरू भारतीय धर्मनिरपेक्षता के दार्शनिक थे।

नेहरू स्वयं किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे। ईश्वर में उनका विश्वास ही नहीं था। लेकिन उनके लिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म के प्रति विद्वेष नहीं था। इस अर्थ में नेहरू तुर्की के अतातुर्क से काफी भिन्न थे। साथ ही, वे धर्म और राज्य के बीच पूर्ण संबंध विच्छेद के पक्ष में भी नहीं थे। उनके विचार के अनुसार, समाज में सुधार के लिए धर्मनिरपेक्ष राज्यसत्ता धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। जातीय भेदभाव, दहेज प्रथा और सती प्रथा की समाप्ति के लिए कानून बनवाने तथा देश की महिलाओं को कानूनी अधिकार और सामाजिक स्वतंत्रता मुहैया कराने में नेहरू ने खुद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

- | | |
|----|---|
| 1) | नेहरू जी के अनुसार धर्म निरपेक्षता का क्या अर्थ है? 2 |
| 2) | नेहरू जी किस धर्म का अनुसरण करते थे? 1 |
| 3) | समाज के विकास के लिए नेहरू जी का क्या योगदान था? 2 |

2.



- 1) फ्रांसीसी सरकार ने शैक्षिक संस्थाओं पर क्या रोक लगा दी। 2
- 2) क्या फ्रांस धर्म निरपेक्ष राज्य है?
- 3) धर्मनिरपेक्षता के विचार में फ्रांस तथा भारत में क्या अन्तर है? 2
3. भारत में राजपत्रित अवकाशों, की सूची को ध्यान से पढ़ें। क्या यह भारत में धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण प्रस्तुत करती है? तर्क प्रस्तुत करें।
- | | |
|----------------------------|-----------------|
| अवकाश का नाम | दिनांक (2006ई.) |
| ईद-उल-जुहा (बकरीद) | 11 जनवरी |
| गणतंत्र दिवस | 26 जनवरी |
| मुहर्रम | 09 फरवरी |
| होली | 15 मार्च |
| रामनवमी | 06 अप्रैल |
| महावीर जयंती | 11 अप्रैल |
| मिलाद-उल-नबी | 11 अप्रैल |
| गुड़ फ्राइडे | 14 अप्रैल |
| बुद्ध पूर्णिमा | 13 मई |
| स्वतंत्रता दिवस | 15 अगस्त |
| जन्माष्टमी | 16 अगस्त |
| महात्मा गांधी जन्म दिवस | 2 अक्टूबर |
| दशहरा (विजय दशमी) | 2 अक्टूबर |
| महार्षि वाल्मीकी जन्म दिवस | 07 अक्टूबर |
| दीपावली | 21 अक्टूबर |
| ईद-उल-फितर | 25 अक्टूबर |
| गुरुनानक जन्म दिवस | 05 नवम्बर |
| क्रिसमस | 25 दिसम्बर |
- 1) भारत में राजपत्रित अवकाशों की सूची को पढ़ने से धर्म के विषय में क्या अनुमान लगा सकते हो? 2

2) अवकाशों की सूची में कौन—कौन से धर्मों का अवकाश रखा गया है। 3

छ: अंकीय प्रश्नः—

1. भारतीय धर्म निरपेक्षता की आलोचना की चर्चा क्यों?
2. भारतीय धर्म निरपेक्षता का जोर धर्म और राज्यों के अलगाव पर नीहं अपितु उससे अधिक किन्हीं बातों पर है, इस कथन को समझाइए?
3. क्या धर्म निरपेक्षता नीचे लिखी बातों के लिए न्याय संगत है?
 - 1) अल्पसंख्यक समुदाय की तीर्थ स्थल के लिए आर्थिक अनुदान देना?
 - 2) सरकारी कार्यलयों में धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन करना?

उत्तरमाला

एक अंकीय उत्तरः—

1. विभिन्न धर्मों के बीच बिना भेदभाव के समान अवसर प्रदान करना।
2. जम्मू कश्मीर
3. 1984
4. धर्म के अन्दर वर्चस्ववाद धर्म के बीच वर्चस्ववाद
5. अफीम
6. कमालपाशा
7. तुर्की का पिता
8. 42वें संशोधन 1976 में
9. धार्मिक अधिकार
10. उम्मीदवार धर्म के नाम चुने जाते हैं।

2 अंकीय प्रश्नों के उत्तर

1. कर्तव्य का पालन करना
धर्म के अनेक पंथ सम्महित होते हैं।
2. • राज्यसत्ता चलाने वाला किसी धर्म से सम्बन्धित नहीं।
• किसी धर्म की तरफदारी न करना।
3. संविधान में समानता का अधिकार
कानून के समक्ष समानता
4. • धर्म निरपेक्षता बिना भेदभाव के धर्म को अपनाने प्रचार करने की स्वतंत्रता।
• धार्मिक स्वतंत्रता में अपने धर्म के बारे में विचार प्रचार की छुट।
- 5.
6. i) वोट बैंक की राजनीति।
ii) एक असंभव परियोजना।
7. i) कमालपाशा से कमाल अतातुर्क नाम से परिवर्तन।

- ii) मुस्लमान की एक विशेष टोपी पहनने पर रोक।
 - iii) पश्चिमी पोशाक पहनने पर बल।
- 8. i) विशेष धर्म के अन्दर किसी विशेष समुदाय का बोल बाला या मनमानी करवाना।
 - ii) महिलाओं तथा दलितों का शोषण व भेदभाव
- 9. i) धर्म तथा राजसत्ता का सम्बन्ध अलग—अलग।
 - ii) दोनों एक दूसरें में हस्ताक्षेप नहीं करते।
 - iii) इंटरनेट का प्रयोग, पश्चिमी पोशाक का पहनना मैकडोन्लड का खाना पीना जैसी लाखों चीजों का प्रचलन वर्चस्ववाद कहलाता है।
- 10. हाँ, धर्म निरपेक्षता है क्योंकि अनुच्छेद 29 के अनुसार, अल्पसंख्यकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है।
अनुच्छेद 31 अल्पसंख्यक तथा अन्य सभी अपनी रुचि की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तरः—

- 1. i) भारत में धार्मिक सहनशीलता पश्चिती देशों में नहीं।
 - ii) विभिन्नता के साथ भेदभाव नहीं, अल्पसंख्यकों को सरक्षण प्रदान।
- 2. जनसंख्या बढ़ने से समस्याओं में वृद्धि, देश की अखण्डता बनाए रखने के लिए, शान्ति बनाएं रखने के लिए।
- 3. अपने धर्म को अधिक महत्व देना दूसरे धर्म को
 - i) हीन समझना
 - ii) भेदभाव करने वाली राजनीतिक दलों की मान्यता समाप्त करना।
 - iii) अधिकारियों को दण्डित करना
 - iv) शिक्षा सामग्री में बदलाव
 - v) भेदभाव पैदा करने वाले समाचारों पर रोक
- 4. विभिन्न भाषा, जाति, धर्म के लोगों ने बंधुता समानता एकता बनाए रखने के लिए।

5. i) धर्म निरपेक्षता एक असंभव परियोजना मानी जाती है।
ii) वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा
iii) अल्पसंख्यकों संख्यकों को आर्थिक सहायता जो समानता के अधिकार का विरोध

पांच अंकीय प्रश्नों के उत्तरः—

1. i) सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान सरक्षण जो सभी धर्मों की हिफाजत करें।
ii) नेहरू किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे।
iii) समाज की बुराईयों को समाप्त किया जैसे जातीय भेदभाव दहेज प्रथा, सती प्रथा की समाप्ति के लिए कानून बनाना
2. i) पगड़ी पहनने पर बुर्का पहनने पर, धार्मिक प्रतीकों पर रोक फ्रांस धर्म निरपेक्ष का यूरोपीय मॉडल है।
ii) • फ्रांस धर्म के प्रतीकों पर रोक लगाता है भारत नहीं
• भारत में अपने धर्म का प्रचार-प्रसार कर सकते हैं परंतु फ्रांस में नहीं।
3. 1) सभी धर्मों को ध्यान में रख कर अवकाश सूची बनाई गई। धर्म निरपेक्षता को ध्यान में रखा गया है
2) i) ईद अल जुहा, मुहर्रम, मिलाद-उन-नबी, ईद उल फितर-मुस्लिम धर्म
ii) गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती-राष्ट्रीय त्यौहार
iii) होली, दीपावली, रामनवमी, जन्माष्टमी-हिन्दू धर्म
iv) महावीर जयन्ती — जैन धर्म
v) बुद्ध पूर्णिमा — बौद्ध धर्म
vi) गुड़ फ्राइडे, क्रिसमिस— ईसाई धर्म

छ: अंकीय प्रश्नों के उत्तरः—

1. धर्म विरोधी, पश्चिम से आयतित, अल्पसंख्यकवाद को बढ़ावा, हस्तक्षेपकारी, वोट बैंक की राजनीति एक असंभव परियोजना ।
2. लोगों में प्रेम, बंधुता, एकता की भावना पैदा करना, अखण्डता को बचाना, अल्पसंख्यक लोगों की संस्कृति भाषा का विकास ।
3.
 - i) हां ये न्यायसंगत है, ताकि अल्पसंख्यक अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें आर्थिक रूप से पिछड़ों की भावनाओं का आदर ।
 - ii) नहीं ये धर्म निरपेक्षता के विरुद्ध है क्यों सरकारी कार्यालाप किसी विशेष धर्म का अनुष्ठान करना अन्य धर्मों का विरोधी है ।

अध्याय 9

शांति

विशेष बिन्दुः—

शांति अर्थात् एक ऐसी स्थिति जहां किसी भी प्रकार का कोई तनाव ना हो।

हॉब्स, लॉक व रूसोंक सामाजिक समझौते के अनुसार शांति कायम रखना राज्य का उत्तरदायित्व है। ईसामसीह, सुकरात, गौतम बुद्ध तथा अनेक राजनीतिज्ञों ने शांति को महत्व दिया। गांधी जी ने भी अंहिसा को अपनाया।

इनके विपरीत दार्शनिक फ्रेड्रिक नीत्शे संघर्ष को ही सभ्यता की उन्नति का मार्ग मानते थे। सिद्धान्त की उन्नति का मार्ग मानते थे। सिद्धान्तकार विल्फ्रेडो पैरेटो (1848–1923) ने ताकत का इस्तेमाल करने वालों की तुलना शेर से की।

उन्नत तकनीक जहां एक ओर शांति व विकास में सहायक है वहीं दूसरी ओर पिछले विश्वयुद्धों में तकनीक का इस्तेमाल ही विधंस का कारण बना था। जापान के शहर हिरोशिमा व नागासाकी ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें विश्व भूल नहीं सकता।

शांति का गुणगान राष्ट्र अच्छा लगने के लिये नहीं अपितु इसलिये करते हैं कि उसकी भारती कीमत उन्होंने चुकाई है।

— शांति का अर्थ

सामान्यतः शांति का अर्थ युद्ध न होने से लिया जाता है। दो देशों के बीच हथियारों के साथ आमना—सामना होना युद्ध कहलाता है। जबकि रवांडा या बोस्निया में ऐसी स्थिति नहीं थी लेकिन शांति का अभाव था।

शांति को हम हिंसक संघषोर्ग के अभाव के रूप में देख सकते हैं। (संघर्ष न होना) जाति, वर्ग, लिंग, उपनिवेशवादी, साम्राज्यिक किसी भी प्रकार का संघर्ष न होना।

संरचनात्मक हिंसा के विभिन्न रूप—

1. जातिगत व्यवस्था पर आधारित: जिसे हमारे संविधान द्वारा समाप्त किया गया है।
2. पितृसत्ता के आधार पर आधारित: जिसे निम्नलिखित कानून बना कर समाप्त किया।
3. उपनिवेशवाद— यूँ तो समाप्त हो गया परन्तु असितत्व आज भी कायम है। इजरायली प्रभुत्व के खिलाफ फिलिस्तीनी संघर्ष, यूरोपीय देशों के पूर्ववर्ती उपनिवेशों का शोषण आदि इसके उदाहरण हैं।

- रंगभेद, साम्प्रदायिकता व नस्ल आधारित समूह आज भी देखे जा सकते हैं। (हिटलर से लेकर आज तक के उदाहरण लिये जा सकते हैं।)
हिसां व भेदभाव का प्रभाव व्यक्ति की मनोवैज्ञातिक व शारीरिक दोनों स्थितियों पर पड़ता है।

हिंसा की समाप्ति:

संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनिसेफ) के अनुसार, “चूंकि युद्ध का आरंभ लोगों के दिमाग में होता है इसलिए शांति के बचाव को भी लोगों के दिमाग में ही रखे जाने चाहिये”।

क्या हिंसा कभी शांति को प्रोत्साहित कर सकती है?

यूं तो हिंसा अपने पीछे मौत एवं बर्बादी की श्रृंखला छोड़ जाती है परन्तु फिर भी योजनाबद्ध तरीके में सहायक होता है। (गांधी, मार्टिन लूथर किंग, नलसन मंडेला आदि के उदाहरण दिये जा सकते हैं।)

शांति और राज्यसत्त्वः

हर राज्य अपने को पूर्णतः एवं सर्वोच्च ईकाई के रूप में देखता है। शांति के लिये स्वयं को वृहत्तर मानवता के रूप में देखना होगा।

नागरिकों पर बल प्रयोग को रोकना होगा। लोकतंत्रीय शासन प्रणाली द्वारा ही यह सम्भव है।

शांति कायम करने के विभिन्न तरीकें:

- राष्ट्रों को केन्द्रीय स्थान देना, उनकी संप्रभुता का आदर करना।
- राष्ट्रों की आपसी प्रतिद्वंद्विता के कम कर, आर्थिक एकीकरण से राजनीतिक एकीकरण की ओर बढ़ना।
- विश्व वैश्वीकरण की प्रक्रिया
- निः शस्त्रीकरण को अपनाकर

समकालीन चुनौतियाँ:

- दबंग राष्ट्रों को प्रभावपूर्ण प्रदर्शन—इराक में अमेरिका का दखल।
- आंतकवाद का स्वार्थपूर्ण आचरण—इन ताकतों द्वारा जैविक रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की आशंका।
- अंतराष्ट्रीय हस्तक्षेप न होना— गोरिल्ला युद्ध 1994 में तुत्सी लोगों का मारा जाना रवांडा में खूनखराबा पर कोई कदम नहीं उठाया गया।

इनके सबके बावजूद भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर माणिक हथियारों पर पाबन्दी है। ऐसे छः क्षेत्र हैं:-

- 1) दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र
- 2) लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र
- 3) दक्षिण पूर्वी एशिया
- 4) अफ्रीका
- 5) दक्षिण प्रशांत क्षेत्र व
- 6) मंगोलिया



समकालीन विश्व में शांति को प्राथमिकता दी जा रही है। शांति अध्ययन नामक ज्ञान की एक नई शाखा का भी सृजन हुआ है।

यू.एन. की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को विश्व में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से की गई थी।

प्रश्नावली:

एक अंकीय प्रश्नः—

1. शांति से क्या अभिप्राय है?
2. शांति का क्या महत्व है?
3. शांति के मार्ग की कोई दो बाधाएँ लिखें।
4. आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय समाज की मांग क्या है?
5. संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी?
6. संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य क्या था?
7. सिद्धांतकार विलफ्रेडों पैरेटो ने ताकत का इस्तेमाल करने वालों की तुलना किससे की?
8. संरचनात्मक हिसां का क्या अर्थ है?
9. शांतिपूर्ण सह—अस्तित्व का अर्थ लिखें?
10. युद्ध करना कब उचित हो सकता है?

दो अंकीय प्रश्नः—

1. असमानता किस प्रकार शांति को हानि पहुंचा सकती है?
2. हमारे समाज में हिंसा बढ़ने या पनपने के क्या कारण हैं?
3. हिंसा को कैसे समाप्त किया जा सकता है?
4. शांति स्थापना में राज्य का क्या सम्बन्ध है?
5. निःशस्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं?
6. लोग शांति का गुणगान क्यों करते हैं?

चार अंकीय प्रश्नः—

1. अहिंसा से क्या अभिप्राय है?
2. राज्य किस प्रकार शांति कायम रख सकते हैं?
3. शांति कायम चार क्षेत्रों को विश्व मानचित्र में दिखाएँ जहां परमणिवक हथियारों पर पांबदी है?
4. आपके विचार से शांति को लम्बे समय तक किस प्रकार बनाए रखा जा सकता है?

पांच अंक वाले प्रश्न—

1. दावा किया जाता है कि हिंसा एक बुराई लेकिन कभी—कभी यह शांति लाने की अपरिहाय पूर्वशर्त जैसी होती है। शांतिवादियों का मकसद लड़ाकुओं की क्षमता को कम करके आंकना नहीं, प्रतिरोध के अहिंसक स्वरूप पर बल देना है। गांधी जी ने न्याय को अपना आधार बनाया और विलायती शासकों के अंतःकरण को आवाज दी। उन्होंने नैतिक व राजनैतिक दबाव बनाने के लिये जन आन्दोलन चलाए। मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका में काले लोगों के साथ भेदभाव के खिलाफ आन्दोलन 1960 में शुरू किया था।
 - 1) उपरोक्त पवित्रियां किस ओर इशार करती हैं। (अपने शब्दों में लिखें)
 - 2) गांधी जी किस प्रकार के आन्दोलन के समर्थक थे?
 - 3) क्या हिंसा भी कभी शांति का कारण बन सकती है?
- 2.

अमन कायम करने का तरीका हिंसा
के जिम्मेदार लोगों को सजा देना है?

नहीं, हिंसा रोकने के लिए प्रतिहिंसा का इस्तेमाल
नहीं किया जाना चाहिए। हम स्थायी शांति केवल
शांतिपूर्ण तरीकों पर जोर देकर ही ला सकते हैं।

तुम शांति के दूत की तरह बोल रहे हो।
क्या तुम अपने छोटे भाइयों के साथ
इस तरह के शांतिपूर्ण तरीकें अपनाते हो
या वहां.....

- 1) स्थायी शांति से क्या तात्पर्य है?
- 2) शांति का मकसद स्पष्ट करें?
- 3) कोई दो प्रश्न स्वयं बनाएं।

छ: अंक वाले प्रश्न—

1. संरचनात्मक हिंसा के विभिन्न रूप कौन—कौन से हैं?
2. शांतिकायम करने के विभिन्न तरीके लिखें।
3. विश्व के सम्मुख विद्यमान चुनौतियों का संक्षिप्त विवरण लिखें जिनको सम्बन्ध शांति से हो।
4. ऐसे छ: क्षेत्रों के नाम लिखें जहां परमाणिक हथियारों पर पाबन्दी है?

उत्तरमाला

एक अंकीय उत्तरः—

1. युद्ध रहित व्यवस्था अर्थात् युद्धों का अभाव।
2. विश्व में विकास के लिये जरूरी।
3. आंतकवादी व शस्त्रों की होड़।
4. विश्व शांति।
5. 24 अक्टूबर 1945
6. विश्व में शांति कायम करना।
7. शेर से।
8. जाति, धर्म, नस्ल, रंग, लिंग पर आधारित हिंसा।
9. शांतिपूर्ण सहयोग से स्वयं जीना व जीने देना।
10. अपनी रक्षा एवं शांति कायम करने वाली स्थिति में।

2 अंकीय प्रश्नों के उत्तर

1. शांति व समरसतापूर्ण सम्बन्धों को अभाव होगा, प्रतिद्वन्द्विता एवं घृणा का साम्राज्य होगा।
2. • जातिगत, साम्राज्यवाद क्षेत्रवाद
- आपसी ईर्ष्या व स्वर्थपरकता।
3. लोगों के मस्तिष्क व आत्मा से हिंसक सोच को हटाना होगा। करुणा, ध्यान व आत्ममतन के द्वारा।
4. • मानव जाति के साथ समान व्यवहार।
- शांति व मानव कल्याण हेतु राज्य बल का प्रयोग।
5. हथियार न बनना अथवा उनको सीमित करना।
6. इसके अभाव में उन्होंने बहुत कुछ खोया है।

चार अंक वाले प्रश्नों के उत्तर—

1. आन्तरिक या बाहरी किसी भी प्रकार की हिंसा न होना।
2. कानूनों का निर्माण कर
अधिकारों की रक्षा कर।

- अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा
बाहरी आक्रमणों से रक्षा
3. अन्तर्राष्ट्रीय कानून
सम्प्रभुत्ता का सम्मान
निःशास्त्रीकरण
शक्ति संतुलन
सामूहिक उत्तरदायित्व
जनमत (कोई चार)
4. मानचित्र में अंकित हैं।
5. स्व विवेक से लिखें।

छ: अंको वाले प्रश्नों के उत्तर

1. उत्तर विशेष बिन्दुओं में निहित है।
2. उत्तर विशेष बिन्दुओं में निहित है।
3. उत्तर विशेष बिन्दुओं में निहित है।
4. मानचित्र में अंकित है।

अध्याय 10

विकास

विकास से अभिप्राय—

- संकुचित रूप में इसका प्रयोग प्रायः आर्थिक विकास की दर में वृद्धि और समाज का आधुनिकीकरण के संदर्भ में किया जाता है।
- व्यापकतम अर्थ में उन्नति, प्रगति, कल्याण और बेहतर जीवन की अभिलाषा के विचारों का वाहक है। इसमें आर्थिक उन्नति के साथ—साथ जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि को भी शामिल किया जाता है।
- सतत विकास की अवधारण के तहत आगामी पीढ़ियों की आवश्यकताओं व संसाधानों के साथ बिना समझौता किए वर्तमान पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने से है।
- विकास की दृष्टि से विश्व को तीन श्रेणियों—विकसित देश, विकासशील देश व अल्प विकसित देश।

विकास का प्रचलित मॉडल—

- अविकसित या विकासशील देशों ने पश्चिमी यूरोप के अमीर देशों और अमेरिका से तुलना करने के लिए औद्योगीकरण, कृषि और शिक्षा के आधुनीकीकरण एवं विस्तार के जरिए तेज आर्थिक उन्नति का लक्ष्य निर्धारित किया और यह सिर्फ राज्य सत्ता के माध्यम से ही संभव है।
- अनेक विकासशील देशों (जिसमें भारत भी एक था) ने विकसित देशों की मदद से अनेक महत्वकांक्षी योजनाओं का सूत्रपात किया।
- विभिन्न हिस्सों में इस्पात संयंत्रों की स्थापना, खनन, उर्वरक उत्पादन और कृषि तकनीकों में सुधार जैसी अनेक वृहत्त परियोजनाओं के माध्यम से देश की संपदा में बढ़ोतरी करना व आर्थिक विकास की प्रक्रिया को तेज करना था।
- इस मॉडल से विकास के लिए उर्जा का अधिकाधिक उपयोग होता है जिससे इसकी किमत समाज और पर्यावरण दोनों को चुकानी पड़ती है।

विकास मॉडल की आलोचना—

- विकासशील देशों के लिए काफी महंगा साबित हुआ। इसमें वित्तीय लागत बहुत अधिक रही जिससे वह दीर्घकालीन कर्ज से दब गए।
- बांधों के निर्माण, औद्योगिक गातिविधियों और खनन कार्यों की वजह से बड़ी संख्या में लोगों का उनके घरों और क्षेत्रों से विस्थापन हुआ।
- विस्थापन से परंपरागत कौशल नष्ट हो गए। उनकी संस्कृति का भी विनाश हुआ क्योंकि विस्थापन से दरिद्रता के साथ-साथ लोगों की सामुदायिक जीवन पद्धति खो जाती है।
- विशाल जंयती भू-भाग बड़े बांधों के कारण ढूब जाते हैं जिससे परिस्थिति की का संतुलन बिगड़ता है।
- उर्जा के उत्तरोत्तर बढ़ते उपयोग से पर्यावरण को नुकसान होता है क्योंकि इससे ग्रीन हांगस गैसों का उत्सर्जन होता है।
- वायुमण्डल में ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन की वजह से आर्कटिक और अंटार्कटिक ध्रवों पर बर्फ पिघल रही है। परिणामस्वरूप बांग्लादेश एवं मालदीव जैसे निम्न भूमि वाले हुए क्षेत्र में आ सकते हैं।
- विकास का फायदा विकासशील देशों में निम्नतर वर्ग तक नहीं पहुंचा इस कारण से समाज में आर्थिक असमानता और बढ़ गई है। सर्वाधिक निर्धन एवं वंचित तबको के जीवन स्तर में सुधार नहीं आया।

विकास की वैकल्पिक अवधारणा—

- लोकतांत्रिक सहभागिता के आधार पर विकास की रणनीतियों में स्थानीय निर्णयकारी संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- 'उपर से नीच' की रणनीति को त्यागते हुए विकास की प्राथमिकताओं, रणनीतियों के चयन व परियोजनाओं के वास्तविक कार्यान्वयन में स्थानीय लोगों के अनुभवों को महत्व देना तथा उनके शान का उपयोग करने के लिए उनकी भागदारी को बढ़ावा।
- न्यायपूर्ण और सततविकास की अवधारणा को महत्व देना।
- प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित व संरक्षित रखने के प्रयास किए जाने चाहिए।

- हमें अपनी जीवन शैली को बदलकर उन साधनों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए जिनका नवीनीकरण नहीं हो सकता।
- विकास की महंगी, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली और प्रौद्योगिकी से संचालित सोच से दूर होने की कोशिश करता है।

मानव विकास सूचकांक और भारत की स्थिति—

- मानव विकास को मापने का एक तरीका है 'मानव विकास प्रतिवेदन' जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, न्यूयॉर्क वार्षिक तौर पर प्रकाशित करता है। इस प्रतिवेदन में साक्षरता और शैक्षिक स्तर, आयु, संभाविता और मातृ-मृत्यु दर जैसे विभिन्न सामाजिक संकेतकों के आधार पर देशों का दर्जा निर्धारित किया जाता है।

प्रश्नावली:

एक अंकीय प्रश्नः—

1. विकास से क्या तात्पर्य है?
2. विकास की प्रचालित अवधारणा किस नियम पर आधिरित है?
3. विकास का उद्देश्य क्या है?
4. विकास के प्रमुख प्रतिरूप कौन—से हैं?
5. अखण्ड विकास की संकल्पना क्या है?
6. लोक कल्याण राज्य से आप क्या समझते हैं?
7. आज विश्व विकास के किस मॉडल का अनुसरण कर रहा है?
8. बड़ी परियोजनाओं के परिणामस्वरूप मुख्य रूप से किस वर्ग के लोग विस्थापित होते हैं?
9. बहुत परियोजनाओं के विरुद्ध चलाए गए किसी एक आंदोलन का नाम बताइए।
10. न्छक्ट का पूर्ण रूप लिखिए।
11. विकास के परिणामस्वरूप पर्यावरण को हुए एक नुकसान का उल्लेख कीजिए।
12. बाजार अर्थव्यवस्था का प्रतिरूप क्या है?
13. विकास की वह कीमत जो समाज को चुकानी पड़ी है।
14. अविकसित देशों के निवासियों को जीवन स्तर किस प्रकार का होता है?
15. 1950 के दशक में भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत किस प्रकार की परियोजनाएं बनाईं?

दो अंकीय प्रश्नः—

1. ‘मानव विकास प्रतिवेदन’ क्या है?
2. विकास की ‘ऊपर से नीचे’ की रणनीति के महत्वपूर्ण क्या रहे हैं?
3. विकास का मॉडल विकासशील देशों ने अपनाया उसकी आलोचना किस आधार पर की जाती है?
4. विकास को मापने के वैकल्पिक तरीके की धारणा का संक्षेप में स्पष्ट करें?
5. विकास की विकेन्द्रीकृत पद्धति क्या है?


6. 'टिकाऊ विकास' की अवधारणा क्या है?
7. विकास की प्रक्रिया ने किन नए अधिकारों के दावों को जन्म दिया है?
8. सरदार सरोवर परियोजना के तहत बनने वाले बांधों के समर्थकों का क्या दावा है?

चार अंकीय प्रश्नः—

1. भारत ने विकास हेतु क्या कदम उठाए हैं?
2. क्या 'विकास' की प्रचलित अवधारणा से समाज के सभी वर्गों को लाभ होता है?
3. आधुनिक राज्य के कल्याणकारी तथा ऐच्छिक कार्यों का वर्णन करें।
4. विकास की प्रचलित अवधारणा ने परिस्थितकी संकट उत्पन्न किया है? स्पष्ट कीजिए।
5. लोकतंत्र और विकास, दोनों का सरोकार आम बेहतरी हासिल करता है? स्पष्ट करें?
6. विकास की व्यापक अवधारणा को अपनाने की आवश्यकता क्यों है?
7. बड़े बांधों के निर्माण के विपक्ष में क्या तर्क दिये जाते हैं?

पांच अंकीय प्रश्नः—

1.



दिए गए चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए—

- क) विकास का मापन किस आधार पर किया जाना चाहिए?
- ख) विकासशील देशों की समस्याएं क्या हैं?
- ग) इलेक्ट्रॉनिक कचरे के अतिरिक्त किन कारणों से पर्यावरण को हानि होती है?

छ: अंकीय प्रश्नः—

1. विकास से होने वाली सामाजिक और पर्यावरणीय क्षति के प्रति सरकार को जवाबदेह बनवाने में लोकप्रिय संघर्ष और जन आंदोलन कहां तक सफल रहे हैं?
2. 'विकास की वैकल्पिक अवधारणा का सम्बन्ध व्यवित के बेहतर जीवन की कामना से जुड़ा है।' स्पष्ट करें?
3. लोकतांत्रिक सहभागिता के माध्यम से किस प्रकार से विकास की रणनीति में लोकतांत्रिक मूल्यों का समावेशन हुआ है? स्पष्ट करें?

उत्तरमाला

एक अंकीय उत्तरः—

1. उन्नतति, प्रगति, कल्याण और बेहतर जीवन की अभिलाषा।
2. यह अवधारणा ‘उपर ने नीचे’ के नियम पर आधारित है और इसमें यह आशा थी कि समाज में लाभ ऊपर से नीचे की ओर रिस-रिस कर समाज के सबसे निर्धन और वंचित वर्गों पर पहुंचेगा परंतु व्यवहार में ऐसा नहीं हुआ।
3. अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता लाना तथा रोजगार में वृद्धि करना।
4.
 - बाजार अर्थव्यवस्था के प्रतिरूप।
 - कल्याणकारी राज्य प्रतिरूप।
 - विकास समाजवादी प्रतिरूप।
 - विकास का गांधीवादी प्रतिरूप।
5. वर्तमानी पीढ़ी के दावे का भविष्य की पीढ़ी के दावें के साथ संतुलन बना रहे। इसे अक्षय विकास भी कहा गया है।
6. कल्याणकारी राज्य मात्र कर एकत्रित करने वाली संस्था न होकर सामाजिक सेवा प्रदान करने वाली संस्था होती है। जी.डी.एच.कोल के अनुसार, कल्याणकारी राज्य प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम जीवन-स्तर और समान अवसर प्रदान करता है।
7. बाजार अर्थव्यवस्था का मॉडल।
8. जनजाति व दलित समुदायों के लोग विस्थापित होते हैं।
9. नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो सरदार सरोवर परियोजना के विरुद्ध चलाया जा रहा है।
10. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
11. वायुमंडल में ग्रीन हाउस के उत्सर्जन के कारण आर्कटिक और अंटार्कटिक ध्रोवों पर बर्फ का पिघलना।
12. बाजार अर्थव्यवस्था का प्रतिरूप पूंजीवाद, स्वतंत्रता, खुली प्रतियोगिता और मुक्त बाजार पर आधारित है।

13. बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए जिससे उनको आजीविका के साधन खोने पड़े हैं और उनके सांस्कृति को विनाश हुआ है क्योंकि नई जगहों पर जाने के कारण लोग अपनी पूरी सामुदायिक जीवन पद्धति खो बैठते हैं।
14. इनका जीवनस्तर निम्नस्तर का होता है क्योंकि इनको शिक्षा, चिकित्सा और अन्य सुविधाएं कम प्राप्त होती हैं।
15. भारत ने भाखड़ा नांगल बांध देश के विभिन्न भागों में इस्पात संयंत्रों की स्थापना, खनन, उर्वरक उत्पादन और कृषि तकनीकों में सुधार जैसी वृहत परियोजनाएं बनाई।

2 अंकीय प्रश्नों के उत्तर

1. 'मानव विकास प्रतिवेदन' संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम द्वारा विकास को मापने का एक नया तरीका है। इसमें साक्षरता और शैक्षिक स्तर, आयु संभाविता और मातृ—मृत्यु दर जैसे विभिन्न सामाजिक संकेतकों के आधार पर देशों का दर्जा निर्धारित किया जाता है।
2.
 - यह रणनीति अत्याधिक महंगी साबित हुई इदसकी वित्तीय लागत बहुत अधिक होने के कारण विकासशील देशों को विकसित देशों से आर्थिक सहायता और कर्ज लेना पड़ा।
 - काफी अधिक संख्या में लोगों के उनके घरों और क्षेत्रों से विस्थापित होना पड़ा। सांस्कृति और अजीविका की हानि हुई।
3. विकास की संकीर्ण अर्थों में परिभाषा आर्थिक विकास की दर में वृद्धि और समाज का आधुनिकीकरण के संदर्भ में की जाती है। इसे पहले से निर्धारित लक्ष्यों या बांध, उद्योग व अस्पताल जैसी परियोजनाओं को पूरा करने से जोड़कर देखा जाता है। जिससे समाज के कुछ हिस्से ही लाभान्वित हो पाते हैं।
4.
 - विकास का टिकाऊ होना।
 - लोकतांत्रिक मॉडल पर विकास।
 - पर्यावरण कम से कम हानि हो।
5. विकास की विकेंद्रीकृत पद्धति में स्थानीय विकास योजनाओं के बारे में निर्णय स्थानीय निर्णयकारी संस्थाओं को लेना देना है। इस पद्धति से परंपरागत और आधुनिक स्त्रोतों से मिलने वाली तमाम तरह की तकनीकों के रचनात्मक ढंग से इस्तेमाल को संभव बनाती है।

6. विकास की ऐसी रणनिति जिसमें पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग मितव्ययता के सथ किया जाये और उनके संरक्षित रखा जाए।
7.
 - व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में उनसे परामर्श का अधिकार।
 - आजीविका का अधिकार।
 - नैसर्गिक संसाधनों का अधिकार
8. समर्थकों का दावा है कि इससे बिजली पैदा होगी, काफी बड़े इलाकों में जमीन की सिंचाई में मदद मिलेगी और सौराष्ट्र व कच्छ के रेगिस्तानी इलाकों को पेयजल भी उपलब्ध हो सकेगा।

संविधान क्यों और कैसे

Practice Sheet No. 1

1. संविधान के प्रमुख तीन कार्य कौन—कौन से हैं?
2. संविधान सरकार की शक्तियों को किस प्रकार सीमित करता है?
3. भारत में संविधान निर्माताओं को मुख्य उद्देश्य क्या था?
4. भारत के तथा जर्मनी के संविधान निर्माण में क्या प्रमुख अंतर है।
5. “संविधान बनाना कोई आसान और सुगम कार्य नहीं है”, नेपाल के संविधान के संदर्भ में प्रस्तुत कथन की समीक्षा करें?
6. ब्रिटिश मंत्रिमंडल की समिति “कैबिनेट मिशन” में भारतीय संविधान निर्माण योजना के तहत किन बातों पर जोर दिया गया?
7. “हम ऐसा संविधान क्यों नहीं बना सकें जिसमें कहीं से कुछ भी उधार न लिया गया है।” भारत के संविधान के संदर्भ में प्रस्तुत कथन की व्याख्या करें?

भारतीय संविधान में अधिकार

Practice Sheet No. 2

1. समता का अधिकार किस प्रकार भारत को एक सच्चे लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है?
2. अवसर की समानता से आप क्या समझते हैं?
3. भारतीय संविधान में किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को कौन—कौन से अधिकार देने की व्यवस्था की गई है?
4. किस अधिकार के तहत शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार को ओर अर्थपूर्ण बनाया गया है?
5. न्यायालय द्वारा जारी किए गए प्रोदश या रिट कौन—से है विस्तार पूर्वक बताएं?
6. भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों कौन—कौन से हैं?

चुनाव और प्रतिनिधित्व

Practice Sheet No. 3

1. निर्वाचन किसे कहते हैं?
2. पृथक निर्वाचन मंडल की शुरूआत करने के पीछे क्या कारण था?
3. निर्वाचन आयोग को 1991 में लोकसभा चुनाव कराने में किस कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा तथा सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग के किस निर्णय को वैध ठहराया?
4. चुनाव जनता की अपेक्षाओं और लोकतांत्रिक आकांक्षाओं पर खरा उतरे इसके लिए आम नागरिक से हम किस प्रकार के व्यवहार की उम्मीद करते हैं, अपने विचार व्यक्त करें?

कार्यपालिका

Practice Sheet No. 4

1. अमेरिका, कनाडा तथा इंग्लैंड में कार्यपालिका संबंधित शक्तियां किन्हें दी गई हैं?
2. तीन देशों का नाम लिखें जहां राष्ट्रपति राज्ञ और सरकार दोनों का प्रधान है, इस व्यवस्था को कौन—सी शासन प्रणाली कहा जाता है?
3. “अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में व्यक्ति पूना का खतरा बना रहता है”? स्पष्ट करें?
4. ‘पाकेट वीटो’ शब्द से क्या अभिप्राय है?
5. “संसदीय शासन में प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत का समर्थन शक्तिशाली बना देता है” प्रस्तुत कथन के पक्ष में तर्क दें?

विधायिका

Practice Sheet No. 5

1. अपनी किन संरचनात्मक विशेषताओं के कारण विधायिका सबसे अधिक प्रतिनिधिक (शक्तिशाली) है?
2. विविधताओं से परिपूर्ण बड़े देश ज्यादातर द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विभाजित के पक्षधर है, क्यों?

3. संसद की कौन—सा सदन स्थायी सदन है, इसे स्थायी सदन क्यों कहा जाता है?
4. भारत में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन 1971 से लोकसभा में सीटों की संख्या नहीं बढ़ी है, आपके इस विषय में क्या विचार हैं?
5. लघु विधायिका किसे कहा जाता है?

न्यायपालिका

Practice Sheet No. 6

1. लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा न्यायपालिका को किस प्रकार सुरक्षित बनाया जा सकता है?
2. सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायधीश को मुख्य न्यायधीश नियुक्त किया जात है, लेकिन भारत में इस परंपरा को कब और क्यों तोड़ा गया?
3. सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श देने की शक्ति की क्या उपयोगिता है?
4. सामाजिक व्यवहार याचिका से क्या अभिप्राय है?
5. संसद और न्यायपालिका के बीच विवाद के केन्द्र में कौन—कौन से मुद्दे थे?

संघवाद


Practice Sheet No. 7

1. सोवियत संघ के विघटन का प्रमुख कारण क्या था?
2. संघीय राज्य की शुरूआत किस देश से हुई, वह भारतीय संघवाद से किस प्रकार भिन्न था?
3. संघवाद के वास्तविक कामकाज का निर्धारण किस प्रकार होता है?
4. नाइजीरिया में लोकतंत्र की दोबारा स्थापना कब हुई तथा किन बातों को लेकर विभेद अभी भी बने हुए हैं?
5. भारतीय संविधान के उन संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन करें जो सशक्त केंद्रीय सरकार की स्थापना करते हैं?
6. राज्य केंद्र के समान ज्यादा स्वतंत्रता की मांग क्यों करते हैं?

स्थानीय शासन

Practice Sheet No. 8

1. प्रस्तुत वाद विवाद संविधान सभा के किस खंड से लिया गया है?
2. चित्र में दिए गए व्यक्तित्व का नाम लिखें?



3. शहरी इलाका किसे कहा गया?
4. स्थानीय निकायों में महिलाओं की भारी संख्या में मौजूदगी पर टिप्पणी करें?
5. किन कारणों से स्थानीय निकायों की काम करने की क्षमता का क्षरण हुआ हैं?

POLITICAL SCIENCE

Class-XI

Time: 3 hrs.

M.M. 100

General Instructions:

- i) All questions are compulsory.
- ii) Questions 1 to 5 are of one mark each. The answer to these questions should not exceed to 20 words each.
- iii) Questions 6 to 10 are of two mark each. The answer to these questions should not exceed to 40 words each.
- iv) Questions 11 to 16 are of four mark each. The answer to these questions should not exceed to 100 words each.
- v) Questions 17 to 19 are passage based. These are of 5 marks each.
- vi) Questions 20 to 21 are map or picture based. These questions too are of 5 marks each.
- vii) Questions 22 to 27 are of six marks each. The answer to these questions should not exceed 150 words each.

सामान्य निर्देशः

- i) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं
- ii) प्रश्न संख्या 1 से 5 तक सभी प्रश्न एक—एक अंक के हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 20 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए।
- iii) प्रश्न संख्या 6 से 10 तक सभी प्रश्न दो—दो अंक के हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 40 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए।
- iv) प्रश्न संख्या 11 से 16 तक सभी प्रश्न चार—चार अंकों के हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए।
- v) प्रश्न संख्या 17 से 19 गद्यांशों पर आधारित हैं। इनके पांच—पांच अंक हैं।
- vi) प्रश्न संख्या 20 से 21 मानचित्र अथवा चित्रों पर आधारित हैं। इनके अंक भी पांच—पांच हैं।
- vii) प्रश्न संख्या 22 से 27 दीर्घ उत्तरीय हैं। सभी प्रश्न छः—छः अंकों के हैं। इनके उत्तर 150 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए।

1. शक्ति संतुलन से आप क्या समझते हैं?
2. अनुच्छेद 370 के विषय में आप क्या जानते हैं?
3. नेल्सन मण्डेला की आत्मकथा का शीर्षक लिखिये।
4. पृथक् चुनाव मण्डल व आरक्षित चुनाव मण्डल से क्या अभिप्राय है?
5. 42 वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में क्या शब्द जोड़े गये हैं?
6. कानून स्वतंत्रता का विरोधी नहीं रक्षक है। समझाइये।
7. हानि के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए।
8. मचल लालुंग कौन था? उसके किस अधिकार का लम्बे समय तक हनन हुआ?
9. उपचुनाव व मध्यावधि चुनाव में अंतर बताइये।
10. न्यायिक व्याख्याएं भी संविधान की समझ बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैसे?
11. 'विकास की बढ़ती लालस व होड़ ने न सिर्फ सामाजिक बल्कि प्राकृतिक संतुलन को भी बिगाड़ा है।' आपको यह कथन कहां तक सही लगता है?
12. भारत य संविधान द्वारा राज्यों की स्थिति को ध्यान में रखकर पर्याप्त स्वायत्ता दी गई है फिर भी राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार से खुश नहीं रहती हैं। क्यों?
13. 'राजनीति उससब से बढ़कर है जो राजनेता करते हैं।' क्या आप इस कथन से सहमत हैं?
14. राजनीतिक सांस्कृतिक व आर्थिक अधिकारों में अंतर स्पष्ट कीजिये।
15. शरणार्थी व राज्यविहीन लोगों की समस्या का समाधान आप किस प्रकार की नागरिकता से ढूँढ़ सकतहैं? लिखिये।
16. राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करने वाली किन्हीं चार कारकों पर प्रकाश डालिये।
17. सामाजिक न्याय का सरोकार वस्तुओं व सेवाओं के न्यायोचित वितरण से भी है चाहे वह राष्ट्रों के बीच वितरण का मामला हो या किसी समाज के अंदर विभिन्न समूहों और व्यक्तियों के बीच का यदि समाज में गंभीर सामाजिक या आर्थिक असमानताएं हैं, तो यह जरूरी होगा कि समाज के कुछ प्रमुख

संसाधनों का पुनर्वितरण हो जिससे नागरिकों को जीने के लिये समतल धरातल मिल सके इसीलिये किसी देश के अंदर सामाजिक न्याय के लिये यह जरूरी है कि न केवल लोगों के साथ समाज के कानूनों व नीतियों के समबंध में समान बर्ताव किया जाये, बल्कि जीवन की स्थितियां और अवसरों के मामले में भी वह कुछ बुनियादी समानता का उपभोग करें। यह हर व्यक्ति के लिये जरूरी माना गया कि वह अपने उद्देश्यों के लिये प्रयास कर सकें और स्वयं को अभिव्यक्त कर सकें।

- 1) सामाजिक न्याय का संबंध किन वस्तुओं से है?
- 2) प्रमुख संसाधनों को पुनर्वितरण से क्या परिणाम आपेक्षित हैं?
- 3) क्या केवल समान बर्ताव द्वारा ही देश में सामाजिक न्याय की स्थापना की जा सकती है?

18. अनुच्छेद पढ़कर नीचे दिये गये प्रश्नों के उत्तर दीजिये:-

जैसे—जैस हमारी दुनिया बदल रही है, हम आजादी और आजादी पर संभावित खतरों के नए—नए आयामों की खोज कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, वैशिक संचार तकनीक दुनिया भर में आदिवासी संस्कृति या जंगल की सुरक्षा के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं का एक—दूसरे से तालमेल करना आसान बना रही है। पर इसने आंतकवादियों और अपराधियों को भी अपना नेटवर्क कायम करने की क्षमता दी है। इसके अलावा, भविष्य में इंटरनेट द्वारा व्यापार में बढ़ोतरी तय है। इसका अर्थ है कि वस्तुओं अथवा सेवाओं की खरीद के लिए हम अपने बारे में जो सूचना ऑन—लाइन दें, उसकी सुरक्षा हो। इसीलिए यूं तो इंटरनेटिजन (अंग्रेजी में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले को नेटिजन कहा जाता है) सरकारी नियंत्रण नहीं चाहते, लेकिन वे भी वैयक्तिक सुरक्षा और गोपनीयता बनाये रखने के लिए किसी न किसी प्रकार का नियमन जरूरी मानते हैं। परिणामस्वरूप ये प्रश्न उठाए जाते हैं कि इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों की कितनी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।

- 1) नेटिजन सरकारी नियंत्रण से बचना क्यों चाहते हैं? 1
- 2) क्या आधुनिक तकनीक ने हमारे जीवन में संभावित खतरों में इजाफा किया है? कैसे? 2
- 3) आधुनिक संचार व तकनीक के दो लाभ बताइये? 2

19. समानता के उद्देश्य से जुड़े बहुत से मुद्दे नारीवादी आंदोलन द्वारा उठाए गए। उन्नीसवीं सदी में स्त्रियों ने समान अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उदाहरण

के लिए उन्होंने मताधिकार, कॉलेज—यूनिवर्सिटी में डिग्री पाने का अधिकार और काम करे लिए अधिकार की उसी प्रकार मांग की जैसे अधिकार पुरुषों को हासिल थे। हालांकि जैसे ही उन्होंने नौकरियों में प्रवेश किया उन्हें महसूस हुआ कि स्त्रियों को इन अधिकारों को उपयोग में लाने के लिए विशेष सुविधाओं को आवश्यकता है। उदाहरण के लिए उन्हें मातृत्व अवकाश और कार्यस्थल पर बालवाड़ी जैसे प्रावधानों की आवश्यकता थी। इस प्रकार के विशेष बरताव के बिना वे न तो गंभीरतापूर्वक स्पर्धा में भाग ले सकेंगी और न ही सफल व्यवसायिक और निजी जीवन का आनन्द उठा सकेंगी। दूसरें शब्दों में पुरुषों के समान अधिकारों के उपयोग के लिए उन्हें कई बार एक विशेष बरताव की जरूरत होती थी।

- | | |
|----|--|
| 1) | नारीवाद से क्या तात्पर्य है? 1 |
| 2) | पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त होने के बावजूद महिलाओं को विशेषाधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी? 2 |
| 3) | क्या वह विशेषाधिकार समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है? 2 |

20.



यह कहा एक दुर्भाव से भरा झूट है कि हमने गैर कांग्रेसी सरकारों को गिराया।
इसने अपनी सरकार में गिराई जैसे रिविक्म में संभव है बाद में विहार, मध्यप्रदेश आदि की भी अपनी सरकार हम मिटाएं।

- | | |
|----|---|
| 1) | उपरोक्त कार्टून संविधान के किस प्रावधान से सम्बंधित है? |
| 2) | इस प्रावधान से जुड़े विवाद का निपटारा करने के लिये कायम किये कमीशन व उसके सुझावों की भी व्याख्या कीजिए। |

21.



चित्र पर आधारित प्रश्नों के उत्तर कीजिए।

- 1) क्या हड्डताल का अधिकार संवैधानिक अधिकार है? 1
 - 2) न्यायपालिका द्वारा कर्मचारियों की हड्डताल में हस्तक्षेप करना उचित है या अनुचित? 1
 - 3) न्यायपालिका द्वारा हड्डताल को अवैध करार देने का क्या औचित्य है? |3
22. नौकरशाही से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिये।

अथवा

लोकसभा के स्पीकर की नियुक्ति व इसके द्वारा किये जाने वाले कार्यों की समीक्षा कीजिये।

23. डॉ. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 में दिये गये संवैधानिक मुखिया बनाया गया है या उसे कुछ अधिकार भी दिये गये हैं? समझाइये।
24. मुक्त बाजार की अवधारणा राज्य के चूनतम हस्तक्षेप की पक्षधर है। विश्लेषण कीजिये।

अथवा

स्टिंग आपरेशन व ऑनर किलिंग से क्या अभिप्राय है? क्या यह व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता व जीवन के अधिकार का अतिक्रमण है?

25. पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता व भारतीय धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा में अंतर स्पष्ट कीजिये।

अथवा

किसी भी समाज में शांति को स्थापना के लिये स्वतंत्रता समानता व न्याय की स्थापना आवश्यक है या केवल न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति। आप इस सम्बन्ध में क्या सोचते हैं?

26. 73वां व 74 वें संविधान संशोधनों का उद्देश्य लक्ष्य व विषय वस्तु बातें हुए पंचायती राज व्यवस्था में हुए बदलावों पर प्रकाश डालिये।

अथवा

भारत में लोकसभा राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। आपके अनुसार इसके प्रमुख कारण क्या हैं?

27. नियुक्ति आधारित प्रशासन की जगह निर्वाचन द्वारा प्रशासन होना चाहिये आप इस संबंध में क्या सोचते हैं?

अथवा

भारतीय न्यायपालिका एंव संसद के सम्बंधों पर प्रकाश डालिये।

POLITICAL SCIENCE


Class-XI

Time: 3 hrs.

M.M. 100

- | | | |
|-----|---|---|
| 1. | संविधान के बिना राज्य की स्थिति कैसी होगी? | 1 |
| 2. | मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? | 1 |
| 3. | आर्थिक व सामाजिक न्याय में एक अंतर लिखें। | 1 |
| 4. | विकास में प्रमुख प्रतिरूप क्या हैं? | 1 |
| 5. | भारतीय संविधान में प्रस्तावित 'धर्म निरपेक्ष' शब्द कब जोड़ा गया? | 1 |
| 6. | ब्रिटिश संविधान से भारतीय संविधान से कौन—कौन सी व्यवस्थाएं ली गई हैं? | 2 |
| 7. | व्यस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? कोई एक लाभ भी बताइए। | 2 |
| 8. | राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में लिखें। | 2 |
| 9. | राजनीति विज्ञान के छात्र हेतु राजनीति सिद्धान्त की क्या आवश्यकता है? | 2 |
| 10. | अवसर की समानता को परिभाषित करें? | 2 |
| 11. | 'शस्त्रों की होड़' विश्व में भाँति कायम करने में सहायक हो सकती है। कथन के पक्ष विपक्ष में दो—दो तर्क दें। | 4 |
| 12. | नागरिक व विदेशी में क्या अन्तर है। किसी नागरिक के किन्हीं तीन अधिकार लिखें? | 4 |
| 13. | 'स्वतंत्रता के बिना मौलिक अधिकारों का कोई महत्व नहीं'— स्पष्ट करें? | 4 |
| 14. | भारतीय संविधानी के आधारभूत तत्वों अथवा लक्षणों का वर्णन करें? | 4 |
| 15. | पंचायती राज व्यवस्था क्या है? इसकी किन्हीं तीन कमियों का वर्णन करें? | 4 |
| 16. | दल—बदल विरोधी कानून 1985 की कौन—कौन सी विशेषता आपको प्रभावी लगती है? | 4 |
| 17. | भारत के मानचित्र में केन्द्र शासित प्रदेशों को दर्शाइए? | 5 |
| 18. | भारत के मानचित्र में द्वि सदनात्मक राज्य अंकित करें। (आंध्रप्रदेश व तेलंगाना भी इसमें शामिल) | |

19. भारतीय चुनाव प्रणाली में जो दोष पाये जाते हैं, उनको दूर करने के लिए जो कदम उठाये गए हैं उनके बंधित परिणाम समाने आने लग गए हैं। राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव आचार संहिता का पालन किया जाने लगा है। पहचान—पत्र भी जारी कर दिए गए हैं, काले धन तथा बाहुबल के प्रयोग पर भी अंकुश लगाते लगा हैं?
- 1) भारतीय लोकतंत्र में किस मतदान प्रणाली का प्रयोग किया जाती है? 1
 - 2) मतदान की दोनों प्रणालियों का नाम लिखें व परिभाषित करें। 2
 - 3) भारतीय चुनाव प्रणाली के कोई चार दोष लिखें? 2
20. 1) राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? 1
- 2) प्रथम अनुच्छेद में विश्व में कौन—सी विशेषता का उल्लेख किया गया है? 2
 - 3) दो ऐसे उदाहरण दो जो राष्ट्रों की प्रासंगिकता को प्रभावित करते हों? 2



21. भारत में राजपत्रित अवकाशों की सूची धर्मनिरपेक्षता की फलक को दिखाती है?

‘अवकाश का नाम अर्थात् त्यौहारों के नाम’

ईद—उल—जुहा, गणतंत्र दिवस, मुहर्रम, होली, राम नवमी, महावीर जयंती, मिलाद—उल—नबी, गुड़ फ्राईडे, बुद्ध पूर्णिमा, स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी, महात्मा गांधी जन्म दिवस, दशहरा, महर्षि वाल्मीकी जन्म दिवस, दीपावली, ईद—उल—फितर, गुरुनानक जन्म दिवस, क्रिसमस।

- 1) राष्ट्रीय अवकाशों के नाम लिखें? 1
- 2) उपरोक्त पंक्तियों में कौन—कौन से धर्मों की फलक मिलती है? 2
- 3) उपरोक्त पंक्तियों के संदर्भ में अपने विचार लिखें? 2

22. संविधान की प्रमुख विशेषताएं लिखें।

अथवा

भारती की चुनाव प्रणाली की मुख्य विशेषताएं कौन—कौन सी हैं? 6

23. संसदीय सरकार प्रमुख लक्षणों को भारतीय संदर्भ में विवरण प्रस्तुत करें?

अथवा

भारत के संविधान में संशोधन प्रक्रिया का वर्णन करें? 6

24. हमें राजनीति सिद्धान्त के अध्ययन की विषय वस्तु में कौन—कौन से विषय व बिन्दु शामिल करने चाहिये।

अथवा

स्थानीय शासन किसे कहते हैं। इनके विभिन्न स्तरों की व्याख्या करें। 6

25. “संविधान एक जीवंत दस्तावेज है”। क्यूँ? और कैसे? स्पष्ट करें?

अथवा

शांति के मार्ग में अपने वाली बाधाएं कौन—कौन सी हैं? उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है? 6

26. लोकसभा, कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में क्यों कारगर ढंग से नियन्त्रण में रख सकती है?

अथवा

वैशिक नागरिकता की अवधारणा द्वारा आज शरणर्थियों की समस्या का समाधान हो सकता है। कैसे? 6

27. राष्ट्रवाद के गुणों व दोषों का वर्णन करें?

अथवा

क्या विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना चाहिए? यदि हां तो क्यूँ? यदि नहीं तो क्यूँ? स्पष्ट करें? 6

POLITICAL SCIENCE


Class-XI

Time: 3 hrs.

M.M. 100

- | | | |
|-----|--|---|
| 1. | 52वां संविधान संशोधन किस विषय से संबंधित है? | 1 |
| 2. | राज्य सभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? | 1 |
| 3. | भारत में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसके पास हैं? | 1 |
| 4. | प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में कोई एक अंतर बताइए। | 1 |
| 5. | अधिकारों व दावों में कोई एक अंतर बताइए। | 1 |
| 6. | कानून के शासन का क्या अर्थ है? | 2 |
| 7. | हमें संविधान में अधिकारों की क्या आवश्यकता है? | 2 |
| 8. | संघ सूची व राजा सूची के दो—दो विषय बताइए। | 2 |
| 9. | धर्म निरपेक्षता का अर्थ बताइए। | 2 |
| 10. | संविधान शब्द का क्या अभिप्राय है? | 2 |
| 11. | संसदीय व अध्यक्षीय प्रणाली में कोई चार अंतर बताइए। | 4 |
| 12. | शांति क्या है? हिंसा के किन्हीं तीस प्रमुख रूपों का उल्लेख कीजिए। | 4 |
| 13. | स्वतंत्रता व समानता एक दूसरे के पूरक है। टिप्पणी करें। | 4 |
| 14. | सतत् विकास क्या है? यह भावी पीढ़ियों के लिए क्यों आवश्यक हैं? | 4 |
| 15. | लोकसभा व राज्यसभा की तुलना कीजिए? | 4 |
| 16. | संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को समझाइए? | 4 |
| 17. |  | |

- 1) बौने व्यक्ति के रूप में किसके ओर संकेत किया गया है? 1
- 2) उपयुक्त कॉर्टून में चारों व्यक्ति किस पार्टी से संबंधित है? 2
- 3) 'सर्वाधिक वोट से जीत' प्रणाली क्या है? तथा इसका लाभ बताएँ? 2
18. 1) राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? 5
- 2) राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में इस कॉर्टून का क्या आशय है? 2
- 3) कई बार राज्यपाल की भूमिका विवादास्पद क्यों रही है? 2
19. मौलिक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया है और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए है। वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न हैं। जहां साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है, वहीं मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। सामान्य अधिकारों के संसंद कानून बना कर परिवर्तित कर सकती है लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। इसके अलावा सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता।
- 1) मौलिक अधिकार किस कहते हैं? 1
- 2) मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों है? 2
- 3) मौलिक अधिकारों और कानूनी अधिकारों में कोई दो अंतर बताइए। 2
20. भारतीय संविधान ने अनेक उपायों के द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की है। न्यायाधीशों की नियुक्तियों के मामले में विधायिका को सम्मिलित नहीं किया गया है। इससे यह सुनिश्चित किया गया कि इन नियुक्तियों में दलगत राजनीति की कोई भूमिका नहीं रहे। न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को वकालत का अनुभव या कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। उस व्यक्ति के राजनीतिक विचार या निष्ठाएं उसकी नियुक्ति का अधार नहीं बननी चाहिए।
- न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है। वे सेवानिवृत्त होने तक पद पर



बने रहते हैं। केवल अपवाद स्वरूप विशेष स्थितियों में ही न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है।

- | | |
|---|---|
| 1) न्यायाधीश की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है? | 1 |
| 2) न्यायाधीशों की दो योग्यताएं बताइए? | 2 |
| 3) न्यायाधीशों की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए दो प्रावधान बताइए। | 2 |
| 21. ऐसे 5 राज्य मानचित्र में अंकित करें जहां द्विसदनात्मक विधायिका हैं। | 5 |
| 22. राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन करें। | |

अथवा

स्वतंत्रता की परिभाषा बताइए व सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता में अंतर बताइए?

- | | |
|--|---|
| 23. 'भारतीय संविधान का स्वरूप तो संघात्मक है पर उसकी आत्मा एकात्मक है'। इस कथन को स्पष्ट करें। | 6 |
|--|---|

अथवा

सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों का वर्णन करें।

- | | |
|--|---|
| 24. 73वें व 74 वें संविधान संशोधन से स्थानीय स्वशासन कैसे मजबूत हुआ है। स्पष्ट करें? | 6 |
|--|---|

अथवा

न्याय की परिभाषा दीजिए। राज्य के न्याय सिद्धांत को स्पष्ट करें।

- | | |
|--|---|
| 25. राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। | 6 |
|--|---|

अथवा

सर्वैंधानिक उपचारों के अधिकारों का वर्णन करें? इसे संविधान की आत्मा क्यों कहते हैं?

- | | |
|---|---|
| 26. अधिकार की परिभाषा दीजिए तथा इसके प्रकारों का उल्लेख करें। | 6 |
|---|---|

अथवा

शांति क्या है? आज विश्व में शांति की स्थापना हेतु क्या किया जा सकता है।

- | | |
|--|---|
| 27. धर्मनिरपेक्षता की भारतीय उसके पाश्चात्या अवधारणा में अंतर स्पष्ट करें। | 6 |
|--|---|

अथवा

राष्ट्रवाद के गुणों और दोषों का उल्लेख करें?